ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

www.beeindia.gov.in

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट

2023-2024

www.beeindia.gov.in

विषय–सूची

अनुक्रमणिका		पृष्ठ सं.
1. सामान्य		
1.1	मिशन	4
1.2	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका	4
1.3	शासी परिषद की संरचना	6
1.4	महानिदेशक की रिपोर्ट	9
1.5	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं	11
1.6	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता	60
2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग		
2.1	अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	70
2.2	बहुपक्षीय कार्यक्रम	77
3. ब्यूरो का लेखा		
3.1	पूंजी संरचना	86
3.2	वित्तीय परिणामों का सारांश	86
3.3	ब्यूरो के कामकाज को बेहतर बनाने या मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम	86
3.4	लेखों का वार्षिक विवरण	86
3.5	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर	92
3.6	लेखाओं का वार्षिक विवरण	103
4. प्रशासन		
4.1	शिकायत निवारण	130
4.2	सूचना का अधिकार अधिनियम	130
4.3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	130
4.4	अल्पसंख्यकों का कल्याण	130
4.5	राजभाषा का कार्यान्वयन	131
4.6	सतर्कता	132
4.7	दिव्यांगजनों का कल्याण	132

- 1 -
सामान्य

1.1 मिशन

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

1.3 शासी परिषद की संरचना

1.4 महानिदेशक की रिपोर्ट

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएँ

1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1.1 मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) का मिशन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (ऊ.सं. अधिनियम) के समग्र ढांचे के भीतर स्व–नियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने वाली नीतियों और रणनीतियों को विकसित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। यह सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से हासिल किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को तेजी से और स्थायीरुप से अपनाया जाएगा।

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य

- हितधारकों की भागीदारी के साथ ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना।
- ऊर्जा संरक्षण पहलों की योजना बनाना, उनका प्रबंधन करना और उन्हें लागू करना, जैसा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में परिकल्पित है।
- राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रयासों और कार्यक्रमों के लिए नेतृत्व करना और नीतिगत ढांचा और दिशा प्रदान करना।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता वितरण तंत्रों का प्रदर्शन करना, जैसा कि ऊर्जा दक्षता अधिनियम में पकिल्पित है।
- व्यक्तिगत क्षेत्रों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता परिणामों को मापने, निगरानी करने और सत्यापित करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
- ऊर्जा के उपयोग और इसके संरक्षण पर कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और निजी क्षेत्र के समर्थन का लाभ उठाना।
- उपभोक्ताओं के लक्षित समूहों के बीच ऊर्जा बचत और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत ब्यूरो को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने में विद्यमान संसाधनों और बुनियादी ढांचे को पहचानने और उनका उपयोग करने के लिए ऊर्जा संरक्षण/दक्षता के क्षेत्र में कार्यरत नामित एजेंसियों, संभावित उपभोक्ताओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

अधिनियम में निम्नलिखित के लिए विनियामक अधिदेश का प्रावधान किया गया है: उपकरणों और साधित्रों के मानक और लेबलिंग; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का निर्माण; तथा ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड।

देश में ऊर्जा दक्षता के निरंतर विकसित हो रहे क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को

बेहतर ढंग से लैस करने के लिए आवश्यक कुछ अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2010 में संशोधन किया गया था। मूल अधिनियम में किए गए मुख्य संशोधन नीचे दिए गए हैं:

- केन्द्र सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे नामित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी कर सकती है, जिसकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से कम है।
- ऐसे नामित उपभोक्ता जिनकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से अधिक है, वे निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुपालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र खरीदने के हकदार होंगे।
- केन्द्र सरकार, ब्यूरो के परामर्श से, खपत की गई ऊर्जा के बराबर प्रति मीट्रिक टन तेल मूल्य निर्धारित कर सकती है।
- वाणिज्यिक भवन, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या अनुबंध मांग 120 केवीए और उससे अधिक है, उन्हें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत ईसीबीसी के दायरे में लाया गया है।

हाल ही में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ और 19 दिसंबर, 2022 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। मूल अधिनियम में किए गए मुख्य संशोधन नीचे दिए गए हैं:

- गैर–जीवाश्म स्रोत उपयोग मानदंड (हाइड्रोजन/नवीकरणीय)
- कार्बन बाज़ारों के लिए रुपरेखा
- भवन क्षेत्र
  - ➢ बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना
  - ➢ नवीकरणीय ऊर्जा और हरित भवन आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए भवन संहिता का दायरा बढ़ाया गया
- कार्यान्वयन को मजबूत करना
  - ➢ दंड प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना
  - ➢ राज्य विद्युत नियामक आयोगों के कार्य

संवर्धनात्मक भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की संवर्धनात्मक भूमिका में मुख्य रूप से शामिल हैं:

- लोगों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के बारे में जागरुकता पैदा करना और जानकारी का प्रसार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग की तकनीकों में कार्मिकों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को मजबूत करना।

- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाएं विकसित करना और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- प्रायोगिक परियोजनाओं और प्रमाणन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तैयार करना और उन्हें सुगम बनाना।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों, युक्तियों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों या उपकरणों के उपयोग के लिए अधिमानी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के अभिनव वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करना।

1.3 शासी परिषद की संरचना

शासी परिषद संरचना ब्यूरो के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन शासी परिषद में निहित है, जिसमें कम से कम इकतीस और अधिकतम सैंतीस सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

क्र. सं.	पदनाम	नाम	स्थिति
1.	माननीय विद्युत मंत्री	श्री मनोहर लाल	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, विद्युत मंत्रालय	श्री पंकज अग्रवाल	पदेन सदस्य
3.	सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्री पंकज जैन	पदेन सदस्य
4.	सचिव, कोयला मंत्रालय	श्री अमृत लाल मीना	पदेन सदस्य
5.	सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला	पदेन सदस्य
6.	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	डॉ. अजीत कुमार मोहंती	पदेन सदस्य

क्र. सं.	पदनाम	नाम	स्थिति
7.	सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग	श्रीमती निधि खरे	पदेन सदस्य
8.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्रीमती लीना नंदन	पदेन सदस्य
9.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	श्री अनुराग जैन	पदेन सदस्य
10.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्री अनुराग जैन	पदेन सदस्य
11.	सचिव, इस्पात मंत्रालय	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा	पदेन सदस्य
12.	सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	श्री वुमलुनमंग वुअल्नम	पदेन सदस्य
13.	सचिव, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय	श्री टी.के. रामचंद्रन	पदेन सदस्य
14.	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री एस. सी. एल. दास	पदेन सदस्य
15.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	श्री कामरान रिज़वी	पदेन सदस्य
16.	प्रधान सचिव (ऊर्जा), बिहार	श्री संजीव हंस	पदेन सदस्य
17.	प्रधान सचिव (ऊर्जा), गुजरात	श्रीमती ममता वर्मा	पदेन सदस्य
18.	प्रधान सचिव (विद्युत), पंजाब	श्री तेजवीर सिंह	पदेन सदस्य
19.	प्रधान सचिव (विद्युत), असम	डॉ. कृष्ण कुमार द्विवेदी	पदेन सदस्य
20.	प्रधान सचिव (विद्युत), केरल	श्री सौरभ जैन	पदेन सदस्य
21.	सदस्य, रेलवे बोर्ड (ऊर्जा प्रभारी), रेल मंत्रालय	श्री सतीश कुमार	पदेन सदस्य
22.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	श्री घनश्याम प्रसाद	पदेन सदस्य
23.	महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	श्री बी ए सावले	पदेन सदस्य

क्र. सं.	पदनाम	नाम	स्थिति
24.	कार्यकारी निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	श्री राजेश अग्रवाल	पदेन सदस्य
25.	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइनिंग संस्थान लिमिटेड	श्री मनोज कुमार	पदेन सदस्य
26.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो	श्री प्रमोद कुमार तिवारी	पदेन सदस्य
27.	महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला,	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	पदेन सदस्य
28.	महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	श्री एस गोपालकृष्णन	पदेन सदस्य
29.	प्रबंध निदेशक, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	श्री प्रदीप कुमार दास	पदेन सदस्य
30.	अध्यक्ष, एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचौम)	श्री संजय नायर	सदस्य
31.	महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	श्री चंद्रजीत बनर्जी	सदस्य
32.	अध्यक्ष, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण निर्माता संघ (सीईएएमए)	श्री सुनील वछाणी	सदस्य
33.	मुख्य वैज्ञानिक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई)	श्री एस. के. नेगी	सदस्य
34.	मुख्य परिचालन अधिकारी, उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक संगठन (वीओआईसीई)	श्री अमित चौहान	सदस्य
35.	महानिदेशक, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी)	डॉ. विभा धवन	सदस्य
36.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली	प्रो. रंगन बनर्जी	सदस्य
37.	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	श्री श्रीकांत नागुलापल्ली	पदेन सदस्य–सचिव

1.4 महानिदेशक की रिपोर्ट

- भारत, जो विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ने हाल के वर्षों में ऊर्जा की खपत में काफी वृद्धि देखी है। इस वृद्धि के लिए मुख्यरुप से कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जैसे कि लगातार आर्थिक विस्तार, सस्ती और सुलभ ऊर्जा, औद्योगीकरण में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास और तेजी से शहरीकरण।

- भारत ने ऊर्जा दक्षता पर अधिक ध्यान देने तथा समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ पेरिस समझौते के तहत रेखांकित महत्वाकांक्षी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

- सतत विकास के एक भाग के रुप में, ऊर्जा खपत की बढ़ती मांग को सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक, निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का उद्देश्य ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। यह कार्यक्रम देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा बचत की दिशा में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। अक्टूबर 2021 में 2022–23 से 2024–25 की अवधि के लिए पीएटी चक्र–VII को अधिसूचित किया गया था, जिसमें 8.485 एमटीओई के समग्र ऊर्जा बचत लक्ष्य के साथ 707 डीसी को अधिसूचित किया गया है। पीएटी योजना में भागीदारी के लिए 13 क्षेत्रों की 1333 इकाइयों को शामिल किया गया है।

- औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा पारगमन में तेजी लाने के उद्देश्य से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पीएटी योजना के विभिन्न हितधारकों के लिए "उपयोगकर्ता मैनुअल" विकसित किए हैं। प्रमुख हितधारकों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित उपयोगकर्ता मैनुअल निश्चित रुप से पीएटी योजना के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने में उपयोगी होंगे।

- एमएसएमई क्लस्टरों के ऊर्जा और संसाधन मानचित्रण के तहत, ब्यूरो ने तीन प्रमुख एमएसएमई क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक चयन किया हैः वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और चमड़ा। इस चयन में प्रत्येक क्षेत्र से पाँच क्लस्टर शामिल हैं, जिसका उद्देश्य एमएसएमई सुविधाओं के अन्तर्गत ऊर्जा खपत, तकनीकी स्थिति, परिचालन प्रथाओं और इसके प्रवाह पर विस्तृत सर्वेक्षण करना है। प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रवार ऊर्जा खपत बेंचमार्किंग स्थापित करना है। अब तक, ब्यूरो ने 11 एमएसएमई क्षेत्रों जैसे कि पेपर, फोर्जिंग, फाउंड्री, स्टील री–रोलिंग, फार्मा, केमिकल, कांच और रेफ्रैक्टरी, ईंटें, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और वस्त्र आदि में भारत भर में 55 क्लस्टरों के लिए ऊर्जा और संसाधन मानचित्रण पूरा कर लिया है।

- उपकरण क्षेत्र में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम उपभोक्ता को ऊर्जा गहन उपस्करों और उपकरणों के बारे में सूचित विकल्प प्रदान करने में बहुत सफल रहा है। सोलर फोटोवोल्टिक, पैकेज्ड बॉयलर, कमर्शियल बेवरेज कूलर और ग्रिड कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम वित्त वर्ष 2023–24 में शुरू किया गया। इन परिवर्धन के साथ, कार्यक्रम अब 38 उपकरणों को कवर करता है, जिनमें से 16 उपकरण अनिवार्य चरण के अंतर्गत हैं जबकि शेष 22 उपकरण स्वैच्छिक चरण के अंतर्गत हैं।

- भवन ऊर्जा क्षेत्र में, मार्च 2024 तक, 22 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को अपनाया है। विभिन्न राज्यों के 476 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने भवन स्वीकृति प्रक्रिया के लिए ईसीबीसी के प्रावधानों को शामिल किया है। वाणिज्यिक और आवासीय

भवन क्षेत्रों दोनों के लिए टिकाऊ सुविधाओं को शामिल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण और भवन संहिता (ईसीबीसी) को ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) में संशोधित किया जा रहा है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार की गति को तेज करने के उद्देश्य से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इस क्षेत्र में शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों, ऊर्जा सुरक्षा, ईंधन दक्षता आदि का समर्थन करने के लिए नीतिगत उपाय विकसित किए हैं। देश भर में सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रुप में पहचाना गया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की त्वरित स्थापना सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों को निर्धारित करने में विद्युत मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों की सहायता कर रहा है।

- विद्युत मंत्रालय ने 14 जनवरी 2022 को जारी दिशा–निर्देशों और मानकों के अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रुप में नामित किया है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को सार्वजनिक ईवी–चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करना आवश्यक है। वर्तमान में, 28 राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना की देखरेख के लिए राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) को नामित किया है। 31 मार्च, 2024 तक, 28 राज्यों ने अपनी ईवी नीतियों की घोषणा कर दी है।

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 14 दिसंबर, 2023 को 33वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थीं। प्रतियोगिता में 516 संगठनों ने भाग लिया।

- राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) की कार्यान्वयन शाखाएँ राज्य नामित एजेंसियाँ (एसडीए) हैं, जो ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को सुविधाजनक बनाने, बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए काम करती हैं। एसडीए ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर पंपिंग, इमारतों में बिजली के उपकरणों की रेट्रोफिटिंग और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति के क्षेत्रों में 26 प्रदर्शन परियोजनाओं को लागू किया। इसके अलावा, एसडीए ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सरकारी इमारतों में स्पेस हीटिंग और सरकारी अस्पतालों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छ/इलेक्ट्रिक कुकिंग पर प्रदर्शन परियोजनाओं को भी लागू किया।

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण और इसकी ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रयास कर रहा है। बेहतर पहुंच हासिल करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने एक मल्टीमीडिया एजेंसी को नियुक्त शामिल किया, जिसने आम जनता के लिए जागरुकता अभियान विकसित किया। अभियान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर में चलाया गया। स्कूली बच्चों में जागरुकता पैदा करने के लिए, राज्य द्वारा नामित एजेंसियों की मदद से ऊर्जा संरक्षण पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। उपकरणों की स्टार रेटिंग को बढ़ावा देने के लिए, 20 भाषाओं में "बचत के सितार" नामक रेडियो कार्यक्रम की एक श्रृंखला भी तैयार की जाती है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो (रेनबो एफएम और विविध भारती) के 30 स्टेशनों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, ब्यूरो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक अभियान चला रहा है।

- **वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ऊर्जा दक्षता योजना/कार्यक्रमों की उपलब्धियां**

- कुल विद्युत ऊर्जा बचत 306.55 बीयू प्रतिवर्ष।
- 24.68 मिलियन टन तेल समतुल्य तापीय ऊर्जा बचत।
- 50.98 मिलियन टन तेल समतुल्य कुल ऊर्जा बचत, यानी देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 6.65%।
- कुल ऊर्जा बचत से 1,94,320 करोड़ रुपये की मौद्रिक बचत हुई।
- सीओ2 उत्सर्जन में कुल समतुल्य कमी लगभग 306.40 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं

1.5.1 राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन मिशन (एनएमईईई) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है जिसे भारत सरकार द्वारा जून 2008 में जारी किया गया था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे नियम और नीतियां विकसित करना है जो ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत बनाने में सहायक हों। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एनएमईईई का जोर ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और क्षमता निर्माण और वित्तपोषण जैसे पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर पहल करके स्व–नियमन और बाजार सिद्धांतों पर है।

I. निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी)

इस मिशन में एक प्रमुख कार्यक्रम के रुप में निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना शामिल है जो ऊर्जा गहन क्षेत्रों में आवश्यक ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रणाली है। ऊर्जा गहन उद्योग क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड और मानक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चयनित ऊर्जा गहन संस्थाओं को कुछ प्रमुख क्षेत्रों में नामित उपभोक्ता (डीसी) के रुप में पहचाना जाता है, जिन्हें ऊर्जा संरक्षण (ईसी) अधिनियम, 2001 के तहत तैयार किए गए अधिसूचित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। ये मानदंड मुख्य रुप से सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) और रेलवे और डिस्कॉम जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए अन्य संबंधित मीट्रिक पर आधारित हैं।

इसमें आधारभूत वर्ष में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) आदि का मूल्यांकन और लक्ष्य वर्ष में अनुमानित एसईसी शामिल है, जिसमें संयंत्र की सीमा में जाने वाली निवल ऊर्जा के विभिन्न रुपों और एक विशेष चक्र में इसे छोड़ने वाले उत्पादों को शामिल किया गया है। पीएटी एक बहु–चक्रीय कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक चक्र 3 वर्ष का होता है जिसमें एसईसी कटौती लक्ष्य औद्योगिक इकाइयों को सौंपे जाते हैं जिन्हें नामित उपभोक्ता (डीसी) कहा जाता है।

चूंकि, पीएटी कार्यक्रम एक बाजार आधारित तंत्र है, इसलिए अतिरिक्त ऊर्जा बचत को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (इएससीईआरटीएस) नामक एक व्यापार योग्य लिखत में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका व्यापार पावर एक्सचेंजों में किया जा सकता है।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–I (2012–13 से 2014–15)

अपने पहले चक्र में निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार को 8 क्षेत्रों अर्थात एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर–अल्कली,

उर्वरक, लोहा और इस्पात, कागज और लुगदी, थर्मल पावर प्लांट और वस्त्र में 478 औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन की प्रति इकाई में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) यानी ऊर्जा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन 478 औद्योगिक इकाइयों को ऊर्जा दक्षता के अपने वर्तमान स्तरों के आधार पर नामित उपभोक्ता (डीसी) कहा जाता है, ताकि ऊर्जा दक्ष इकाईयों के पास कम प्रतिशत कमी का लक्ष्य हो, जबकि कम ऊर्जा दक्ष इकाईयों के पास उच्च लक्ष्य होंगे। समग्र एसईसी कटौती लक्ष्यों का लक्ष्य इन उद्योगों की कुल ऊर्जा खपत में 4.05% की कमी लाना था, जिससे कुल 6.686 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) की ऊर्जा बचत होगी। जो इकाइयां अपने लक्ष्यों से कम एसईसी स्तर प्राप्त करने में सक्षम थीं, उन्हें अपनी अतिरिक्त बचत के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससीआरटीएस) प्राप्त हो सकते हैं।

पीएटी चक्र–I मार्च, 2015 में पूरा हो गया था, जिसके बाद डीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्पादन मूल्यांकन दस्तावेजों (पीएडी) की जांच ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा की गई थी। पीएटी चक्र–I के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप 8.67 एमटीओई की ऊर्जा बचत हुई, जिसका अर्थ यह है कि लगभग 31 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन कम हुआ।

ईस्ट्र्स (इएससीईआरटीएस) का व्यापारः

विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त ऊर्जा बचत के लिए 306 नामित उपभोक्ताओं (पीएटी चक्र–II के डीसी) को लगभग 38.25 लाख ईस्ट्र्स जारी किए थे और पीएटी चक्र–I के 110 डीसी ऊर्जा बचत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी कमी को पूरा करने के लिए लगभग 14.25 लाख ईस्ट्र्स खरीदने के हकदार थे। पावर एक्सचेंज में ईस्ट्र्स का व्यापार सितंबर, 2017 में शुरू हुआ था। व्यापार किए गए ईस्ट्र्स की कुल मात्रा लगभग 12.98 लाख थी, जिसके परिणामस्वरुप लगभग 100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–II

"गहनता" – मौजूदा क्षेत्रों में नए डीसी की पहचान और "विस्तृतीकरण" – नए क्षेत्रों को शामिल करना, पीएटी के दूसरे चक्र की शुरुआत से पहले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया था। गहनता अध्ययन के परिणामस्वरुप पीएटी के मौजूदा क्षेत्रों से 89 नए डीसी की पहचान हुई। व्यापक अध्ययन के परिणामस्वरुप पीएटी योजना के तहत रिफाइनरी, रेलवे और डिस्कॉम जैसे तीन नए क्षेत्रों की अधिसूचना हुई। 11 ऊर्जा गहन क्षेत्रों (आठ मौजूदा क्षेत्र और तीन नए क्षेत्र) से 621 डीसी को ऊर्जा खपत लक्ष्य अधिसूचित किए गए। पीएटी चक्र–II 1 अप्रैल, 2016 से शरू हुआ और 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ। पीएटी चक्र–II के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप लगभग 14.08 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत हुई, जिससे लगभग 68 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन कम हुआ।

ईस्ट्र्स का व्यापारः विद्युत मंत्रालय ने 349 डीसी को लगभग 57.38 लाख ईस्ट्र्स जारी किए तथा 193 डीसी को पी.ए.टी. चक्र–II के अंतर्गत 37.06 लाख ईस्ट्र्स खरीदने का निर्देश दिया गया। 40 सत्रों में लगभग 300 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिसमें 18.86 लाख ईस्ट्र्स का कारोबार हुआ।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–III

ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के तहत जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी समिति और सचिवों के समूह ने त्वरित कवरेज के लिए सालाना पीएटी योजना के तहत डीसी को अधिसूचित करने की सिफारिश की। इस प्रकार, पीएटी योजना को एक रोलिंग चक्र के आधार पर लागू किया जा रहा है, जहाँ हर साल नए डीसी/सेक्टर अधिसूचित किए जाते हैं। चूंकि पीएटी योजना

को पीएटी–II से रोलिंग चक्र के तहत रखने का निर्णय लिया गया था, इसलिए 31 मार्च, 2017 को पीएटी चक्र–III को अधिसूचित किया गया था। पीएटी चक्र–III से 1.06 एमटीओई की कुल ऊर्जा खपत में कमी आने की उम्मीद है, जिसके लिए छह क्षेत्रों से 116 नामित उपभोक्ताओं को लक्ष्य अधिसूचित किए गए हैं। थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एल्युमीनियम, पल्प और पेपर, आयरन और स्टील तथा टेक्सटाइल। पीएटी चक्र–III 31 मार्च 2020 को पूरा हो गया। पीएटी चक्र–III के कार्यान्वयन से लगभग 1.594 एमटीओई की ऊर्जा बचत हुई है और इसी के अनुरुप 5.59 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी आई है।

ईस्ट्र्स का व्यापारः विद्युत मंत्रालय ने 75 डीसी को लगभग 7.44 लाख ईस्ट्र्स जारी किए हैं तथा 20 डीसी को पी.ए.टी. चक्र–III के अंतर्गत 1.13 लाख ईस्ट्र्स खरीदने का निर्देश दिया गया है। संबंधित चक्र व्यापार 9 अप्रैल 2024 को शुरू हो गया है।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–IV

पीएटी का चौथा चक्र 28 मार्च 2018 को अधिसूचित किया गया था। कुल 106 डीसी को 0.6998 मिलियन टन तेल समतुल्य की कुल ऊर्जा खपत में कमी के लक्ष्य के साथ अधिसूचित किया गया था। ये डीसी 8 क्षेत्रों से थे जिनमें पीएटी चक्र–I के 6 मौजूदा क्षेत्र और दो नए क्षेत्र (पेट्रोकेमिकल्स और बिल्डिंग) शामिल थे। पीएटी चक्र–IV का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 22 में पूरा हो गया है। 0.701 मिलियन टीओई के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 0.7508 एमटीओई की ऊर्जा बचत हासिल की गई है।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–V

पीएटी चक्र–V 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था। पीएटी चक्र–V के तहत, पीएटी के मौजूदा क्षेत्रों यानी एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर–अल्कली, वाणिज्यिक भवन (होटल), लोहा और इस्पात, लुगदी और कागज, कपड़ा और थर्मल पावर प्लांट से 110 डीसी को 0.5130 (एमटीओई) के कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य के साथ अधिसूचित किया गया था और लगभग 0.6809 एमटीओई की ऊर्जा बचत हासिल की गई है।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–VI

पीएटी चक्र–VI की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से हुई थी। पीएटी चक्र– VI के तहत, छह क्षेत्रों यानी सीमेंट, वाणिज्यिक भवन (होटल), लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी और कागज़ और कपड़ा से 135 डीसी को अधिसूचित किया गया था। पीएटी चक्र– VI के कार्यान्वयन से 1.277 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत हासिल करने की उम्मीद है।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–VII

पीएटी चक्र–VII को वित्त वर्ष 2022–23 से 2024–25 की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था, जिसमें 707 डीसी को निम्नलिखित 9 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में 8.485 एमटीओई के समग्र ऊर्जा बचत लक्ष्य के साथ अधिसूचित किया गया है, अर्थात एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर–अल्कली, लोहा और इस्पात, लुगदी और कागज, कपड़ा, थर्मल पावर प्लांट, रेलवे और डिस्कॉम।

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार चक्र–VIII

पीएटी चक्र–VIII को 2023–24 से 2025–26 की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है। पीएटी चक्र–VIII के तहत, एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर–अल्कली, आयरन एवं स्टील, लुगदी और कागज तथा टेक्सटाइल क्षेत्रों से 138 डीसी को 0.3370 एमटीओई के कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य के साथ अधिसूचित किया गया है।

विभिन्न पीएटी चक्रों के अंतर्गत अधिसूचित डीसी की कुल संख्या का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षेत्र / डीसी की संख्या	पीएटी चक्र								कुल अधिसूचित डीसी
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
वि. वर्ष	12-15	16-19	17-20	18-22	19-22	20-23	22-25	23-26	
एल्युमिनियम	10	12	1	-	1	-	12	1	14
सीमेंट	85	111	14	1	12	37	120	25	200
क्लोर–अल्कली	22	24	-	2	2	-	24	1	29
उर्वरक	29	37	-	-	-	-	0	-	37
लोहा और इस्पात	67	71	29	35	23	5	134	66	270
कागज़ और लुगदी	31	29	1	2	8	2	24	7	55
वस्त्र	90	99	34	7	16	7	120	38	206
थर्मल पावर प्लांट	144	154	37	17	17	-	152	-	239
रिफाइनरी	-	18	-	-	-	20	0	-	20
रेलवे	-	22	-	-	-	-	26	-	26
डिस्कॉम	-	44	-	-	-	-	95	-	96
पेट्रोकेमिकल	-	-	-	8	-	-	0	-	8
भवन	-	-	-	37	31	64	0	-	133
कुल	478	621	116	109	110	135	707	138	1333

पीएटी योजना ऊर्जा बचत का सारांश:

पीएटी योजना ने पर्याप्त ऊर्जा बचत हासिल करने और ऊर्जा–गहन क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। पीएटी चक्र–V के अंत तक, योजना ने 22.63 एमटीओई के लक्ष्य को पार करते हुए लगभग 25.77 एमटीओई की संचयी ऊर्जा बचत सफलतापूर्वक प्रदान की है। यह उपलब्धि लगभग 110 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी से मेल खाती है।

पीएटी योजना के तहत नए क्षेत्रों को शामिल करना:

पीएटी योजना के तहत 13 नए ऊर्जा गहन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जून 2023 में एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें क्षेत्रीय ऊर्जा सीमा स्तर शामिल थे, अर्थात् चीनी, रसायन, सिरेमिक, ग्लास, जस्ता, तांबा, डेयरी, पोर्ट ट्रस्ट, ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट, टायर निर्माता, फोर्जिंग, फाउंड्री और रेफ्रेक्ट्रीज।

इन अधिसूचित क्षेत्रों को उनकी ऊर्जा बचत क्षमता और अन्य प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर पीएटी योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

II. उत्कृष्टता केंद्र (उत्प्रेरक) की स्थापना:

एनपीटीआई बदरपुर में उत्प्रेरक (उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र) की स्थापना की गई है, जिसे एआईटीडीसी (एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर) के नाम से भी जाना जाता है। यहां सीमेंट क्लोर–अल्कली, आयरन एंड स्टील, पल्प एंड पेपर और टेक्सटाइल जैसे 5 क्षेत्रों में 13 तकनीकों

को उनके मॉडलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, ताकि भारत में ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस केंद्र का उद्घाटन जून 2023 में किया गया था। सीमेंट, टेक्सटाइल और पल्प एंड पेपर उद्योग के प्रतिनिधियों के लिए केंद्र में तीन क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अन्य क्षेत्रों, एसडीए, एईए के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं।

III. डीईईपी (ऊर्जा दक्ष परियोजना का प्रदर्शन):

ऊर्जा दक्ष परियोजना (डीईईपी) का प्रदर्शन ईईएसएल को सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 27 नामित उपभोक्ता इकाइयों में 8 ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। डीईईपी के अंतर्गत ईईएसएल और 16 पीएटी नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां डीसी के परिसर में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्षन किया जाएगा।

IV. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सह प्रदर्शन परियोजना के लिए आईआईटी–रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लुगदी और कागज क्षेत्र के लिए, इसी तरह की अनुसंधान एवं विकास सह प्रदर्शन परियोजना शुरू की गई है और डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों पर सीमेंट क्षेत्र में 03 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनसीसीबी, बल्लभगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

V. नेट–जीरो प्रतिबद्धताएँ:

ग्लासगो में आयोजित सीओपी–26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंचामृत में से एक यह है कि भारत 2070 में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। भारत को नेट जीरो बनाने में उद्योग जगत की अहम भूमिका है। इस संबंध में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा गहन क्षेत्रों के डीसी और उच्च ऊर्जा खपत वाले अन्य उद्योग/प्रतिष्ठानों को नेट–जीरो प्रतिबद्धता समयसीमा और संभावित गतिविधियों को साझा करने के लिए लिखा है। सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं।

VI. भारतीय कार्बन बाज़ार का शुभारंभ:

भारत के संवर्धित एनडीसी लक्ष्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए, सरकार भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित करना चाहती है, जिसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करना है।

कार्बन बाजार विकसित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) में वर्ष 2022 में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए गए। संशोधित अधिनियम में प्रावधान को परिभाषित किया गया है, जो केंद्र सरकार को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खंड (डब्ल्यू) के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

उपरोक्त प्रावधान के तहत, केंद्र सरकार ने अधिसूचना का.आ.2825(अ.), दिनांक 28 जून 2023 और संशोधन अधिसूचना का.आ.5369(अ.), दिनांक 19 दिसंबर 2023 के माध्यम से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया।

केंद्र सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय

संचालन समिति (एनएससीआईसीएम) का गठन किया है। एनएससीआईसीएम आईसीएम के कामकाज की देखरेख करेगी। समिति में विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित संगठनों के सदस्य शामिल हैं, जिनकी अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के सचिव और सह–अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव करेंगे।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) दो तंत्रों को परिभाषित करती है, अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। आईसीएम फ्रेमवर्क के अनुपालन तंत्र के तहत, केंद्र सरकार पंजीकृत संस्थाओं को बाध्य संस्थाओं के रुप में निर्दिष्ट करेगी। बाध्य संस्थाएँ सीसीटीएस के प्रत्येक अनुपालन वर्ष में निर्धारित जीएचजी उत्सर्जन में कमी के मानदंडों का अनुपालन करेंगी। ऑफसेट तंत्र के तहत, गैर–बाध्य संस्थाएँ पात्रता आवश्यकताओं की पूर्ति पर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जीएचजी उत्सर्जन में कमी या हटाने या परिहार के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं।

VII. ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम का वित्तपोषण (एफईईपी):

एनएमईईई कार्यक्रम के तहत ऊर्जा दक्षता के लिए वित्तपोषण तंत्र को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए इस अम्ब्रेला कार्यक्रम एफईईपी को बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह अम्ब्रेला कार्यक्रम 'ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (ईईएफपी)' और 'ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास के लिए रुपरेखा (एफईईईडी)' को कवर करेगा।

क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ईई वित्तपोषण में तेजी लाने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा केंद्र स्थापित किया है और अब तक निम्नलिखित परिणाम सामने आए है:

एफआई, उद्योग और एसडीए को एक साझा मंच पर लाने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया

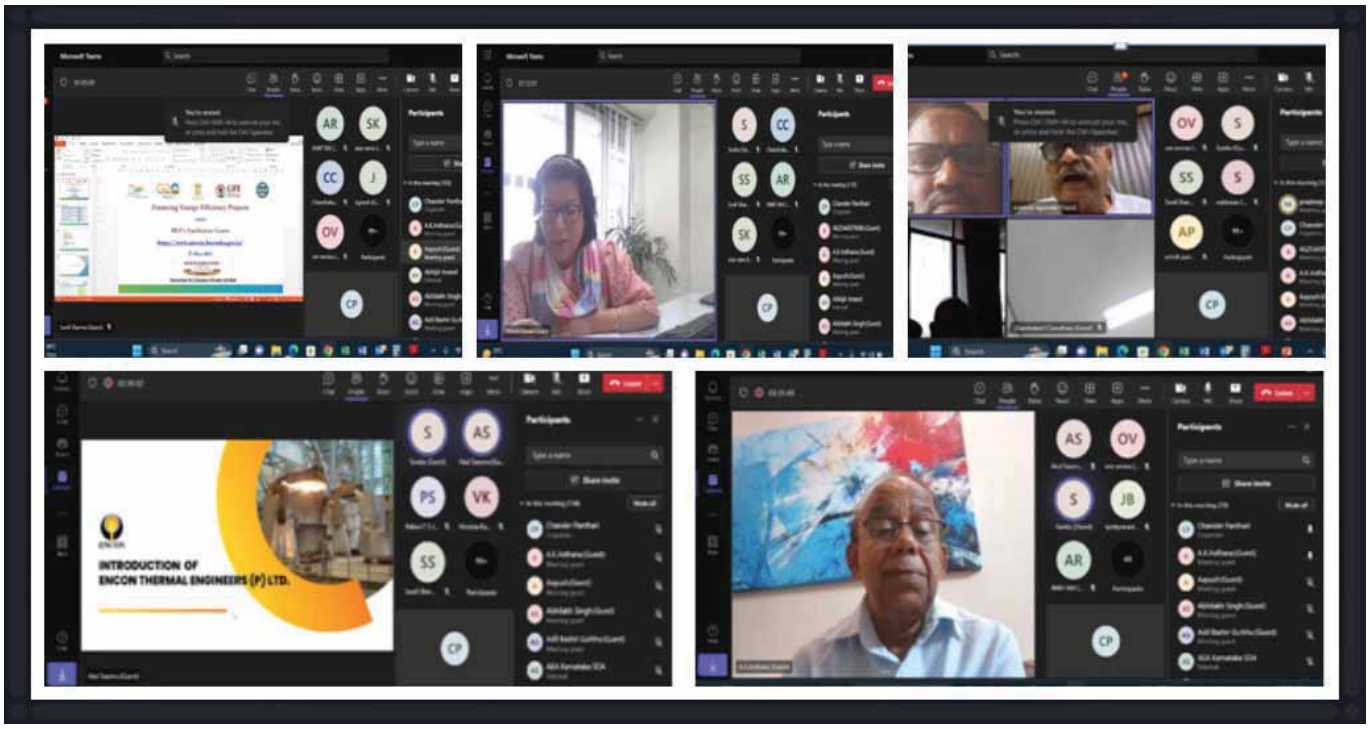

निवेश बाजार कार्यक्रम की तस्वीरें

ख) ईईएफपी के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ओईएम, ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों (एफआई), एमएसएमई, बड़े उद्योगों और परियोजना डेवलपर्स के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु निवेश बाजार का शुभारंभ किया।

इस पहल के तहत, प्रत्येक राज्य को राज्य में ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए "निवेश बाज़ार" आयोजित करना आवश्यक है। ओईएम और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार में विभिन्न ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ वित्तीय उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए कुछ स्टॉल लगाए जाते हैं।

मार्च 2024 तक, एसडीए ने 2300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत के साथ 37 निवेश बाजार कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

विभिन्न राज्यों में आयोजित निवेश बाजार कार्यक्रमों की तस्वीरें

ग). ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अक्टूबर 2022 में ईई फाइनेंसिंग सेल की स्थापना और इस सेल के लिए जनशक्ति सहायता प्रदान करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2024 तक, इस सेल ने 4 ईई परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है और प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भी भाग लिया है।

घ). ईई वित्तपोषण पर वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः जून 2015 में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण पर वित्तीय संस्थानों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने चरण (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) के साथ प्रशिक्षण कार्यशालाएँ शुरू कीं। व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए चरण III 2017 से 2018 के दौरान पूरा किया गया। चरण प्प् में , एनपीटीआई ने ईई वित्तपोषण पर एफआई के लिए छह प्रशिक्षण कार्यशालाएँ (नवंबर 2022 से मार्च 2023) पूरी कीं और 140 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से 76 बैंकों/एनबीएफसी के कुल 826 प्रतिभागियों ने ईई वित्तपोषण पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ङ). ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की ग्रेडिंग पर कार्यक्रम जुलाई 2021 में शुरू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ग्रेडिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीआरआईएसआईएल और एसएमईआरए को पैनल में शामिल किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पहले 100 ग्रेडेड और साथ ही वित्तपोषित ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं की ग्रेडिंग फीस की प्रतिपूर्ति के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। अब तक सीआरआईएसआईएल ने ईई परियोजनाओं के लिए 3 ग्रेडिंग रिपोर्ट तैयार की हैं, जिन्हें एसआईडीबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। सुविधा केंद्र के साथ पंजीकृत एफआई ग्रेडिंग शुल्क की इस प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। ऊर्जा दक्षता

ब्यूरो ने इस पहल के लिए आईआरईडीए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक और एसआईडीबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

च). विद्युत मंत्रालय ने ई–ई– वित्तपोषण के लिए पी–एफ–सी– को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया है और जुलाई 2022 में उनके द्वारा एक ई.ई. वित्तपोषण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। मई 2024 तक पी–एफ–सी– द्वारा 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

छ). ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मिलकर 'भारत में ऊर्जा दक्षता जोखिम–मुक्त उपकरणः ऊर्जा बचत बीमा (ईएसआई) और अन्य उपकरणों की भूमिका' विषय पर कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में भारत के सतत विकास एजेंडे में ऊर्जा दक्षता के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया गया, जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की। विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की तीव्रता बढ़ाने पर पूरी तरह ध्यान देने के साथ, कार्यशाला ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन साधनों, विशेष रूप से 2014 में इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा अग्रणी ऊर्जा बचत बीमा (ईएसआई) मॉडल की खोज की। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) और अपडेटेड फर्स्ट नेशनलली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) में उल्लिखित भारत के उद्देश्यों के लिए इसकी वैश्विक मान्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए, कार्यशाला के प्रमुख परिणामों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने, विशेष रूप से नीति एकीकरण के माध्यम से, वित्तीय घाटे से बचाव में ईएसआई मॉडल की प्रभावकारिता और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता पहलों के साथ जोखिम कम करने वाले साधनों के रणनीतिक संरेखण के बारे में जानकारी शामिल थी। निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना से जुड़ी चर्चाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी ने ऊर्जा दक्षता प्रयासों की सफलता के लिए आवश्यक सहयोगी प्रयास को रेखांकित किया, जिसमें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और उद्योगों जैसे भागीदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऊर्जा दक्षता डिरिस्किंग इंस्ट्रूमेंट पर कार्यशाला की तस्वीरें

ज) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 11 जुलाई 2023 को जीआईजेड इंडिया के साथ मिलकर देश में "ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को बढ़ाने" पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में विचार–विमर्श एनडीसी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण तंत्र की खोज करके और उद्योगों के लिए व्यवहार्य डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों और ऊर्जा दक्ष तकनीकों की खोज करके

भारत को कार्बन तटस्थ बनाने पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में महानिदेशक–ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने डीएफएस, जीआईजेड, केएफडब्ल्यू, सिडबी और पीएफसी के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण योजनाओं पर दो विवरणिका (ब्रोशर) लॉन्च किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्चाधिकारीगण

झ). आंशिक जोखिम साझाकरण सुविधा (पीआरएसएफ) का उद्देश्य पात्र ऊर्जा दक्षता उप–परियोजनाओं को ऋण देने में भागीदार वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले डिफ़ॉल्ट जोखिम के एक हिस्से को कवर करने के लिए आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करना है। विश्व बैंक इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसे स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) पीआरएसएफ की सलाहकार समिति की सह–अध्यक्षता कर रहा है और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता के लिए इस कार्यक्रम को नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है। सिडबी इस कार्यक्रम के लिए परियोजना निष्पादन एजेंसी है। सहभागी वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) द्वारा दिए गए प्रत्येक ऊर्जा बचत ऋण को 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए आंशिक रुप से गारंटी दी जाती है, जिसमें ऋण राशि का 40–75% या प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये की गारंटी कवरेज होती है। आज तक 15 बैंक/एनबीएफसी हैं जो पीआरएसएफ के लिए सिडबी के साथ पहले से ही सूचीबद्ध हैं। पीआरएसएफ के तहत 131.93 मिलियन अमरीकी डॉलर (85,771 लाख रुपये) की 79 ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को 58.24 मिलियन अमरीकी डॉलर (51,044 लाख रुपये) की कुल गारंटी कवरेज के साथ समर्थन दिया जा रहा है।

1.5.2 ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)

I. वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)।

भारत में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ऊर्जा के दक्ष उपयोग से संबंधित सभी पहलों को विनियमित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और इसमें ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) शामिल है। भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए भवन ऊर्जा कोड को एक नियामक उपाय के रुप में अपनाया गया है।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड या 120 केवीए

या उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करती है। कोड का प्रभावी कार्यान्वयन निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों और दिन के उजाले एकीकरण को अपनाकर रहने वालों को आराम प्रदान करता है। यह तकनीकी रुप से तटस्थ है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देता है और भवन के जीवन चक्र लागत पर भी जोर देता है। ऊर्जा संरक्षण और भवन संहिता (ईसीबीसी) को वाणिज्यिक और आवासीय भवन क्षेत्रों दोनों के लिए टिकाऊ सुविधाओं को शामिल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) में संशोधन के अधीन है। ईसीएसबीसी में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, अनुपालन में आसानी, निष्क्रिय भवन डिजाइन रणनीतियों को शामिल करना, टिकाऊ साइट योजना, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, इनडोर वायु गुणवत्ता और डिजाइनरों के लिए लचीलापन जैसी अतिरिक्त प्राथमिकताएँ होंगी।

इसमें वृद्धिशील ऊर्जा दक्षता निष्पादन स्तर होंगे, अर्थात ईसीएसबीसी, ईसीएसबीसी प्लस, सुपर ईसीएसबीसी।

कोड के माध्यम से भवन के जिन प्रमुख घटकों पर ध्यान दिया जा रहा है, वे हैं: आवरण (दीवारें, छत, खिड़कियां), प्रकाश व्यवस्था, एचवीएसी प्रणाली, जल तापन, जल पम्पिंग विद्युत शक्ति प्रणाली और नवीकरणीय, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और इनडोर वायु गुणवत्ता।

भवन ऊर्जा संहिता जलवायु के प्रति संवेदनशील भवनों पर आधारित है जो स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु परिस्थितियों का अपने लाभ के लिए उपयोग करती हैं। ईसीबीसी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के कई उद्देश्यों का समर्थन करता है। भवन निर्माण को निर्देशित करने के लिए एक प्राथमिक नीति चालक के रुप में, यह एक दूरदर्शी संहिता है और भवन क्षेत्र को शून्य ऊर्जा लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को इमारतों में ऊर्जा के दक्ष उपयोग और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से जोड़ा गया है। ईसीबीसी भवन क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता को कम करने का साधन है।

ईसीबीसी के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) ने कई सक्षम उपाय किए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं: सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बिल्डिंग सेल का निर्माण, तकनीकी संदर्भ सामग्री का विकास, अनुपालन जांच उपकरण, मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल, राज्यों में सुपरईसीबीसी डेमो बिल्डिंग परियोजनाएं आदि।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ईसीबीसी प्रकाशित किया है, जबकि कोड का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन है। कोड और नियमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उचित रुप से संशोधित किया जाता है और फिर वर्तमान भवन अनुमोदन प्रक्रिया के साथ एकीकरण की प्रक्रिया की जाती है, जो बाद में उक्त क्षेत्राधिकार में कोड के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है।

माननीय प्रधानमंत्री के लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) अभियान के वैश्विक शुभारंभ को ध्यान में रखते हुए, 'ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)' के दायरे को अक्षय ऊर्जा और टिकाऊ भवन अवधारणा को शामिल करने के लिए व्यापक बनाने का प्रस्ताव है। इसका नाम बदलकर ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता (ईसीएसबीसी) भी किया जाएगा। साथ ही, यह भी प्रस्तावित है कि ईसीएसबीसी को संबंधित राज्य सरकारों के भवन उपनियमों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

ईसीबीसी के लिए नियामक ढांचा:

- 2023–24 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 25 बिल्डिंग सेल काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बिल्डिंग ऊर्जा दक्षता योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ये सेल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईसीबीसी और ईएनएस से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करते हैं।
- राजस्थान और चंडीगढ़ द्वारा ईसीबीसी नियम और ईसीबीसी 2017 को अधिसूचित किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर ईसीबीसी और नियम अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। मार्च, 2024 तक 22 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने ईसीबीसी को अधिसूचित किया है।
- ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्री/प्रौद्योगिकियों को सीपीडब्ल्यूडी की दर अनुसूची (एसओआर) में शामिल करना: मसौदा दस्तावेज (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल) तैयार किया गया और सीपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत किया गया। मसौदा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा टिप्पणियों/इनपुट के लिए अपने क्षेत्र सर्वेक्षण अधिकारियों के साथ साझा किया गया।

- **क्षमता निर्माण**
  - राज्य अधिकारियों और भवन हितधारकों के साथ ईसीएसबीसी–वाणिज्यिक और आवासीय के मसौदे पर चर्चा करने के लिए 4 क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई।
  - एसडीए अधिकारियों, बिल्डिंग सेल सलाहकारों, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और बिल्डिंग हितधारकों के लिए 'भारत में ऊर्जा दक्ष आवासीय भवनों के लिए ईकोनिवास टूल' पर वेबिनार आयोजित किया गया। 2023–24 में, 272 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 10,662 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **ईसीबीसी कार्यान्वयन और अनुपालन:**
  - ईसीबीसी का कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। इन राज्यों के अंतर्गत लगभग 476 यूएलबी को कवर किया गया है।
  - 2023–24 में, 1326 भवनों को डिजाइन चरण में यूएलबी/एसडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये भवन 6 राज्यों में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं:

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	ईसीबीसी अनुपालक भवनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	381
2	हरियाणा	16
3	केरल	39
4	लद्दाख	10
5	पंजाब	556
6	तेलंगाना	121
7	उत्तर प्रदेश	203
कुल		1326

- **भवन परियोजनाओं में ईसीबीसी अनुपालन का प्रायोगिक प्रदर्शनः**
  - ईसीबीसी प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। देश भर में ईसीबीसी अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की इमारतों के लिए लगभग 96 भवन परियोजनाओं को समर्थन दिया गया।
  - ईएनएस प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। देश भर में ईएनएस अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में लगभग 39 आवासीय भवन परियोजनाओं को समर्थन दिया गया।

II. आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता

आवासीय भवनों की संख्या में तेजी से वृद्धि के साथ–साथ स्थान कंडीशनिंग के लिए बिजली के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरुप आवासीय भवनों में बिजली के उपयोग में तेजी से वृद्धि हो रही है। नीति आयोग द्वारा किए गए अनुमान से संकेत मिलता है कि आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की खपत 2047 तक 6–13 गुना बढ़ने की उम्मीद है। शहरी मध्यम आय वाले अपार्टमेंट के नमूने से एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि थर्मल कम्फर्ट प्रदान करने के लिए बिजली वार्षिक बिजली खपत का 30–60% योगदान देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू थर्मल कम्फर्ट है, जो सभी प्रकार के आवासों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किफायती आवास के मामले में और भी अधिक, ताकि रहने वालों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आवासीय भवन ऊर्जा संरक्षण कोड के विकास के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण की परिकल्पना की

इको–निवास संहिता 2018 (भाग–I)

इको निवास संहिता (ईएनएस), भाग–I बिल्डिंग एनवेलप (आवासीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता) को तैयार किया गया और 2018 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन और दिन के उजाले को सुनिश्चित करते हुए ऊष्मा लाभ (शीतलन प्रधान जलवायु के लिए) और ऊष्मा हानि (गर्मी प्रधान जलवायु के लिए) को सीमित करने के लिए न्यूनतम भवन एनवेलप प्रदर्शन मानक निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया है। यह कोड उन सभी आवासीय उपयोग वाली बिल्डिंग परियोजनाओं पर लागू है जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक है, या अनुबंध मांग 120 केवीए या उससे अधिक है।

इको–निवास संहिता 2021 (भाग–II)

इको निवास संहिता 2021 (कोड अनुपालन और भाग– II: इलेक्ट्रो–मैकेनिकल और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली) एक कोड है जो भवन सेवाओं, इनडोर विद्युत अंत–उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए कोड अनुपालन दृष्टिकोण और न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।

2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के साथ, आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाया गया है और टिकाऊ भवनों की ओर इसका दायरा बढ़ाया गया है।

वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग और नेट जीरो और नेट पॉजिटिव ऊर्जा भवनों के लिए शून्य लेबलिंगः

व्यावसायिक भवनों की स्टार रेटिंग 2009 में कार्यालय भवनों के लिए शुरू की गई थी और बाद में तीन और प्रकारों को इसके दायरे में शामिल किया गया जैसे कि बीपीओ, अस्पताल और शॉपिंग मॉल। इसके दायरे को और व्यापक बनाने के लिए, आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल 2019 में शुरू किया गया और दिसंबर 2021 में "नेट जीरो और नेट पॉजिटिव ऊर्जा भवनों के लिए शून्य लेबलिंग" शुरू की गई।

कार्यालय भवनों और बीपीओ के लिए मौजूदा स्टार रेटिंग कार्यक्रम को संशोधित किया गया है और यह 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। मार्च 2023–24 तक 342 भवनों को स्टार रेटिंग प्रमाणपत्र और 33 भवनों को शून्य लेबल प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

1.5.3 परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता

सीमित घरेलू पेट्रोलियम संसाधनों के कारण आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रुस के बाद भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उपभोक्ता है। देश की ऊर्जा मांग में इसकी गतिशील आर्थिक वृद्धि और आधुनिकीकरण के कारण वृद्धि जारी है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% बढ़ी है जो 200 एमएमटी से अधिक है जिससे तेल आयात पर काफी खर्च होता है।

भारत में जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग और तेजी से बढ़ते मोटर वाहन बेड़े को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2022 तक आयात में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानदंडों के विकास पर काम कर रहा है, जिससे ईंधन की बढ़ती मांग को नियंत्रित किया जा सके।

I. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ईंधन दक्षता कार्यक्रमः

परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1) अप्रैल 2015 में यात्री कारों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (सीएएफई) मानदंड अधिसूचित किए गए और 2017–18 में मानदंडों के चरण–I को लागू किया गया। 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले मानदंडों के दूसरे चरण के लिए वाहन आकार के औसत मूल्य को संशोधित करने के लिए दिसंबर 2021 में मानदंडों में संशोधन किया गया।

2) इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी), मानेसर की रिपोर्टिंग के अनुसार, सभी निर्माताओं ने चरण–I के तहत सभी पाँच रिपोर्टिंग अवधियों में कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों का अनुपालन किया है।

3) कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के बाद, आगामी चरणों के लिए मानदंड तैयार करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। हालाँकि, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बाज़ार परिवर्तन और प्रौद्योगिकी प्रवेश को देखते हुए, अगले चरण के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों को तैयार करने से पहले एक अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई।

4) ईंधन दक्षता मानदंडों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 में ईंधन दक्षता मानदंडों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान पेश किया गया। अनुपालन न करने पर प्रति वाहन 25000 रुपये से 50000 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

5) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अगले चरण के लिए सीएएफई मानदंडों के विकास और दूसरे चरण के मानदंडों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा सीएएफई मानदंडों के संबंध में वाहन निर्माताओं के मुद्दों के समाधान के लिए महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

6) 12 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले भारी वाहनों के लिए निरंतर गति ईंधन खपत (सीएसएफसी) मानदंड अगस्त 2017 में अधिसूचित किए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सुरक्षित धुरा भार सीमाओं के समायोजन के कारण इसे 21 सितंबर 2020 को संशोधित किया गया था।

7) 3.5 टन से 12 टन के बीच सकल वाहन भार वाले हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए निरंतर गति ईंधन खपत (सीएसएफसी) मानदंड जुलाई 2019 में अधिसूचित किए गए थे।

हेवी–ड्यूटी फ्यूल इकॉनमी (एचडीएफई) और लाइट एंड मीडियम ड्यूटी फ्यूल इकॉनमी (एलएमडीएफई) मानदंड पहले बीएस–IV अनुपालित वाहनों के लिए अधिसूचित किए गए थे। बीएस–VI अनुपालित वाहनों के लिए, पीसीआरए के ईडी की अध्यक्षता में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा गठित एक तकनीकी समिति द्वारा एक सुधार कारक तैयार किया गया है जिसमें एसआईएएम, आईसीएटी, एआरएआई के सदस्य और प्रमुख वाहन निर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। दोनों मानदंडों का पहला चरण 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है।

8) वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानकों के विकास के साथ, टायरों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम भी विकसित किया गया है। 14 दिसंबर 2021 को एनईसीए कार्यक्रम में माननीय विद्युत और एनआरई मंत्री द्वारा टायरों की स्टार लेबलिंग के स्वैच्छिक चरण का शुभारंभ किया गया। विचार–विमर्श के आधार पर, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने स्वैच्छिक चरण को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है।

II. ई–गतिशीलता

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 14 जनवरी 2022 को जारी दिशा–निर्देशों और मानकों के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रुप में नामित किया है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को सार्वजनिक ईवी–चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तैनाती के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करना आवश्यक है। वर्तमान में, 27 राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तैनाती की देखरेख के लिए राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) को नामित किया है। एसएनए और राज्यों की सूची इस प्रकार है:

1.	आंध्र प्रदेशः आंध्र प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी)
2.	गुजरातः गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए)
3.	हिमाचल प्रदेशः हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा विकास एजेंसी)
4.	कर्नाटकः बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बीईएससीओएम)

5.	मेघालयः मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमईपीडीसीएल)
6.	मिजोरमः विद्युत एवं ऊर्जा विभाग, मिजोरम सरकार
7.	ओडिशाः ई.आई.सी. (विद्युत)–सह–पीसीईआई ओडिशा, भुवनेश्वर
8.	पंजाबः पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल)
9.	राजस्थानः जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)
10.	उत्तराखंडः उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	तेलंगानाः तेलंगाना राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (टीएसआरईडीसीओ)
12.	पश्चिम बंगालः पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)
13.	दिल्लीः दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)
14.	लक्षद्वीपः लक्षद्वीप ऊर्जा विकास एजेंसी (एलईडीए)
15.	केरलः केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबी)
16.	मध्य प्रदेशः एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड।
17.	हरियाणाः परिवहन विभाग, हरियाणा
18.	अंडमान एवं निकोबारः परिवहन निदेशालय
19.	सिक्किमः विद्युत विभाग, सिक्किम
20.	अरुणाचल प्रदेशः केंद्रीय विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभाग, ईटानगर
21.	बिहारः परिवहन विभाग, पटना
22.	तमिलनाडुः तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23.	पुडुचेरीः विद्युत विभाग
24.	छत्तीसगढ़ः परिवहन विभाग
25.	चंडीगढ़ः चंडीगढ़ अक्षय ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (सीआरईएसटी)
26.	उत्तर प्रदेशः अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी
27.	महाराष्ट्रः महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो राज्य नोडल एजेंसियों और पीएसयू सहित राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं के साथ मिलकर "गो इलेक्ट्रिक" अभियान को लागू कर रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो राज्य स्तर पर इस अभियान को लागू करने में एसएनए की सहायता कर रहा है। अभियान का विवरण इस रिपोर्ट के जागरुकता खंड में दिया गया है।

गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत, राज्यों द्वारा 43 वेबिनार, 49 ईवी रोड शो और 24 अन्य जागरुकता गतिविधियां जैसे रेडियो जिंगल, पोस्टर/पत्रक वितरण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरुकता, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित किए गए हैं।

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इन 9 शहरों में ईवी एक्सेलेरेटर सेल के निर्माण का समर्थन कर रहा है ताकि संबंधित राज्य के लिए एकल खिड़की इकाई के रुप में कार्य करके ई–मोबिलिटी से संबंधित केंद्रित गतिविधियों को लागू किया जा सके। ईवी एक्सेलेरेटर सेल वर्तमान में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल,

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्य में चालू हैं।

- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक देश के विभिन्न स्थानों पर 16,348 सार्वजनिक ईवी–चार्जिंग स्टेशन लगा दिये गये।
- माननीय विद्युत और एनआरई मंत्री ने 1 मार्च, 2024 को भारतीय ई–मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट 'ईवी डाइजेस्ट' नामक वार्षिक प्रकाशन लॉन्च किया।
- 1 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर ईवी, बैटरी, चार्जर आदि सहित ई–मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

1.5.4 मानक और लेबलिंग योजना

मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम को उपभोक्ताओं को ऊर्जा की खपत और विभिन्न ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों की लागत बचत क्षमता के बारे में सूचित विकल्प प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से शुरू किया गया था। मार्च, 2024 तक, एस एंड एल कार्यक्रम 38 उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग को कवर करता है, जिनमें से 16 उपकरण अनिवार्य व्यवस्था के तहत हैं और शेष 22 उपकरण स्वैच्छिक चरण में हैं। वित्त वर्ष 2018–23 के दौरान किए गए हस्तक्षेपों के कारण एस एंड एल कार्यक्रम ने 2022–23 के दौरान 80.86 बीयू की बचत की है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 57.46 मिलियन टन की कमी हासिल की गई।

उपकरणों की सूची नीचे दी गई है।

क. अनिवार्य व्यवस्था के अंतर्गत उपकरण	
1.	रुम एयर कंडीशनर (फिक्स्ड स्पीड)
2.	रुम एयर कंडीशनर (वेरिएबल स्पीड)
3.	रुम एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग, कॉर्नर एसी)
4.	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर
5.	डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर
6.	ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप
7.	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर
8.	स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर
9.	कलर टेलीविजन
10.	एलईडी लैंप
11.	सीलिंग फैन
12.	लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर
13.	डीप फ्रीजर
14.	अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (यूएचडी) टेलीविजन
15.	चिल्लर
16.	वॉशिंग मशीन
ख.. स्वैच्छिक व्यवस्था के अंतर्गत उपकरण	
1.	सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मोटर्स
2.	सबमर्सिबल पंप सेट
3.	कंप्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)
4.	बैलास्ट (इलेक्ट्रॉनिक/चुंबकीय)

5.	कार्यालय स्वचालन उत्पाद (प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर, एमएफडी)
6.	डीजल इंजन चालित मोनो–सेट पंप
7.	सॉलिड स्टेट इन्वर्टर
8.	डीजल जनरेटर सेट
9.	माइक्रोवेव ओवन
10.	सोलर वॉटर हीटर
11.	एयर कंप्रेसर
12.	घरेलू एलपीजी–स्टोव
13.	टायर/टायर
14.	उच्च ऊर्जा ली–बैटरी
15.	इंडक्शन हॉब
16.	साइड बाय साइड/मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर
17.	पेडेस्टल फैन
18.	टेबल/वॉल फैन
19.	सोलर फोटोवोल्टिक
20.	पैकेज्ड बॉयलर
21.	वाणिज्यिक बेवरिज कूलर
22.	ग्रिड से जुड़ा सोलर इन्वर्टर

एस एंड एल योजना के मुख्य लाभ हैं:

(i) यह उपभोक्ताओं को ऊर्जा–गहन उपकरणों/उपस्करों के बारे में सूचित विकल्प प्रदान करता है।

(ii) अदक्ष उपकरणों से ऊर्जा दक्ष उपकरणों की ओर बाजार परिवर्तन।

निरंतर प्रयासों से, मानक और लेबलिंग से 2023–24 वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं:

<u>एस एंड एल कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां इस प्रकार हैं</u>

1) स्वैच्छिक चरण के तहत नए उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम का अध्ययन और विकास:

- अब तक 22 उपकरणों को स्वैच्छिक चरण में और 16 उपकरणों को अनिवार्य चरण में शामिल किया गया है।
- बीआईएस संशोधन मानक के आधार पर, सीलिंग पंखों के लिए अनिवार्य एस एंड एल कार्यक्रम के तहत छोटे स्वीप आकारों के लिए नई स्टार रेटिंग तालिका शुरू की गई है।

- सोलर फोटोवोल्टिक, पैकेज्ड बॉयलर, कमर्शियल बेवरेज कूलर और ग्रिड कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर के लिए नया एस एंड एल कार्यक्रम 2023–24 के दौरान लॉन्च किया गया।

नए उपकरणों में स्टार लेबलिंग का शुभारंभ

2) समय–समय पर एस एंड एल कार्यक्रम के तहत पहले से मौजूद उपकरणों के लिए ऊर्जा निष्पादन मानकों को बढ़ाना

- एलईडी लैंप के लिए निष्पादन मानकों को उन्नत किया गया है।

3) विभिन्न उपकरणों के लिए स्वैच्छिक से अनिवार्य स्टार लेबलिंग कार्यक्रम में परिवर्तन

- डीप फ्रीजर, लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर (एलसीएसी), यूएचडी टेलीविजन (यूएचडी टीवी/4के), चिल्लर और वॉशिंग मशीन को 2023–24 के दौरान अनिवार्य कर दिया गया है।

4) ब्रांड और मॉडल पंजीकरण

- मार्च, 2024 तक एस एंड एल कार्यक्रम के तहत 3426 ब्रांड और 25598 मॉडल पंजीकृत किए गए।

5) रिटेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरुकता गतिविधियाँ

- 20 एसडीए को उनके राज्यों में खुदरा विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धनराशि जारी की गई है।

- अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आयोजित 204 कार्यशालाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से एसडीए द्वारा लगभग 10,403 खुदरा विक्रेताओं/आरडब्ल्यूए/शैक्षणिक संस्थानों को प्रशिक्षित किया गया।

6) प्रयोगशाला क्षमता निर्माण

- एनपीएल (दिल्ली), सीपीआरआई (बेंगलुरु, नोएडा, भोपाल, हैदराबाद), ईएमसी केरल, आईआईटी मद्रास, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र, चेन्नई में परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 48.94 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

7) क्यूआर कोड के माध्यम से लेबल सत्यापन

- रेफ्रिजरेटर (डीसीआर, एफएफआर) के लिए क्यूआर कोड का कार्यान्वयन अनिवार्य कर दिया गया है।
- रेफ्रिजरेटर को छोड़कर अन्य उपकरणों के लिए क्यूआर कोड का कार्यान्वयन स्वैच्छिक चरण के तहत शुरू किया गया है।

8) लेबलिंग शुल्क ढांचा

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के एस एंड एल कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले उपकरणों/उपस्करों के लिए लेबलिंग शुल्क तैयार करने की रुपरेखा को विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

9) वेबसाइट उन्नयन और शिकायत निवारण प्रणाली

- निर्माताओं/उपभोक्ताओं के प्रश्नों का समय–समय पर टिकट–व्यवस्था प्रणाली के माध्यम से समाधान किया जाता है।

10) बाजार निगरानी पर गोलमेज सम्मेलन

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2023–24 के दौरान मुंबई, कोलकाता और कोच्चि में क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र एसडीए के साथ "एस एंड एल कार्यक्रम की बाजार निगरानी करने के दिशानिर्देश" पर गोलमेज चर्चा का आयोजन किया।

बाजार निगरानी सम्मेलन की तस्वीरें

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के बारे में जागरुकता पैदा करने में व्यापक कार्य किया है। जागरुकता गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) टीवी विज्ञापन और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार रेटेड उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना।

(ii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उचित उपयोग के बारे में जागरुकता संबंधी जानकारी।

(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में उपकरणों की विफलताओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना।

1.5.5 नगर निगम मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम)

भारत का नगरपालिका क्षेत्र देश में खपत होने वाली कुल बिजली का लगभग 4% खपत करता है और इसे ऊर्जा संरक्षण के लिए दूसरा सबसे बड़ा अवसर माना जाता है, जो देश में अंतिम उपयोग की अक्षमता का 23% हिस्सा है। एमयू डीएसएम हस्तक्षेप से पीक ऑवर्स के दौरान उपयोगिताओं के बोझ को कम करने और नगरपालिका क्षेत्र में उच्च बिजली खपत से होने वाले वित्तीय घाटे को कम करने में सक्षम

होने की उम्मीद है। नगरपालिका क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं :

I. शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), सार्वजनिक जल निकायों, शहरी विकास विभागों (यूडीडी) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं

शहरी विकास एजेंसी (एसडीए) के साथ समन्वय में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो शहरी स्थानीय निकायों, सार्वजनिक जल निकायों और शहरी विकास विभागों के अधिकारियों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है।

II. पंप तकनीशियनों / यूएलबी / यूडीडी / एमसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री / प्रशिक्षण मॉड्यूल / ट्यूटोरियल तैयार करना

प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एसडीए के साथ समन्वय में एमयूडीएसएम (विशेष रुप से ऊर्जा दक्ष पंप सेट और इसके लाभों पर) पर ट्यूटोरियल वीडियो विकसित कर रहा है।

1.5.6 ऊर्जा सेवा कंपनियाँ (ईएससीओ)

ईएससीओ एक ऊर्जा सेवा कंपनी है जो आम तौर पर मौजूदा सुविधाओं के ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान करने के बाद ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के डिजाइन, रेट्रोफिटिंग और कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा सेवाएं प्रदान करती है। इसमें ऊर्जा अवसंरचना आउटसोर्सिंग, बिजली उत्पादन और ऊर्जा आपूर्ति, वित्तपोषण या ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने में सुविधा केंद्र के मालिकों की सहायता करना भी शामिल है। ईएससीओ ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बचत की गारंटी, जोखिम प्रबंधन प्रदान करके काम करता है और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद वास्तविक ऊर्जा बचत को मापने के लिए माप और सत्यापन (एम एंड वी) गतिविधियाँ भी करता है।

ईएससीओ मॉडल को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की मौजूदा पहलः

- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल 56 नए/मौजूदा ईएससीओ को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ ईएससीओ के रुप में सूचीबद्ध/पुनः सूचीबद्ध किया गया है।
- ईएससीओ व्यवसाय मॉडल के माध्यम से बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रारंभिक लक्ष्य 50 रखा गया था।
- 84 भवनों (74 रक्षा पीएसयू सहित) में निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट (आईजीईए) पूरी हो गई है।
- व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए का.ज्ञा. के आधार पर एफ 1/3/2022–पीपीडी दिनांक 11 08. 2023 के अनुसार, ईएससीओ व्यवसाय मॉडल के माध्यम से वाणिज्यिक भवन (आईजीईए के आधार पर) में ऊर्जा दक्षता परियोजना का कार्यान्वयन सीपीएसयूएस द्वारा किया जाएगा।
- विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सीपीएसयू के साथ उपरोक्त दिशानिर्देशों के आधार पर

प्रस्तावित ईएससीओ बिजनेस मॉडल के माध्यम से कुछ ऊर्जा दक्षता पायलट परियोजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया है।

- ईएससीओ आधारित निविदा प्रकाशित करने के लिए एनटीपीसी, पावरग्रिड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारतीय रेलवे के साथ इस पर काम चल रहा है। एनसीएल ने 22.05.2024 के पत्र के द्वारा ईएससीओ बिजनेस मॉडल दिशा–निर्देशों के माध्यम से ऊर्जा दक्ष पायलट परियोजना को लागू करने के लिए पांच भवनों की सूची साझा की है।
- एनटीपीसी ने ईएससीओ पायलट परियोजना के लिए इंजीनियरिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स (ईओसी), सेक्टर–24, नोएडा की पहचान की।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के सहयोग से 13 मार्च, 2024 को आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, देहरादून में व्यापक ऊर्जा दक्षता कार्य योजना के छह स्तंभों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

आयुद्य निर्माणी ज्ञानार्जन संस्थान, देहरादून में आयोजित कार्यशाला

- कार्यशाला में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा सतत ऊर्जा दक्षता के उभरते विषयों पर कवरेज की सराहना की।

1.5.7 कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम)

यह उप–घटक समग्र बिजली खपत में कमी, भूजल निष्कर्षण की दक्षता में सुधार और राज्य उपयोगिताओं पर सब्सिडी के बोझ को कम करके कृषि मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता का वादा करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पंप सेटों की वर्तमान दक्षता का स्तर 20–25% की सीमा में है और मौजूदा पंप सेटों के लिए दक्षता में सुधार 40–50% तक पहुँच सकता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो राज्य द्वारा नामित एजेंसियों (एसडीए) के साथ समन्वय करके किसानों और उपकरण तकनीशियनों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

किसानों/उपकरण तकनीशियनों आदि के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की झलकियां:

खूंटी

पूर्वी सिंहभूम

साहिबगंज

देवघर

धनबाद

पाकुर

1.5.8 लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई)

क्षेत्र का परिचय

एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक विस्तार, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और असमानता में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र भारत जैसे उभरते देशों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सामाजिक–आर्थिक कारकों से घनिष्ठ रुप से जुड़ा हुआ है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में योगदान देता है और अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर रोजगार की संभावनाएं पैदा करने की क्षमता रखता है।

देश में एमएसएमई ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अधिक जटिल वस्तुओं के उत्पादन तक मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। भारत में, 64 मिलियन एमएसएमई व्यवसाय हैं, जो 113 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हैं। भारतीय एमएसएमई निर्यात में 50% योगदान देते हैं और विनिर्माण उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा हैं। सिरेमिक, ईंट, कांच, कपड़ा और धातु विज्ञान जैसे कई ऊर्जा–गहन उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले औद्योगिक समूहों की उपस्थिति भारत में एमएसएमई क्षेत्र की एक विशिष्ट विशेषता है।

एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कुंजी ऊर्जा दक्षता (ईई) है। ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, औद्योगिक प्रक्रियाओं को ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों (ईईटी) और सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं को अपनाना चाहिए। उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नति और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं।

एमएसएमई के ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

ब्यूरो ने इस क्षेत्र की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने तथा एमएसएमई हितधारकों को एक साथ लाने, उन्हें उपलब्धियों पर पुनर्विचार करने, तथा क्या किया जाना चाहिए, तथा आगे की राह का खाका तैयार करने के लिए अनेक पहल की हैं।

एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरो ने निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(i) एमएसएमई क्लस्टरों का ऊर्जा और संसाधन मानचित्रण:

इस पहल के तहत, ब्यूरो ने सावधानीपूर्वक तीन प्रमुख एमएसएमई क्षेत्रों का चयन किया है: वस्त्र, खाद्य

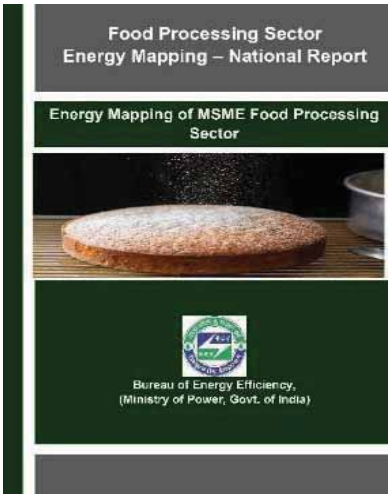

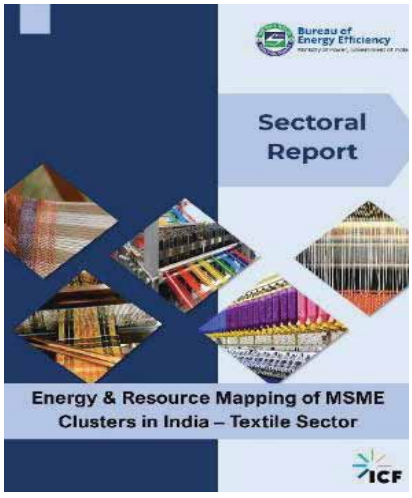

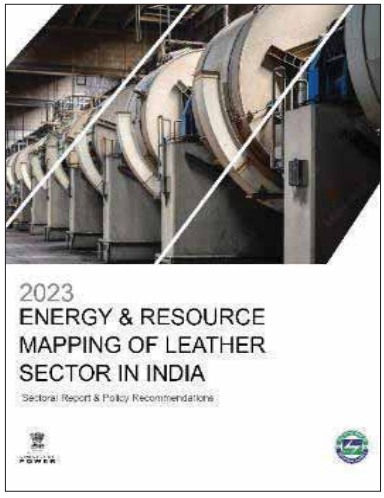

प्रसंस्करण और चमड़ा। इस चयन में प्रत्येक क्षेत्र से पाँच क्लस्टर शामिल हैं, जिसका उद्देश्य ऊर्जा खपत, तकनीकी स्थिति, परिचालन प्रथाओं और एमएसएमई सुविधाओं के भीतर इसके प्रवाह पर विस्तृत सर्वेक्षण करना है। प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रवार ऊर्जा खपत बेंचमार्किंग स्थापित करना है। विस्तृत ऊर्जा ऑडिट के पूरा होने के बाद, मानचित्रण के परिणामों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग 5 स्थानों पर क्लस्टर स्तर पर पोस्ट–ऑडिट कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

व्यापक मानचित्रण कवायद के बाद, तीनों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक राष्ट्रीय–स्तरीय क्षेत्रीय रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें मानचित्रण प्रक्रिया के परिणामों को उजागर किया गया है, सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित किया गया है और ऊर्जा खपत पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। इन निश्कर्शों को प्रसारित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, ब्यूरो ने एक राष्ट्रीय–स्तरीय कार्यशाला आयोजित की, जहाँ इन रिपोर्टों को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। अब तक, ब्यूरो ने 11 एमएसएमई क्षेत्रों जैसे कि पेपर, फोर्जिंग, फाउंड्री, स्टील री–रोलिंग, फार्मा, केमिकल, कांच और रेफ्रैक्टरी, ईंटें, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और वस्त्र आदि में भारत भर में 55 क्लस्टरों के लिए ऊर्जा और संसाधन मानचित्रण पूरा कर लिया है।

(ii) ऊर्जा मित्र कार्यक्रमः

इस कार्यक्रम के तहत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुभवी प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों (सीईए) को चयनित एमएसएमई क्लस्टरों में 'ऊर्जा मित्र' के रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियुक्त कर रहा है। वे एमएसएमई इकाईयों को उचित ऊर्जा दक्षता सेवाएं, नीति–केंद्रित सहायता प्रदान करेंगे और ऊर्जा एवं संसाधन प्रबंधन पर क्षमता निर्माण अभ्यास प्रदान करेंगे।

बीईई–जीआईजेड द्वारा ऊर्जा मित्र की ऑनबोर्डिंग और ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न एमएसएमई क्लस्टरों के लिए 21 ऊर्जा मित्रों को सूचीबद्ध किया है। ये ऊर्जा मित्र एमएसएमई को परामर्श, वॉकथ्रू ऊर्जा ऑडिट, विस्तृत ऊर्जा ऑडिट, प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन सहायता और केस स्टडी की तैयारी सहित व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं। इस अवधि के दौरान, उन्होंने 250 से अधिक उद्योग परामर्श, 80 से अधिक वॉकथ्रू ऊर्जा ऑडिट, 15 से अधिक विस्तृत ऊर्जा ऑडिट किए हैं और 5 परियोजना मामले विकसित किए हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

(iii) ईई/आरई कार्यान्वयन कार्यक्रम का विस्तारः

प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में उद्योगों की सहायता करने के लिए इस कार्यक्रम में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने चार एमएसएमई क्षेत्रों जैसे फोर्जिंग, फाउंड्री, पेपर और स्टील री–रोलिंग में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस क्षेत्र में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने नई ईई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए पूरे भारत में पाँच क्लस्टरों की पहचान की है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक प्रौद्योगिकी संग्रह विकसित किया है, जिसमें पहचाने गए प्रौद्योगिकी अंतराल, विक्रेता विवरण

और संबंधित केस स्टडी के आधार पर उन्नत ईई प्रौद्योगिकियों का विवरण दिया गया है। इस पहल में इन प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने और एमएसएमई को उनके कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए परिचयात्मक कार्यशालाएँ आयोजित करना शामिल है।

कार्यक्रम में कई प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं: चयनित क्लस्टरों में जागरुकता कार्यशालाएँ आयोजित करना, एमएसएमई इकाइयों से रुचि की अभिव्यक्तियाँ (ईओआई) एकत्र करना, इकाईयों का मूल्यांकन करना और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, विक्रेताओं, ओईएम, वित्तीय संस्थानों को जोड़ना, नई प्रौद्योगिकियों को लागू करना, मापन और सत्यापन (एम एंड वी) करना और केस स्टडी तैयार करना। इस कार्यक्रम ने विभिन्न क्लस्टरों में 12 से अधिक जागरुकता कार्यशालाएँ आयोजित की हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा क्लस्टरों में नई ईई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत पहले से ही चल रही है।

(iv) इस्पात क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता पर ज्ञान जानकारी आदान–प्रदान कार्यक्रम:

ज्ञान के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने और इस्पात क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों और डीकार्बोनाइजिंग प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने के लिए, जीआईजेड ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ ज्ञान आदान–प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मंत्रालयों, एसडीए, स्वायत्त निकायों, इस्पात संघों और निर्माताओं के हितधारकों को भारतीय प्रतिभागियों के साथ बुलाया गया है।

ऊर्जा दक्षता– उद्योग और डेटा परियोजना के तहत यह ज्ञान विनिमय दौरा 20 जून से 2 जुलाई 2023 तक निर्धारित किया गया था, जिसमें जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन और इटली जैसे देश शामिल थे। ज्ञान विनिमय दौरे के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विकास, सर्वोत्तम अभ्यास और नवीनतम तकनीक के बारे में जानें
- नीति क्षेत्र में प्रमुख बाधाओं और उन्हें दूर करने के तरीकों की बेहतर समझ प्राप्त करें

- नेटवर्किंग और भारत के लिए व्यवसाय विकास के अवसरों की खोज
- भारत में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की व्यवहार्यता

1.5.9 डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण

क) परियोजना–1: डिस्कॉम का मांग–पक्ष प्रबंधन (डीएसएम):

उपयोगिता–स्तरीय मांग–पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) से तात्पर्य उपयोगिता कंपनियों/डिस्कॉम द्वारा अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा बिजली और अन्य उपयोगिताओं के उपभोग पैटर्न को प्रभावित करने और प्रबंधित करने के लिए उपायों की रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन से है।

उपयोगिता डीएसएम का व्यापक लक्ष्य ऊर्जा आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन प्राप्त करना, ग्रिड स्थिरता को बढ़ाना, अधिकतम मांग का प्रबंधन करना, परिचालन लागत को कम करना और उपभोक्ताओं के बीच जिम्मेदार ऊर्जा उपभोग व्यवहार को प्रोत्साहित करके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है।

इसमें आमतौर पर ऊर्जा–दक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और अपनाना, ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं के बारे में उपभोक्ताओं में जागरुकता पैदा करना, पीक अवधि के दौरान मांग में कमी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, तथा ऊर्जा उपयोग की वास्तविक समय निगरानी और नियंत्रण के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को लागू करना जैसी पहल शामिल होती हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने "भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देने" के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। विद्युत मंत्रालय ने 2012–17 के दौरान मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) योजना को मंजूरी दी है और इसे वित्त वर्ष 2021–26 तक आगे बढ़ा दिया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उपयोगिता–स्तरीय डीएसएम कार्यक्रम में प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं, जैसे लोड अनुसंधान करना, डीएसएम कार्य योजनाओं को अंतिम रुप देना, मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित करना, डिस्कॉम के सर्किल स्तर के अधिकारियों का क्षमता निर्माण और डिस्कॉम को जनशक्ति सहायता प्रदान करना तथा डिस्कॉम के परिधि में ऊर्जा–दक्ष डीएसएम उपायों का कार्यान्वयन करना।

वर्ष 2012–17 और 2017–20 के दौरान डीएसएम कार्यक्रम का चरण–I और चरण–II आयोजित किया गया। 5 ग्रिड क्षेत्रों में कुल 62 डिस्कॉम ने चरणबद्ध तरीके से भाग लिया। चरण–III (2023–25) या डीएसएम उपायों के कार्यान्वयन चरण को 5 ग्रिड क्षेत्रों में 36 डिस्कॉम के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित किया गया है। जहां परियोजना वर्तमान में 33 डिस्कॉम में चल रही है और शेष 3 डिस्कॉम में यह पुनः निविदा चरण में है। 33 डिस्कॉम की सूची जहां डीएसएम परियोजना चरण–III (2023–25) वर्तमान में चल रही है:

क्र. सं.	डीएसएम परियोजना क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम का नाम
1	उत्तर	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
2	उत्तर	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड

क्र. सं.	डीएसएम परियोजना क्षेत्र	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम का नाम
3	उत्तर	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड
4	उत्तर	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
5	उत्तर	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
6	उत्तर	उत्तर प्रदेश	दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7	उत्तर	जम्मू एवं कश्मीर	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
8	उत्तर	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
9	उत्तर	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
10	उत्तर	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
11	उत्तर–पूर्व	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
12	उत्तर–पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश
13	उत्तर–पूर्व	नगालैंड	विद्युत विभाग, नागालैंड
14	उत्तर–पूर्व	सिक्किम	सिक्किम विद्युत विकास निगम लिमिटेड
15	उत्तर–पूर्व	मेघालय	मेघालय ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड
16	उत्तर–पूर्व	मिजोरम	बिजली एवं विद्युत विभाग
17	उत्तर–पूर्व	असम	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
18	उत्तर–पूर्व	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
19	दक्षिण	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
20	दक्षिण	लक्षद्वीप	विद्युत विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप
21	दक्षिण	अंडमान और निकोबार	विद्युत विभाग, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार
22	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
23	पश्चिम	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड
24	पश्चिम	कर्नाटक	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
25	पश्चिम	कर्नाटक	बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
26	पश्चिम	कर्नाटक	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
27	पश्चिम	कर्नाटक	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
28	पश्चिम	गुजरात	उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
29	पश्चिम	गुजरात	मध्य गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
30	पश्चिम	गुजरात	पश्चिम गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड

चित्र 1: डीएसएम उपायों के कार्यान्वयन परियोजनाओं के चरण–III (2023–25) में भाग लेने वाले राज्य और डिस्कॉम

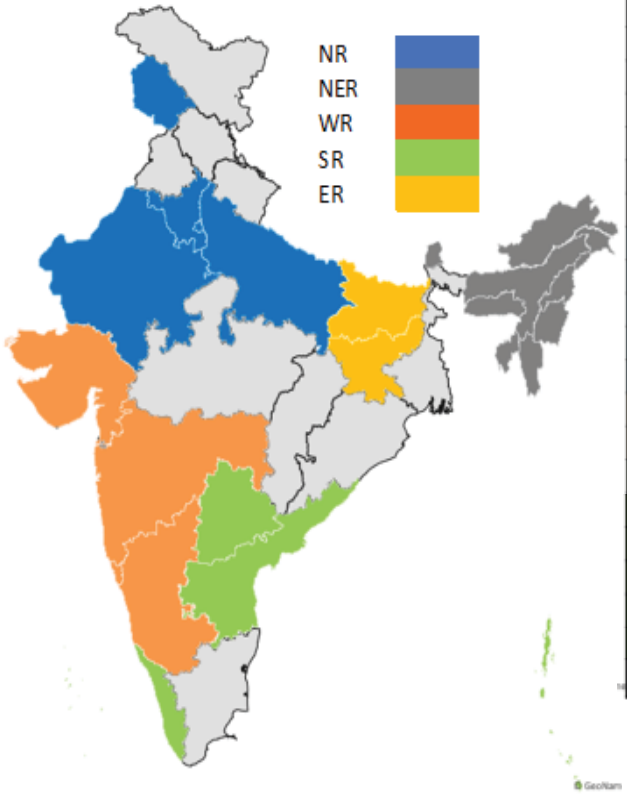

States/UTs	No. of Participating DISCOMs
Sikkim	1
Arunachal Pradesh	1
Assam	1
Manipur	1
Meghalaya	1
Mizoram	1
Nagaland	1
Tripura	1
Delhi	3
Haryana	2
Jammu and Kashmir	2
Rajasthan	2
Uttar Pradesh	1
Bihar	2
Jharkhand	1
Andhra Pradesh	1
Kerala	1
Lakshadweep	1
Andaman and Nicobar Islands	1
Gujarat	3
Karnataka	5
Total	**33**

वित्त वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए डीएसएम कार्यक्रम चरण– III (2023–25) की प्रमुख उपलब्धियां:

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 33 डिस्कॉम में डीएसएम परियोजना को पूरा करने के लिए 4 ग्रिड क्षेत्रों में 3 परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) को शामिल किया है।
- अब तक, परियोजना को पूरा करने के लिए 29 डिस्कॉम और उनके संबंधित एसडीए के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 29 डिस्कॉम में 56 जनशक्ति (27 तकनीकी विशेषज्ञ और 29 वित्तीय विशेषज्ञ) तैनात किए हैं।
- 116 डीएसएम उपायों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पहले ही उन्हें मंजूरी दे दी है और इसे 29 डिस्कॉम में लागू किया जाएगा।
- 96 स्वीकृत उपायों में से 18 उपायों को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और 7 डिस्कॉम में कार्यान्वयन जारी है।
- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 4 उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

उत्तर क्षेत्र में डीएसएम उपाय कार्यान्वयन परियोजना के तहत गुवाहाटी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीएसएम उपाय कार्यान्वयन परियोजना के तहत गुवाहाटी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह

दक्षिण क्षेत्र में डीएसएम उपाय कार्यान्वयन परियोजना के तहत गुवाहाटी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह

टीपीडीडीएल में डीएसएम कार्यक्रम शुरू करने के उपाय

ख) परियोजना–2: डिस्कॉम में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 5–स्टार वितरण ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन के लिए गैर–स्टार/अदक्ष वितरण ट्रांसफार्मर का अध्ययन

डीएसएम कार्यान्वयन परियोजना के साथ–साथ, ब्यूरो ने 4 क्षेत्रों यानी पूर्व, उत्तर–पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 14 डिस्कॉम में राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन शुरू कर दिया है, ताकि बिजली वितरण नेटवर्क में पुरानी परिसंपत्तियों के संवर्धन या प्रतिस्थापन के माध्यम से उपयोगिताओं में प्रदर्शन आधारित (ऊर्जा दक्षता और कार्बन फुटप्रिंट) व्यवसाय मॉडल का अध्ययन और तैयारी करने के लिए आवश्यक डेटा इनपुट प्राप्त किए जा सकें। अध्ययन में वितरण ट्रांसफार्मर शामिल होंगे और उपयोग की जाने वाली विभिन्न केवीए रेटिंग, डीटी लोडिंग पैटर्न, उपयोग की जाने वाली दक्षता लेबल और वास्तविक नुकसान का यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाएगा, जो डिस्कॉम के पुराने अदक्ष वितरण ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक निर्णय लेने वाले बिंदु हैं। अध्ययन आरंभ करने के लिए संबंधित डिस्कॉम से रेटिंग के अनुसार ट्रांसफार्मर की संख्या, उनके स्टार लेबल, उनके लोडिंग पैटर्न, नुकसान जैसे प्राथमिक डेटा मांगे जाने हैं। प्रत्येक डिस्कॉम के लिए तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, पुराने/अदक्ष ट्रांसफार्मर को नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) प्रयास के माध्यम से निष्पादन बढ़ाने के लिए या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 5 स्टार रेटेड डीटी के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 14 डिस्कॉम की सूची जहां गैर–स्टार/अदक्ष डीटी अध्ययन परियोजना चरण–I (2023–24) वर्तमान में चल रही है:

क्र. सं.	परियोजना क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	डिस्कॉम का नाम
1	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	ओडिशा	टाटा पावर नॉर्दन ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
2	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	असम	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
4	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	त्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश
6	पूर्व एवं उत्तर–पूर्व	मेघालय	मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड
7	दक्षिण	कर्नाटक	बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी
8	दक्षिण	कर्नाटक	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
9	दक्षिण	तमिलनाडु	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
10	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
11	पश्चिम	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
12	पश्चिम	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
13	पश्चिम	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
14	पश्चिम	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

1.5.10 राज्य द्वारा नामित एजेंसियों (एसडीए) को मजबूत बनाना

देश में ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) दो स्तरीय संगठन संरचना के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नोडल एजेंसी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (संघ राज्य क्षेत्र) स्तर पर एसडीए नोडल एजेंसियां होंगी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 15 (घ) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार/यूटी प्रशासन राज्य/यूटी के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए राज्य स्तर पर किसी भी एजेंसी को नामित कर सकता है। आज तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने–अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक एसडीए नामित किया है। ये एजेंसियां राज्य दर राज्य अलग–अलग हैं जिनमें 16 अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, 7 बिजली विभाग, 7 विद्युत निरीक्षणालय, 4 वितरण कंपनियां और 2 स्टैंडअलोन एसडीए हैं।

एसडीए की संस्थागत, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के निर्माण पर जोर देने के साथ–साथ राज्य स्तर पर ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने "राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को समन्वित, विनियमित और लागू करने के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करने" की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना को "राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में योगदान" योजना द्वारा पूरक बनाया गया है। ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण संबंधी प्रयासों और भविष्य के प्रयासों को जारी रखने और प्रत्येक राज्य में पर्याप्त ऊर्जा बचत को प्राप्त करने के लिए, "राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एसडीए को मजबूत

करने" की योजना को वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए जारी रखा गया है।

I. राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को समन्वित, विनियमित और लागू करने के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करना

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, निम्नलिखित उप–घटकों के तहत ईई और ईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एसडीए को 19.95 करोड़ रुपये की निधि राशि वितरित की गई।

- **ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन के लिए राज्य भागीदारी (स्पीड):** इस उप–घटक में स्ट्रीट लाइटिंग, जल पम्पिंग (पेयजल आपूर्ति प्रणाली, कृषि जल पम्पिंग प्रणाली, आदि), भवनों में विद्युत उपकरणों/उपस्करों की रेट्रोफिटिंग, नगर पालिकाओं, सरकारी भवनों आदि में स्मार्ट मीटरों की स्थापना, अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग आदि के क्षेत्रों में प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। इन प्रदर्शन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।
  - व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरणों/प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना।
  - विभिन्न विभागों/एजेंसियों के माध्यम से इन प्रदर्शन परियोजनाओं को दोहराने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करना।

  एसडीए ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान स्ट्रीट लाइट, सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों में ऊर्जा दक्ष उपकरण, ग्रामीण पेयजल पंपिंग प्रणाली, सरकारी भवनों/संस्थानों का निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा (आईजीईए), सरकारी भवनों में स्पेस हीटिंग और सरकारी अस्पतालों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छ/इलेक्ट्रिक खाना पकाने के क्षेत्रों में 26 प्रदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वित कीं।

- **आदर्श ऊर्जा दक्ष गांव अभियान:** यह उप–घटक एसडीए द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 200–250 घरों वाले गांवों (पूर्वोत्तर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए छूट दी गई है) को मौजूदा अक्षम उपकरणों/उपस्करों को स्टार लेबल वाले उपकरणों से बदलकर ऊर्जा दक्ष गांवों में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें पानी के पंप, पंखे, इंडक्शन कुक स्टोव, डीजल जनरेटर, वॉटर हीटर, स्ट्रीट लाइट और घरेलू लाइटिंग शामिल हो सकते हैं। जबकि प्रत्येक राज्य में दो से तीन गांवों को इस अभियान के तहत कवर किए जाने की संभावना है, विधायकों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों/प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिए अन्य संसाधनों के माध्यम से इसी तरह के हस्तक्षेप के लिए दबाव डालने से अधिक गांवों को लाभ मिलने की संभावना है।

  वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एसडीए द्वारा कुल 185 गांवों को इस प्रयास के तहत लिया गया, ताकि उन्हें सामान्य संसाधन स्थानों और घरों में मौजूदा अदक्ष विद्युत उपकरणों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार रेटेड उपकरणों जैसे बल्ब, स्ट्रीट लाइट, पंखे, पानी के पंप आदि से बदलकर मॉडल ऊर्जा दक्ष गांवों में परिवर्तित किया जा सके।

- **राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र का संस्थागतकरण:** इस उप–घटक का मुख्य उद्देश्य ब्यूरो के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पीएटी, ईसीबीसी, एस एंड एल आदि का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित

करने के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र विकसित करना है और राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी का क्षमता निर्माण करना है, जिसमें एसडीए में नियुक्त निरीक्षण अधिकारी, एसईआरसी में न्यायनिर्णयन अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो उक्त कार्यक्रमों के प्रवर्तन से जुड़े हो सकते हैं।

- **एसडीए को जनशक्ति सहायता:** एसडीए को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम का यह घटक एसडीए को अपने कार्यालयों में जनशक्ति नियुक्त करने में सक्षम बनाता है जो उन्हें अपने कार्यों को सुचाः रुप से और प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायता करता है।

- **ऊर्जा पेशेवरों की कार्यशालाएं / क्षमता निर्माण:** इस उप–घटक का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर सभी संबंधित हितधारकों को ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए सूचना प्रसारित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने हेतु एसडीए को सक्षम बनाना है।

- 2023–24 के दौरान, विभिन्न ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता विषयों पर ऊर्जा पेशेवरों के लिए एसडीए द्वारा 300 से अधिक प्रत्यक्ष / आभासी कार्यशालाएं सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- **एसडीए द्वारा ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण और सर्वेक्षण:** योजना के इस घटक का मुख्य उद्देश्य एसडीए को राज्य स्तर पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न ईई और ईसी गतिविधियों के परिणामों का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम बनाना है।

- **इंटरनेट प्लेटफॉर्म और अन्य निर्मित डेटाबेस का रखरखाव और अद्यतन:** योजना के इस भाग का प्राथमिक उद्देश्य एसडीए को अपनी स्थापित वेबसाइट और उस पर उपलब्ध विभिन्न डेटाबेस की सामग्री को नियमित रुप से अपडेट करने में सक्षम बनाना है। एसडीए की वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त जानकारी विभिन्न हितधारकों और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक और मूल्यवान है।

- **छात्र जागरुकता / छात्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एससीबीपी):** इस घटक के अंतर्गत एसडीए द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

  – स्कूल/राज्य बोर्ड/आईटीआई/डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज पाठ्यक्रम के लिए ऊर्जा संरक्षण पर अध्यायों का विकास और समावेशन।

  – नए मॉड्यूल/अध्यायों पर स्कूल शिक्षकों/व्याख्याताओं को प्रशिक्षण।

  – ऊर्जा क्लबों के निर्माण पर स्कूलों और डिग्री कॉलेज स्तर, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजों (पॉलिटेक्निक), इंजीनियरिंग कॉलेजों में वाद–विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं।

  जून, 2024 तक देश भर के सरकारी स्कूलों/विद्यालयों/संस्थानों में 16,000 से अधिक ऊर्जा क्लब स्थापित किए जा चुके हैं

II. राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष में योगदान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 16(1) के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य के भीतर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य ऊर्जा

संरक्षण निधि (एसईसीएफ) नामक एक कोष का गठन करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा "एसईसीएफ में योगदान" नामक एक योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसे तब से जारी रखा जा रहा है।

एसईसीएफ ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने में सहायता कर सकता है। एसईसीएफ से ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, एसईसीएफ के तहत वितरित निधियों का बड़ा हिस्सा अलग से रिवॉल्विंग इन्वेस्टमेंट फंड (आरआईएफ) के रुप में निर्धारित किया जाना है। इस आरआईएफ का उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों/एजेंसियों की इमारतों सहित सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं, ऊर्जा संरक्षण स्ट्रीट–लाइटिंग या कॉमन एरिया लाइटिंग परियोजनाओं, सार्वजनिक पेयजल पंपिंग स्टेशनों और कृषि क्षेत्रों में जल पंपिंग में ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं, विभिन्न क्लस्टरों में एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं आदि के कार्यान्वयन के लिए किया जा सकता है।

एसईसीएफ के तहत योगदान उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाता है, जिन्होंने अपना एसईसीएफ बनाया है और उसे लागू करने के लिए नियमों और विनियमों को अंतिम रुप दिया है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा योगदान के लिए है, जिसमें किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम सीमा 4.0 करोड़ रुपये है, जो 2.0 करोड़ रुपये की दो किस्तों में प्रदान किया जाता है। एसईसीएफ में योगदान के तहत दूसरी किस्त तभी जारी की जाती है, जब राज्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की पहली किस्त के बराबर योगदान दे देते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समतुल्य योगदान को 2.0 करोड़ रुपये के बजाय 25.0 लाख रुपये कर दिया गया है।

आज तक, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने एसईसीएफ को अधिसूचित किया है और इसके अलावा, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की पहली किस्त के लिए अपना समतुल्य योगदान प्रदान किया है।

III. ऊर्जा पारगमन पर राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी)

विद्युत मंत्रालय ने मई 2022 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा पारगमन पर एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा परिवर्तन उपायों को आगे बढ़ाने के लिए विद्युत, ऊर्जा, आवास और शहरी विकास, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी विभागों आदि के सचिवों को उपरोक्त समिति के सदस्य के रुप में शामिल किया जाएगा।

ऊर्जा परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन के प्रमुख स्तंभों की पहचान

- ऊर्जा परिवर्तन के लिए रणनीतिक रोडमैप
- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन
- संबंधित राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास और निवेश के अवसर

31 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय , ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और मिजोरम ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा पारगमन पर राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन किया है।

IV. राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना (एसईईएपी):

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को राज्य–विशिष्ट ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार करने की पहल करने का काम सौंपा है, जिसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/यूटी प्रशासन के परामर्श से भारत के एनडीसी लक्ष्यों को राज्यों/यूटी के जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना और उसके परिणामस्वरूप आम सहमति बनाना है। एसईईएपी का मुख्य उद्देश्य राज्यों/यूटी में ईई हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और प्रभावी नीतियों की पहचान करना ळें

एसईईएपी के लिए मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- फोकस क्षेत्रों की पहचान के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट
- फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत गतिविधियों की पहचान के लिए अंतर विश्लेषण रिपोर्ट
- राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना

एसईईएपी को विकसित किया गया और 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर कर्नाटक, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार, दिल्ली, गोवा, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मान्य किया गया है।

1.5.11 विविध

I. ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार, सभी नामित ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा कराना तथा एक ऊर्जा प्रबंधक को नामित या नियुक्त करना अनिवार्य है।

बीईई ने मई 2004 से ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का आयोजन किया है, तथा ऊर्जा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, वित्तपोषण और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता के साथ पेशेवर रूप से योग्य ऊर्जा प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों का एक कैडर तैयार किया है।

मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल 302 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक है, जिनमें से 2004. 2023 के दौरान आयोजित पिछले 23 परीक्षाओं से 10995 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक के रूप में पात्र है।

25 वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा मार्च 2025 में आयोजित की जाएगी और 24 वे परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2024 में आने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊर्जा की खपत कम होगी।

i) मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रत्यायन

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 केंद्र सरकार को ऊर्जा गहन औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को "नामित उपभोक्ता" के रूप में नामित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिन्हें अन्य बातों के साथ–साथ समय–समय पर मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा करवानी होती है। अधिनियम में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इस उद्देश्य के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षकों को मान्यता देने का भी आदेश दिया गया है।

मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों का मूल्यांकन और अनुशंसा प्रत्यायन सलाहकार समिति द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक, बीईई करते हैं और सदस्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से लिए जाते हैं। इन अनुशंसित नामों को फिर ब्यूरो की प्रबंधन सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार देश मे 302 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक हैं।

ii) सभी पीएटी के तहत मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों का पैनल बनाना

सभी नामिक उपभोक्ताओं (ईडीसी) को (ईएमएईए) से सत्यापन और जांच सत्यापन कार्य करवाना अनिवार्य है। वर्तमान में कुल 85 पैनल में शामिल मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्म ऊर्जा खपत मानदंडों और मानकों के अनुपालन और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने या खरीदने के संबंध में सत्यापन और जांच सत्यापन का कार्य करने के लिए कार्य कर रही हैं, जो निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत हैं।

iii) ऊर्जा प्रबंधक प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, ऊर्जा प्रबंधक वह व्यक्ति है जिसने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा के तीन पेपर (ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा लेखा परीक्षा के सामान्य पहलू; विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता; तापीय उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता) उत्तीर्ण किए हों।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) योग्य ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया), 2010 के विनियमन 8 के तहत, ब्यूरो या अनुमोदित संस्थान या संगठन द्वारा आयोजित रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेकर हर पांच साल बाद इस प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करना होता है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य

ऊर्जा प्रबंधकों को ऊर्जा मानदंडों और मानकों को लागू करते समय ऊर्जा प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकों के बारे में अपडेट करना और साथ ही उनका आत्मविरुवास बढ़ाना और उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम के पिछले तीसरे चरण में 114 कार्यशालाएँ आयोजित की हैं । आज तक कुल 2848 ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों ने उक्त कार्यशालाओं में भाग लेकर अपने प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण कराया है और ऊर्जा दक्षता में नवीनतम तकनीकों के साथ अपनी क्षमता का निर्माण किया है। 18 वीं राष्ट्रीय परीक्षा तक ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए चरण iv जारी है। चरण iv में कुल 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।

II. भारत में जिला शीतलन प्रणाली का संवर्धन और कार्यान्वयन

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी) की बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक सिफ़ारिश यह है कि ट्राइजेनेरेशन सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, थर्मल एनर्जी स्टोरेज इत्यादि जैसी नॉट–इन–काइंड तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम (डीसीएस) शहरों और परिसरों में इमारतों के समूहों को वातानुकूलित करने का एक आधुनिक और दक्ष तरीका है। यह बिल्डिंग स्तर पर चिल्लर और कूलिंग टावर लगाने की पूंजीगत लागतों को बचाता है और छत और इमारत की कीमती जगह को मुक्त करता है। कई इमारतों की कूलिंग जरूरतों को एकत्रित करके, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग से लागत में कमी आती है। पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक इमारत में आमतौर पर पीक लागत पर अधिकतम बिजली की मांग का 50% से अधिक उत्पन्न करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के साथ, ग्रिड पर पीक मांग से बचा जाता है और परिचालन ऊर्जा खपत 30% तक कम हो जाती है। इसके अलावा, डीसीएस कम या शून्य ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले रेफ्रिजरेंट्स का उपयोग कर सकता है।

बीईई ने हितधारकों से व्यापक परामर्श के बाद जुलाई, 2023 में "भविष्य के शहरों को ठंडा करना – जिला शीतलन दिशा–निर्देशों का शुभारंभ" पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है। इसके अलावा, बीईई सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी, विभिन्न आईआईटी और डिस्कॉम के साथ उनकी आगामी परियोजनाओं में जिला शीतलन प्रणालियों में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए चर्चा कर रहा है।

III. भारत में कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता

भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2017–18 में 25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 312 मिलियन टन था , जिसमें से 1% निर्यात किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का अनुमान है कि कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में 18 से 25% खाद्य हानि होती है। फसल कटाई के बाद और बाजारों में पहुंचने से पहले होने वाली खाद्य हानि वास्तव में बिक्री योग्य मात्रा और मूल्य का नुकसान है और खाद्य आपूर्ति प्रणाली पर एक आर्थिक बोझ है।

मार्च, 2019 में शुरू की गई भारत शीतलन कार्य योजना (आईसीएपी) में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कोल्ड चेन क्षेत्र, बेहतर डिजाइन और ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्री, शीतलन उपकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शीतलन मांग, ऊर्जा खपत और रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता को कम करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) देश में दक्ष दक्ष कोल्ड–चेन के स्वदेशी विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और उनका समर्थन कर रहा है। बीईई ने विश्व बैंक समूह, ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन सहायता कार्यक्रम (ईएसएमएपी) के सहयोग से 'भारत में कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता: पैक–हाउस में ऊर्जा दक्षता अवसरों का विश्लेषण' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है।

पैक हाउस के लिए डिजाइन, संचालन और रखरखाव संबंधी दिशा–निर्देश तैयार किए जा चुके हैं और हितधारकों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। बीईई ने मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) योजना के तहत वॉक–इन कोल्ड रूम और रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के लिए एमईपीएस (न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक) निर्धारित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है। साथ ही, निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज के लिए ऊर्जा खपत मानदंड निर्दिष्ट करने की पहल भी चल रही है।

योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- स्थानीय भाषा में ओएंडएम दिशा–निर्देशों का विकास तथा एमआईडीएच, एपीडा आदि के मौजूदा मानकों/दिशा–निर्देशों में समावेश के माध्यम से दिशा–निर्देशों का प्रसार और कार्यान्वयन
- ऊर्जा दक्ष एकीकृत कोल्ड–चेन डिजाइन विनिर्देशों, सामग्रियों और उपकरणों के चयन के लिए स्थानीय भाषा में दिशा–निर्देशों का विकास तथा निर्माण अनुमोदन, मौजूदा सब्सिडी योजनाओं आदि में शामिल करके कार्यान्वयन।
- 4 स्थानों पर प्रदर्शन परियोजनाएं (ग्रुप–ए राज्यों में 2 और ग्रुप–बी और सी राज्यों में 1–1ए जिसमें दो रेट्रो–फिट परियोजनाएं और दो नए डेमो स्थल विकसित किए जाएंगे)।
- प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों का उपयोग करके जागरूकता अभियान के माध्यम से प्रसार।
- एकीकृत कोल्ड–चेन ओ एंड एम कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम
- मालिकों और डिजाइन सलाहकारों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- फसल–उपरांत प्रबंधन पर किसानों और शीत–श्रृंखला संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

IV. ऊर्जा डाटा प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू)

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अंतर्गत ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू) की स्थापना, मजबूत ऊर्जा प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति और खपत पर विश्वसनीय डेटा संकलित करना और उसका प्रसार करना है। इस तरह के व्यापक डेटा राष्ट्रीय और वैश्विक ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और पारगमन उद्देश्यों का समर्थन करने वाली साक्ष्य–आधारित नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं।

ईडीएमयू विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, थिंक टैंकों, नीति आयोग और अन्य हितधारकों के सहयोग से काम करता है। सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली एक संचालन समिति ईडीएमयू की गतिविधियों की देखरेख करती है, जो रणनीतिक लक्ष्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित करती है। अप्रैल 2024 तक, ईडीएमयू के परिचालन ढांचे और आउटपुट को अंतिम रूप देने के लिए छह समिति बैठकें आयोजित की गई हैं।

जून 2023 में, (राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा: सर्वेक्षण और विश्लेषण) शीर्षक से उद्घाटन प्रकाशन जारी किया

गया, जो भारत के ऊर्जा परिदृश्य का समेकित दृश्य प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अब प्रयास आगामी दूसरे संस्करण पर केंद्रित हैं, इस प्रकाशन की गुणवत्ता और कवरेज को बढ़ाने के लिए फीडबैक प्राप्त करने के लिए मइ 2024 में एक परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी।

विरुवसनीय ऊर्जा डेटा संकलित करने और प्रसारित करने में ईडीएमयू की भूमिका भारत की पर्यावरण और विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण है। डेटा–समर्थित अंतर्दृष्टि की सुविधा प्रदान करके, यह नीति निर्माताओं को आने वाले वर्षों में टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने में सक्षम बनाता है।

V. जागरूकता और आउटरीच (2023–24)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने लोगों में ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान शुरू किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मीडिया अभियान चलाए गए। ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे व्यापक कवरेज के लिए लोगों तक पहुँचाने के लिए, बीईई ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और आउटडोर मीडिया में कई गतिविधियाँ शुरू की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

क. प्रिंट मीडिया:

बीईई लोगों को बिजली के उपकरणों की स्टार रेटिंग के बारे में जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर रहा है। इससे लोगों को लेबल और उनके उपयोग के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा, बीईई विभिन्न समाचार पत्रों में भर्ती विज्ञापन, नोटिस विज्ञापन, चेक परीक्षण विज्ञापन आदि जारी कर रहा है। इसके अलावा, उद्योग, संस्थान, उपकरण, भवन, परिवहन आदि श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) की घोषणा के लिए पूरे भारत में विज्ञापन भी जारी किए गए। असाधारण ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं का प्रदर्शन करने वाले उद्योगों, संस्थानों, उपकरणों, भवनों और परिवहन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ख. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:

रेडियो के कार्यक्रम:

लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, बीईई 19 भाषाओं में 15 मिनट का "बचत के सितारे – दोस्त हमारे" प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम चला रहा है। हाल के दिनों में, बीईई ने अगस्त, 2023 तक सोमवार से शनिवार तक सुबह 10:20 से 10:45 बजे के बीच ऑल इंडिया रेडियो (एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो) पर अपना रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया है।

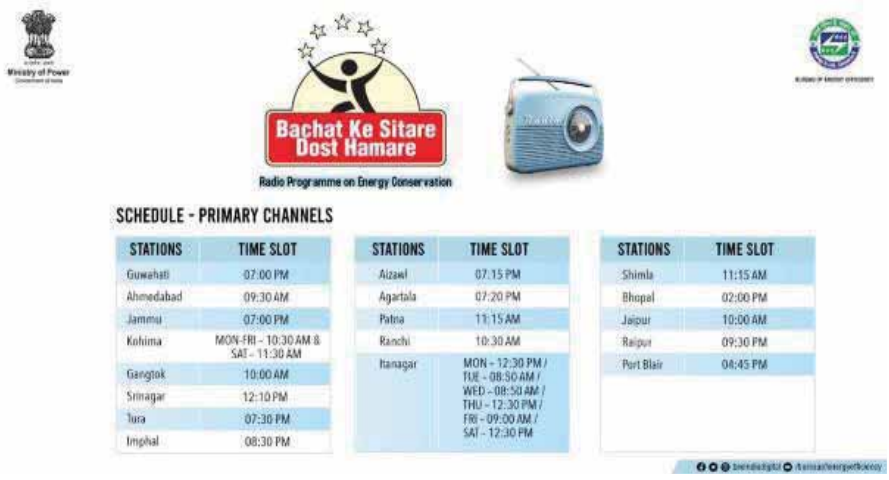

ऊर्जा संरक्षण पर संदेशों को मनोरंजक तरीके से एकीकृत करके, कार्यक्रम ने व्यापक दर्शकों का ध्यान और रुचि आकर्शित की, जिससे जानकारी अधिक आकर्शक और यादगार बन गई।

ग. आउटडोर मीडिया:

प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम :

विभिन्न प्रदर्शनियों और आयोजनों में बीईई के स्टॉल ने अपने रचनात्मक रूप से डिजाइन किए गए पैनलों के माध्यम से अपनी योजनाओं जैसे ईसीबीसी, ईएनएस, शून्य लेबलिंग, पीएटी आदि के बारे में जानकारी और उपलब्धि प्रदर्शित की।

i) पर्यावरण एवं ऊर्जा एक्सपो, 2023, नई दिल्ली

ii) सशक्त भारत एक्सपो, 2023, गुवाहाटी

iii) 9वां वाइब्रेंट इंडियन एक्सपो, 2023, नई दिल्ली

iv) विश्व पर्यावरण एक्सपो का चौथा संस्करण, नई दिल्ली

v) 42 वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली

vi) बीईई का स्थापना दिवस – इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर प्रदर्शनी और एक अन्य प्रदर्शनी

माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर केंद्र में बीईई के स्थापना दिवस समारोह के दौरान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कुकिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कुकिंग पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और घरों में दक्ष खाना पकाने के उद्देश्य में योगदान देने के लिए लगाई गई थी।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी चार्जर, बैटरी और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम प्रदर्शित किए गए। डेल्टा, टीवीएस मोटर्स, स्टैटिक, सर्वोटेक, सुकून, मर्सिडीज, एमजी मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सन मोबिलिटी, पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, एथर एनर्जी, जीओडीआई, महिंद्रा और ईईएसएल जैसे प्रमुख निर्माताओं के ईवी उत्पाद भी जनता के लिए प्रदर्शित किए गए।

o पैकेज्ड बॉयलरों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ

पैकेज्ड बॉयलरों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि पैकेज्ड बॉयलरों की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाया जा सके और उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सुविधा हो।

o विज़ी कूलर के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ

वाणिज्यिक बिवरेज कूलर, जिसे विसी कूलर के नाम से भी जाना जाता है, के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, बीईई के एस एंड एल कार्यक्रमों के लिए, 01 मार्च, 2024 को स्वैच्छिक चरण के तहत लॉन्च किया गया था।

o इंडिया ईवी डाइजेस्ट के प्रथम संस्करण का विमोचन

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि के साथ–साथ ईवी अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए बीईई द्वारा इंडिया ईवी डाइजेस्ट का पहला संस्करण जारी किया गया है, ताकि देश वर्ष 20230 तक कुल वाहन बिक्री में ईवी की 30% हिस्सेदारी हासिल करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप बना रहे।

o राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 जारी

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था गठबंधन (एईईई) के सहयोग से शुरू किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) के पांचवें संस्करण को राज्यों में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की वार्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए जारी किया गया।

ग. सोशल मीडिया

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वर्तमान में निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय उपस्थिति बनाए रखता है:

- फेसबुक: https://www.facebook.com/beeindiadigital/
- ट्विटर: https://twitter.com/beeindiadigital
- लिंक्डइन: https://www.linkedin.com/company/beeindiadigital/
- इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/beeindiadigital/
- यूट्यूब: https://www.youtube.com/bureauofenergyefficiency

बीईई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के क्रिएटिव और वीडियो पोस्ट करता रहा है। विविधतापूर्ण कंटेंट पेश करने से व्यापक दर्शकों को आकर्शित करने और उनसे जुड़ने में मदद मिली। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पोस्ट (लाइक, कमेंट और शेयर के आधार पर) और उनकी सामग्री/विषय इस प्रकार हैं:

अभियान और पहलः

सोशल मीडिया पर बीईई द्वारा चलाए गए कुछ अभियानों की सूचीः

- # एनईसीए2023
- # एनईईआईए2023
- # राष्ट्रीयचित्रकलाप्रतियोगिता2023
- # कूलस्मार्टर, # सेवपावर
- # ईकुकिंग
- # यहदिवालीसेविंगवाली / # स्वच्छदिवाली, # शुभदिवाली
- # स्वच्छता अभियान
- # सतर्कताजागरूकता
- # गोइलेक्ट्रिक, # गोग्रीन
- # ऊर्जायोद्धाप्रतियोगिता

- # हीरोजऑफदप्लेनेट
- # हमाराप्राणऊर्जासंरक्षण
- # चूजलाईफ, # मिशनलाईफ
- # बीईई स्थापना दिवस

घ. प्रकाशन :

ब्यूरो ने इस वर्ष कई दस्तावेज और रिपोर्ट प्रकाशित कीं। इनकी प्रतियां संबंधित हितधारकों को वितरित की गईं और व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए इन्हें बीईई की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। दस्तावेजों और रिपोर्टों की सूची नीचे दी गई है:

- बचत के सितारे – एक घरेलू हिंदी पत्रिका
- वार्षिक रिपोर्ट (2022–23)
- बीईई लाइन न्यूज़लेटर का 18 वां, 19 वां और 20 वां 21 वां अंक

ङ अन्य जागरूकता गतिविधियाँः

(i) वीडियो

जागरूकता वीडियो तैयार कर बीईई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया गया :

- o ग्रीन बिल्डिंग्स – क्षमता और कवरेज पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ)
- o उजाला– रोशन भारत
- o बीईई स्टार लेबल उपकरण
- o भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देनाः बीईई की पीएटी योजना का अनावरण।
- o बीईई का सुविधा केंद्र
- o उन्नत तकनीक प्रर्दशन केन्द्र (उत्प्रेरक)।
- o फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम पर मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल
- o सीईएम14/एमआई–8 के लिए "एक साथ स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना"।

(ii) साक्षात्कार

विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए और उन्हें फाइनेंशियल एक्सप्रेस, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), हिंदू बिजनेस लाइन और मिंट जैसे विभिन्न मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित किया गया।

हिंदू बिजनेस लाइन

Carbon market 'to deepen power sector, push target of 500 GW RE by 2030'

फाइनेंशियल एक्सप्रेस

Stakeholder consultations on carbon credit market soon

The scheme is in the draft stage. We expect to start the scheme in next two years.

(iii) प्रेस विज्ञप्तियाँ

विभिन्न अवसरों/घटनाओं पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं तथा व्यापक कवरेज के लिए मीडिया घरानों को भेजी जाती हैं। कुछ अवसरों/घटनाओं का कवरेज नीचे दिया गया हैः

- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) 2021–22 का शुभारंभ।

- उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र (यूटीपीआरईआरएके) का शुभारंभ।
- ई–कुकिंग पारगमन के लिए उपभोक्ता–केंद्रित दृष्टिकोण पर सम्मेलन।
- 14 स्वच्छ ऊर्जा मंत्री मंत्री स्तरीय और 8वां मिशन नवाचार बैठक 19 जुलाई, 2023 को गोवा में आयोजित की गई ।
- 20 जुलाई, 2023 को गोवा में भारत की जी–20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा पारगमन कार्य समूह की चौथी बैठक।
- सीईएम–14 / एमआई–8 में 21 जुलाई, 2023 को वैश्विक ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सुपर–दक्ष उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया जाएगा ।
- 22 जुलाई, 2023 को गोवा में भारत की जी–20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा पारगमन मंत्रिस्तरीय बैठक का समापन।
- सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल कार्यक्रम) का शुभारंभ।
- कर्टेन रेज़र एनईसी दिवस, 2023
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसम्बर, 2023
- बीईई का स्थापना दिवस, 2024
- ग्रिड से जुड़े सौर इन्वर्टर के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ।

Hindustan Times

Bureau of Energy Efficiency celebrates 22nd anniversary

On Mar 1, 22 years ago, an organisation was set up under the Ministry of Power, Govt of India, under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001, to reduce energy intensity of the Indian economy. The 22nd Foundation Day of The Bureau of Energy Efficiency was celebrated on Mar 1. This year the observed theme was "Energy Transition through Electrification and Decarbonisation in India", and was graced by the Union Power and New & Renewable Energy Minister RK Singh, and several other senior officials.

ई–कुकिंग के लिए उपभोक्ता केंद्रित सम्मेलन का आयोजन

PTI PRESS TRUST OF INDIA

Grid connected solar inverter new addition to Standards and Labeling Programme

बीईई से बिजली खपत कम करने में मदद मिली : सिंह

नई दिल्ली : केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के कार्यक्रमों से देश में बिजली खपत में 3 .5 प्रतिशत कमी लाने में मदद मिली है। बीईई के 22वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन पहलों से हर वर्ष 30 .6 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन भी कम किया जा चुका है। (पेट्र)

(iv) प्रेस कॉन्फ्रेंस

बीईई ने पीआईबी के साथ मिलकर निम्नलिखित के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की: –

- 14 दिसंबर, 2023 को विज्ञान भवन के वीआईपी लाउंज में माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री

- सीईएम14/एमआई–8/ 4वां जी 20 बैठक 14 जुलाई को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में शुरू हुई

1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

I. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह पुरस्कार समारोह भारत में ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

ये पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें भवन, उद्योग, बिजली उपयोगिताएँ और निर्माता शामिल हैं। विजेताओं का चयन उनके ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के आधार पर किया जाता है, जिसमें ऊर्जा– दक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना शामिल हो सकता है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का उद्देश्य पूरे देश में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को मान्यता और पुरस्कृत करके, बीईई दूसरों को भी ऐसा करने और सतत विकास की दिशा में भारत के प्रयासों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है।

पुरस्कार समारोह आमतौर पर हर साल 14 दिसंबर को आयोजित किया जाता है (जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है), और विजेताओं को एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। एनआसीए 2023 के लिए, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

1. **कम ऊर्जा बिलः** जब संगठन ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं और परिणामस्वरूप, उनके ऊर्जा बिल कम हो सकते हैं। यदि संगठन बचत को अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है, तो यह उपभोक्ता के लिए कम लागत में तब्दील हो सकता है।

2. **बेहतर ऊर्जा दक्षताः** राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार संगठनों को ऊर्जा– दक्ष तकनीक और आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सकता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देकर लाभ मिलता है।

3. **जागरूकता में वृद्धिः** पुरस्कार समारोह सफल ऊर्जा संरक्षण पहलों को प्रदर्शित करने का एक मंच है, जो उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह व्यक्तियों को अपने घरों और दैनिक जीवन में ऊर्जा–दक्ष प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

4. **जीवन की बेहतर गुणवत्ताः** ऊर्जा संरक्षण उपायों का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उपभोक्ताओं के जीवन की बेहतर गुणवत्ता में योगदान हो सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिलों में कमी, ऊर्जा दक्षता में सुधार, जागरूकता में वृद्धि, और अधिक संधारणीय भविष्य में योगदान के रूप में लाभ मिलता है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेता संगठनों की सूची इस प्रकार है:

एनईसीए 2023 के पुरस्कार विजेता

वर्ग	क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	दूसरा पुरस्कार	योग्यता प्रमाणपत्र (सीओएम)
उद्योग	एल्युमिनियम (स्मेल्टिंग प्लांट)	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	–	.–
	एल्युमिनियम (रिफाइनरी)	–	.–	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रांची (झारखंड)
	ऑटोमोबाइल (मुख्य)	टाटा मोटर्स लिमिटेड. जमशेदपुर (झारखंड)	एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हलोल (गुजरात)	अशोक लेलैंड लिमिटेड. पंतनगर (उत्तराखंड) टाटा मोटर्स लिमिटेड. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
	ऑटोमोबाइल (सहायक)	डेन्सो हरियाणा प्रा. लिमिटेड, मानेसर (हरियाणा)	.–	डेंसो टेन यूनो मिंडा इंडिया प्रा. लिमिटेड रेवाड़ी (हरियाणा) मारेली मदरसोन ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड पुणे (महाराष्ट्र)
	चीनी मिट्टी	–	.–	सेंट–गोबेन इंडिया प्रा. लि. पलक्कड़ (केरल)
	डेरी	सुमुल नवीपार्डी डेयरी सूरत (गुजरात)	हेरिटेज फूड्स लिमिटेड अनकापल्ली (आंध्र प्रदेश)	सुमुल डेयरी सूरत (गुजरात) मालाबार क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड कोझिकोड (केरल)
	रंग और रंगद्रव्य	–	–	यूफ्लेक्स लिमिटेड– रसायन व्यवसाय नोएडा (उत्तर प्रदेश)

वर्ग	क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	दूसरा पुरस्कार	योग्यता प्रमाणपत्र (सीओएम)
उद्योग	उर्वरक (फॉस्फेट)	**इफको– पारादीप** जगतसिंहपुर (ओडिशा)	**पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड** जगतसिंहपुर (ओडिशा)	**फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड.** एर्नाकुलम (केरल)
	उर्वरक (यूरिया)	**कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड** शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)	**नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड.** पानीपत (हरियाणा)	**चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड – गड़ेपान** कोटा (राजस्थान)
	पेट्रोलियम रिफाइनरी	**इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.** गुवाहाटी (असम)	**हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड.** मुंबई (महाराष्ट्र)	**इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.** हल्दिया (पश्चिम बंगाल) **भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड.** कोच्चि (केरल)
	रेलवे वर्कशॉप	**वैगन डिपो दक्षिण मध्य रेलवे** विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	**केंद्रीय कार्यशाला दक्षिणी रेलवे** त्रिची (तमिलनाडु)	**गाड़ी मरम्मत कार्यशाला पश्चिमी रेलवे** भावनगर (गुजरात) **कैरिज एवं वैगन कार्यशाला पूर्वी रेलवे** लिलुआ (पश्चिम बंगाल)
	द्वितीयक इस्पात	**श्रीयम पावर एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड.** गांधीधाम (गुजरात)	–	**जश इंजीनियरिंग लिमिटेड.** इंदौर (मध्य प्रदेश)
	थर्मल पावर प्लांट (<100 मेगावाट)	**अल्ट्रा टेक– नाथद्वारा सीमेंट वर्क्स** सिरोही (राजस्थान)	**ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड– केमिकल डिवीजन** पलामू (झारखंड)	**अल्ट्रा टेक सीमेंट– मैहर सीमेंट वर्क्स** सतना (मध्य प्रदेश) **बजाज एनर्जी लिमिटेड.** उतरौला (उत्तर प्रदेश)

वर्ग	क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	दूसरा पुरस्कार	योग्यता प्रमाणपत्र (सीओएम)
उद्योग	थर्मल पावर प्लांट (≤100 मेगावाट)	जीएमआर वारोरा एनर्जी लिमिटेड. चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन (ओपीजीसी) लिमिटेड. झारसुगुडा (ओडिशा)	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड. संबलपुर (ओडिशा) एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड. तिरुवल्लूर (तमिलनाडु) नाभा पावर लिमिटेड. पटियाला (पंजाब)
भवन	कॉर्पोरेट कार्यालय	–	–	रलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. मुंबई (महाराष्ट्र)
	सरकारी कार्यालय	यात्री आरक्षण प्रणाली, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे	लेखा भवन, हैदराबाद विभाजन दक्षिण मध्य रेलवे	रेलवे रनिंग रूम, गुंतकल मंडल दक्षिण मध्य रेलवे रेनीगुंठा रेलवे रनिंग रूम, गुंतकल डिवीजन दक्षिण मध्य रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, गुंतकल मंडल दक्षिण मध्य रेलवे
परिवहन	क्षेत्रीय रेलवे	उत्तर मध्य रेलवे	दक्षिण मध्य रेलवे	पश्चिमी रेलवे दक्षिण पश्चिम रेलवे
संस्थान	राज्य ऊर्जा दक्षता निष्पादन पुरस्कार (समूह 1)	कर्नाटक	हरियाणा महाराष्ट्र	–
	राज्य ऊर्जा दक्षता निष्पादन पुरस्कार (समूह 2)	आंध्र प्रदेश	केरल तेलंगाना	–
	राज्य ऊर्जा दक्षता निष्पादन पुरस्कार (समूह 3)	असम	गोवा	–
	राज्य ऊर्जा दक्षता निष्पादन पुरस्कार (समूह 4)	चंडीगढ़	मेघालय	–

वर्ग	उपकरण का नाम	मॉडल संख्या
उपकरण	वॉशिंग मशीन	मॉडल नं: WA70BG4441BY ब्रांडः सैमसंग
	रेफ्रिजरेटर	मॉडल नं: डीसी 215 एफ ब्रांडः व्हर्लपूल
	स्टोरेज वॉटर हीटर	मॉडल नं: SWH 3015 ब्रांड : क्रॉम्पटन

II. राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार (एनईईआईए)

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो किसी देश में ऊर्जा दक्षता नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों, संगठनों या परियोजनाओं को दिया जाता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को बढ़ावा देना और उनका कीर्तिगान करना है, उन लोगों को मान्यता देना है जिन्होंने ऊर्जा की खपत को कम करने, स्थिरता में सुधार करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अभिनव समाधान विकसित किए हैं।

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों के लिए विशिष्ट मानदंड और श्रेणियां आयोजन के लिए जिम्मेदार आयोजक निकाय या संस्थान के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। हालाँकि, सामान्य श्रेणियों में अक्सर ये शामिल होते हैं:

1 **ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी:** ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास या अनुप्रयोग में प्रगति को मान्यता देता है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण समाधान, या ऊर्जा दक्ष उपकरण।

2 **भवन निर्माण:** उन परियोजनाओं या पहलों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने वाणिज्यिक, आवासीय या सार्वजनिक संरचनाओं सहित इमारतों में असाधारण ऊर्जा दक्षता का प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में अभिनव डिजाइन रणनीतियाँ, दक्ष एचवीएसी सिस्टम, इन्सुलेशन समाधान या टिकाऊ निर्माण सामग्री शामिल हो सकती हैं।

3 **औद्योगिक दक्षता:** औद्योगिक प्रक्रियाओं, विनिर्माण या उत्पादन सुविधाओं के भीतर ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी अक्सर नवीन प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों या प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो ऊर्जा की बर्बादी को कम करती हैं और औद्योगिक सेटिंग्स में ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करती हैं।

4 **परिवहन दक्षता:** उन पहलों को मान्यता दी जाती है, जिन्होंने परिवहन में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास, दक्ष सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियां, या स्मार्ट गतिशीलता समाधान।

5 **ऊर्जा प्रबंधन और नीति:** उन संगठनों या कार्यक्रमों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन रणनीतियों या नीति उपायों को लागू किया है। इस श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण अभियान, नीतिगत समर्थन, ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्यक्रम या अभिनव वित्तपोषण मॉडल शामिल हो सकते हैं।

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे दूसरों को समान रणनीति अपनाने और अधिक टिकाऊ और ऊर्जा दक्ष भविष्य में योगदान करने के लिए प्रेरणा मिलती है। विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेता संगठनों की सूची इस प्रकार है:

एनईईआईए 2023 के पुरस्कार विजेता

उद्योग श्रेणी

कंपनी	परियोजना का नाम	श्रेणी
टाटा स्टील लिमिटेड.	ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन की खपत कम करने के लिए कोक सुखाने की प्रणाली का उपयोग	प्रथम
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	भारत हाईजी डी–एरेशन टेक्नोलॉजी: नेट जीरो की ओर एक पहल	द्वितीय
टाटा स्टील लिमिटेड.	कोक ओवन गैस उत्पादन के लिए पूर्वानुमान मॉडलिंग परियोजना	सीओआर (मान्यता प्रमाणपत्र)
वेदांता लिमिटेड– एल्युमीनियम एंड पावर, झारसुगुड़ा	वेदांता लाइनिंग डिजाइन	मान्यता प्रमाणपत्र

भवन श्रेणी

कंपनी	परियोजना का नाम	श्रेणी
एंट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड	कूल एंट	मान्यता प्रमाणपत्र
75एफ स्मार्ट इनोवेशन सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	ऊर्जा दक्षता बनाम थर्मल कम्फर्ट: सबसे बड़ी ई–कॉमर्स कार्यालय इमारत का एक केस स्टडी	मान्यता प्रमाणपत्र

परिवहन श्रेणी

कंपनी	परियोजना का नाम	श्रेणी
लोहुम क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड	अपशिष्ट बैटरियों के पुनर्चक्रण के माध्यम से लोहुम बैटरी सामग्री का उत्पादन	मान्यता प्रमाणपत्र
कैनक्री	उच्च प्रदर्शन वाली बैटरियों के लिए उन्नत कार्बन	मान्यता प्रमाणपत्र

III. ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता

ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता एक पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना और उन्हें कला के माध्यम से अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह प्रतियोगिता युवा कलाकारों को ऊर्जा संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

यह प्रतियोगिता कक्षा 5 वीं, 6 वीं और 7 वीं (ग्रुप–ए) तथा कक्षा 8 वीं, 9 वीं और 10 वीं (ग्रुप–बी) के विद्यार्थियों के लिए खुली है। प्रतिभागियों को ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने वाली पेंटिंग या कलाकृतियाँ बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करने और संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है।

चित्रकला के लिए विषय हर साल अलग–अलग हो सकती है, लेकिन वे आम तौर पर अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा– दक्ष तकनीक, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, मिशन लाइफ, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने या टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने जैसी अवधारणाओं के इर्द–गिर्द घूमती हैं। ये थीम प्रतिभागियों को रचनात्मक रूप से सोचने और ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

यह प्रतियोगिता ऊर्जा मंत्रालय के मार्गदर्शन में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा आयोजित की जाती है। विजेताओं और फाइनलिस्टों का चयन उनकी कलाकृतियों की मौलिकता, रचनात्मकता और ऊर्जा संरक्षण

के विषय से उनकी प्रासंगिकता के आधार पर किया जाता है। जीतने वाली पेंटिंग अक्सर ऊर्जा संरक्षण अभियानों के लिए एम्बेसडर के रूप में काम करती हैं, जो संदेश को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाती हैं।

ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता न केवल कलात्मक प्रतिभा को पोषित करती है बल्कि युवा मन को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उसमें शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों की एक पीढ़ी बनाने में मदद करती है जो अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों और कार्यों के माध्यम से एक संधारणीय भविष्य में योगदान दे सकते हैं।

वर्ष 2023 में, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने विजेताओं को पुरस्कार (नकद पुरस्कार) प्रदान किए तथा माननीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा कैबिनेट मंत्री और माननीय विद्युत राज्य मंत्री ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

विभिन्न समूहों के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची इस प्रकार है:

ग्रुप ए

पुरस्कार	छात्र का नाम	स्कूल का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
प्रथम	आरुषि सिंह	आचार्यकुलम	उत्तराखंड
द्वितीय	ख्यातिश्री	एमिटी इंटरनेशनल स्कूल	छत्तीसगढ
तृतीय	आरवी कोराट	व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल	गुजरात

ग्रुप बी

पुरस्कार	छात्र का नाम	स्कूल का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
प्रथम	जुनेद अयूब	शिशु निकेतन एचएस स्कूल	असम
द्वितीय	सिमरन सैनी	डीएवी पब्लिक स्कूल	जयपुर, राजस्थान
तृतीय	बृष्टि घोष	केन्द्रीय विद्यालय	पश्चिम बंगाल

- 2 -

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

2.1 अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

2.2 बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.1 अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

1. भारत–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

उद्योग में ऊर्जा दक्षता और डेटा

वर्ष 2019 में आयोजित सरकार–से–सरकार के मध्य वार्ता के दौरान भारत और जर्मन सरकार ने स्टील, पल्प और पेपर सेक्टर या किसी अन्य समान उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 4.9 मिलियन यूरो तक की तकनीकी सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, बीएमजैड जर्मनी द्वारा एक नई परियोजना "उद्योग में ऊर्जा दक्षता और डेटा" आरंभ की गई, जिसकी नियोजित अवधि 3 वर्ष (अर्थात 2020–23) है और अतिरिक्त 2 मिलियन यूरो के वित्त–पोषण के साथ दो साल का और विस्तार किया गया है। यह परियोजना राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तकनीकी और नीतिगत स्तर के पहलुओं के माध्यम से द्वितीयक स्टील और कागज क्षेत्रों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप संचालित किए गए:

- उद्योग 4.0 पर दो प्रायोगिक परियोजनाएँ सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गईं (फाउंड्री और फोर्जिंग इकाइयों में)। बीईई द्वारा स्केलिंग के लिए टीओआर तैयार किया गया।
- डिजी ट्विन प्रशिक्षण सिम्युलेटर विकसित किया गया, जिसका शुभारंभ बीईई के स्थापना दिवस पर माननीय विद्युत मंत्री द्वारा किया गया।
- बेलगाम और फाउंड्री क्लस्टरों में 400 से अधिक प्रतिभागियों के साथ लिंग संवेदीकरण पर 20 प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- इस्पात और कागज क्षेत्र में 30 से अधिक क्लस्टरों से 380 से अधिक ऊर्जा संपरीक्षाएं पूर्ण की गईं।
- 28 अप्रैल, 2023 को कोलकाता में इस्पात क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी कार्यशाला आयोजित की गई।
- जून 2023 में नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ इस्पात क्षेत्र पर यूरोप में ज्ञान विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 11 जुलाई, 2024 को दिल्ली में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को बढ़ाने पर कार्यशाला आयोजित की गई।

ऊर्जा दक्ष शीतलन

आर्थिक मामले और जलवायु कार्रवाई संघीय मंत्रालय, जर्मन संघीय सरकार की ओर से, डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनार्बेट (जीआईजेड) जीएमबीएच के सहयोग से, जिला शीतलन दिशानिर्देश विकसित करने में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सहयोग प्रदान कर रहा है।

जुलाई, 2023 में हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बीईई ने "भविष्य के शहरों का शीतलन – जिला शीतलन दिशा–निर्देशों का शुभारंभ" पर एक रिपोर्ट का विमोचन किया।

बीईई सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी, विभिन्न आईआईटी और डिस्कॉम के साथ उनकी आगामी परियोजनाओं में जिला शीतलन प्रणालियों में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए चर्चा कर रहा है। जीआईजेड और यूएनईपी के साथ जिला शीतलन हबध्उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर चर्चा चल रही है।

2. भारत–अमेरिका सहयोगः

भारत–अमेरिका ऊर्जा वार्ता मई, 2005 में शुरू की गई थी और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- पारस्परिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना,
- ऊर्जा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना,
- स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की स्थापना को सुविधाजनक बनाना।

इस वार्ता का नाम बदलकर अमेरिका–भारत सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (एससीईपी) कर दिया गया है। अमेरिका–भारत एससीईपी की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह–अध्यक्षता माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा अमेरिकी ऊर्जा सचिव द्वारा की जाती है।

अमेरिकी ऊर्जा विभाग का ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यालय (ईईआरई) और भारत का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) अमेरिका–भारत एससीईपी के तहत विद्युत और ऊर्जा दक्षता कार्य समूह के तत्वावधान में सहयोग करते हैं। सहयोग का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा दक्ष नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और कार्यान्वयन में सहयोग करना था जो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद कर सकते हैं।

ऊर्जा दक्षता में प्रगतिः

12 फरवरी, 2024 को ऊर्जा सूचना एजेंसी के साथ आवासीय ऊर्जा खपत सर्वेक्षण (आरईसीएस) पर केंद्रित एक विस्तृत ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। इस सत्र का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू) के सहयोग से किया गया था।

- **भारत निर्माण क्षेत्र दृष्टिकोण और जीईबी व्यवहार्यता ढांचाः** इसकी दो बैठकें आयोजित की गईं, एक दिसंबर 2022 में और दूसरी नवंबर 2023 में, जिनका उद्देश्य था – भारत निर्माण क्षेत्र दृष्टिकोण का विकास और उसकी तैयारी। इन बैठकों में ग्रिड–एकीकृत दक्षता भवन (जीईबी) के लिए व्यवहार्यता ढांचा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे भवन क्षेत्र में अभिनव समाधानों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

  सितंबर 2023 में, संभावित सहयोग के बारे में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक चर्चा हुई। इन चर्चाओं का उद्देश्य जी20 द्विपक्षीय बैठक में घोषणाओं का प्रस्ताव करना था, जो ऊर्जा दक्षता पर दोनों देशों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है।

- **अमेरिकी ऊर्जा विभाग और ओएसपीईसी के साथ मसौदा अवधारणा चर्चाः** अक्तूबर 2023 में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बीईई ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग (डीओई) और जलवायु के लिए विशेष राष्ट्रपति दूत कार्यालय (ओएसपीईसी) के साथ चर्चा की। यह बैठक जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए एक सहयोगी अवधारणा का मसौदा तैयार करने पर केंद्रित है।

अक्तूबर 2024 में, ओएसपीईसी के सचिव जॉन केरी ने माननीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री को औपचारिक रूप से पत्र लिखा। उनके पत्र–व्यवहार में साझेदारी के लिए अनुरोध पर प्रकाश डाला गया, जिसमें साझा ऊर्जा दक्षता और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी प्रयासों के महत्व पर जोर दिया गया।

3. भारत–यूके सहयोग

यूके और भारत के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है, जो औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग और द्विपक्षीय भागीदारी के साथ पिछले कुछ वर्षों में और अधिक मजबूत हुई है।

इस साझेदारी को आगे बढ़ाने तथा सतत विकास और समावेशी वृद्धि का सहयोग करने के लिए, अक्तूबर 2021 में "स्मार्ट पावर और नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी लाना" (एएसपीआईआरई) पर द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। एएसपीआईआरई को यूके सरकार के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) द्वारा भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य निवेश में वृद्धि को उत्प्रेरित करना है जिससे सतत और समावेशी आर्थिक विकास को सहयोग प्रदान होता है तथा महिलाओं और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के संवर्धन और सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी में कमी आती है।

पिछले एक वर्ष में एस्पायर (एएसपीआईआरई) कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन क्षेत्र में कई कार्यशालाएँ/ वेबिनार/अध्ययन दौरे आयोजित किए गए हैं। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

I. 'लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाएं – डीकार्बोनाइजेशन का मार्ग' पर आई–दीक्षा क्षेत्रीय कार्यशाला

एस्पायर (एएसपीआईआरई) कार्यक्रम ने 19 अप्रैल 2023 को रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत में लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र–विशिष्ट कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन एफसीडीओ, यूके सरकार और बीईई, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यशाला में भारत और यूके के 110 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, औद्योगिक

चित्र 1 – रायपुर, छत्तीसगढ़ में लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय कार्यशाला से समूह फोटोग्राफ, 19 अप्रैल 2023

संगठनों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कार्यशाला में लौह एवं इस्पात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया जैसे कि पीएटी योजना का प्रभाव, भारतीय उद्योगों द्वारा लागू की गई अग्रणी प्रथाएँ और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने और डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम करने के लिए यूके और भारत की नवीन उभरती प्रौद्योगिकियाँ।

II. गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (जीपीआईएल), रायपुर, छत्तीसगढ़ की आई–दीक्षा अध्ययन यात्रा

एस्पायर (एएसपीआईआरई) कार्यक्रम के अंतर्गत 20 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (जीपीआईएल) की इकाई की एक घरेलू अध्ययन यात्रा आयोजित की गई। अध्ययन यात्रा का आयोजन एफसीडीओ और बीईई ने जीपीआईएल के सहयोग से संयुक्त रूप से किया था। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, औद्योगिक संगठनों, शोध संस्थानों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। अध्ययन यात्रा का उद्देश्य जीपीआईएल इकाई द्वारा अपनाई गई विभिन्न अग्रणी प्रथाओं और नवीन औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन (आईईईडी) प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और प्रचार–प्रसार करना था।

चित्र 2– जीपीआईएल अध्ययन यात्रा से समूह फोटो, रायपुर, छत्तीसगढ़, 20 अप्रैल 2023

III. एल्युमीनियम और सीमेंट क्षेत्रों में सर्कुलर अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को सक्षम बनाने पर नीतिगत गोलमेज सम्मेलन

एल्युमीनियम और सीमेंट क्षेत्रों के लिए क्षेत्र–विशिष्ट कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिसमें संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता प्रथाओं को अपनाने के महत्व को दोहराया गया। 9 जून 2023 को 'एल्युमीनियम और सीमेंट क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को सक्षम बनाना एल्युमीनियम क्षेत्र के स्पेंट पॉट लाइनिंग (एसपीएल) और अन्य अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग' पर एक नीतिगत गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।

नीतिगत गोलमेज सम्मेलन में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार एजेंसियों, औद्योगिक संगठनों, अनुसंधान संस्थानों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

चित्र 3– बीईई में नीतिगत गोलमेज सम्मेलन, नई दिल्ली, 9 जून 2023

IV. आई–दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक पहुंच के लिए दो बाह्य कार्यक्रमों का आयोजन

एस्पायर (एएसपीआईआरई) कार्यक्रम ने बीईई के सहयोग से औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन विषय पर दो (2) कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनका उद्देश्य बाह्य हितधारकों द्वारा व्यापक पहुंच के लिए आई–दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता में वृद्धि करना और ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए अग्रणी आईईईडी प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में ज्ञान का प्रसार करना था। एस्पायर कार्यक्रम दल ने निम्नलिखित 2 कार्यक्रमों में 'औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन – आई–दीक्षा प्लेटफॉर्म से अंतर्दृष्टि' पर प्रस्तुतियाँ पेश कीं:

चित्र 4– सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैने. जर्स (एसईईएम), दिल्ली द्वारा आयोजित 'इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स' कार्यक्रम से फोटोग्राफ, 21 सितंबर 2023

i. सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स (एसईईएम) द्वारा 21 सितंबर 2023 को आयोजित इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स, जिसमें 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चित्र 5– पीईडीए द्वारा चंडीगढ़ में 13 अक्तूबर 2023 को आयोजित 'ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाजार' कार्यक्रम से फोटोग्राफ

ii. 13 अक्तूबर 2023 को पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) द्वारा 'ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाजार' पर सम्मेलन–सह–प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े उद्योगों और एमएसएमई, वित्तीय संस्थानों और बीईई के प्रतिनिधियों और पंजाब सरकार के अधिकारियों को मिलाकर 250 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

V. ऊर्जा गहन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग 4.0 का लाभ उठाने पर प्रस्तुतिकरण (अक्तूबर 2023)

25 अक्तूबर 2023 को भारत सरकार के बीईई के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उद्योग 4.0 पर एस्पायर कार्यक्रम दल द्वारा ज्ञान साझा करने पर एक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान दो यूके आधारित कंपनियों सेंट्रिका पीएलसी और फ्लॉक एनर्जी के डिजिटल समाधानों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्र के दौरान, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम करने के लिए कपड़ा, सीमेंट आदि जैसे ऊर्जा गहन औद्योगिक क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की संभावना पर विचार–विमर्श किया गया।

VI. भारतीय एल्युमीनियम उद्योग के लिए ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन रणनीति पर हितधारक परामर्श

एस्पायर कार्यक्रम दल ने बीईई के साथ मिलकर तथा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता समूह के सहयोग से 21 दिसंबर 2023 को ओडिशा के संबलपुर और झारसुगुड़ा में एल्युमीनियम प्रगलन, एल्युमीना परिशोधन इकाइयों आदि सहित प्रमुख भारतीय एल्युमीनियम उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत परामर्श का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और औद्योगिक संगठनों के 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। परामर्श का उद्देश्य उद्योग के विचारों को समझना था कि किस प्रकार भारतीय एल्युमीनियम क्षेत्र विभिन्न ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन उपायों को अपनाकर निवल–शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर सकता है।

VII. खन्ना कागज मिल्स, अमृतसर का आई–दीक्षा अध्ययन दौरा

14 फरवरी 2024 को एस्पायर कार्यक्रम के तहत खन्ना पेपर मिल्स, अमृतसर, पंजाब का अध्ययन दौरा आयोजित किया गया। अध्ययन दौरा एफसीडीओ, यू.के. सरकार और बीईई, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, औद्योगिक संगठनों, शोध संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकारियों सहित लगभग 40 हितधारकों ने भाग लिया। अध्ययन दौरे का उद्देश्य खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा अपनी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और अपने संचालन को डीकार्बोनाइज करने के लिए अपनाई गई विभिन्न अग्रणी प्रथाओं और नवीन औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन (आईईईडी) प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना और उनका प्रचार–प्रसार करना था।

VIII. बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (बीसीएमएल), हैदरगढ़ का आई–दीक्षा अध्ययन दौरा (मार्च 2024)

एस्पायर कार्यक्रम के तहत एफसीडीओ, यूके सरकार और बीईई, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (बीसीएमएल) के सहयोग से 22 मार्च 2024 को बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (बीसीएमएल), हैदरगढ़, उत्तर प्रदेश के एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया। इस अध्ययन दौरे के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, औद्योगिक संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकारियों सहित लगभग 30 हितधारकों को इकाई द्वारा अपनाई गई विभिन्न अग्रणी प्रथाओं और नवीन औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन (आईईईडी) प्रौद्योगिकियों को समझने का अवसर प्रदान किया गया।

IX. 'लुगदी और कागज क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन में सर्वोत्तम प्रथाएं – डीकार्बोनाइजेशन की ओर कदम' पर आई–दीक्षा क्षेत्रीय कार्यशाला

एस्पायर कार्यक्रम के तहत 13 फरवरी 2024 को अमृतसर, पंजाब में एक दिवसीय क्षेत्रीय विद्यालय का आयोजन किया गया। संस्था का आयोजन एफसीडीओ, यूके सरकार और बीईई, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। क्षेत्रीय कार्यशाला का विषय था – 'लुगदी और कागज क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन में सर्वोत्तम प्रथाएं – डीकार्बोनाइजेशन की ओर कदम'। इस कार्यक्रम में भारत और यूके के 45 से अधिक हितधारकों, सरकारी दस्तावेजों, उद्योग संघों, शोधार्थियों, प्रमुख लुगदी और पेपर्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने भाग लिया। वर्कशॉप के दौरान, हितधारकों ने ऊर्जा प्रयोगशाला (ईई) को बढ़ाने

और लूगडी और पेपर क्षेत्र के डीकार्बन स्केल को वर्तमान और स्पष्ट बाजार परिदृश्य के लिए सक्षम बनाने, चल रहे और आगामी सरकारी हस्तक्षेपों और प्रमुख पहलुओं, पुस्तकालय आदि पर विचार–विमर्श किया।

- एस्पायर कार्यक्रम के तहत 27 फरवरी 2024 को गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) ऑडिटोरियम, दाहेज में एक–दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन एफसीडीओ और बीईई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें जीएसीएल का सहयोग भी शामिल था। इस कार्यक्रम में भारत और यूके के 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें सरकारी एजेंसियां, उद्योग संघ, प्रमुख क्लोर–अल्कली निर्माता और प्रौद्योगिकी प्रदाता शामिल थे। कार्यशाला के दौरान, हितधारकों ने क्लोर–अल्कली क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए आवश्यक अग्रणी प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों और नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार–विमर्श किया।

- एस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत 21 मार्च 2024 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक–दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन एससीडीओ, यूके सरकार और बीईई, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। क्षेत्रीय कार्यशाला का विषय था "चीनी क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन में सर्वोत्तम प्रथाएं डीकार्बोनाइजेशन की ओर कदम"। कार्यशाला में भारत और UK के 60 से अधिक हितधारकों ने सक्रिय भागीदारी की, जिसमें सरकारी एजेंसियां, उद्योग संघ, अनुसंधान संगठन, प्रमुख चीनी निर्माता और प्रौद्योगिकी प्रदाता शामिल थे। कार्यशाला के दौरान, हितधारकों ने चीनी क्षेत्र की औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन (आईईईडी) को बढ़ाने के लिए वर्तमान और संभावित बाजार परिदृश्य, चल रहे और आगामी सरकारी हस्तक्षेपों और अग्रणी प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों आदि पर विचार–विमर्श किया।

4. भारत–भूटान

- मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान ऊर्जा उत्पादक और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता समझौता भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा संयंत्र ब्यूरो (बीईईई) और भूटान की शाही सरकार के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के ऊर्जा विभाग के मध्य में किया गया था।

- समझौता ज्ञापन में स्थायी ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के लिए एक रणनीतिक भावी मार्ग की रूपरेखा दी गई है। यह भारत और भूटान के बीच ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित सूचना, डेटा और तकनीकी विशेषज्ञों के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह ऊर्जा दक्षता नीतियों का विश्लेषण करने और ऊर्जा दक्षता अनुसंधान और प्रौद्योगिकी परिनियोजन में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- इस समझौते के तहत भारत का लक्ष्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देकर घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भूटान की सहायता करना है। बीईई वर्तमान में भूटान सरकार के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के साथ मिलकर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन और सहयोग के लिए एक व्यापक भावी मार्ग विकसित कर रहा है।

5. भारत–रूस

16 फरवरी 2022 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और रूसी ऊर्जा एजेंसी (आरईए) के बीच समझौता ज्ञापन

(एमओयू) में उल्लिखित क्रियालापों के कार्यान्वयन की रणनीति तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान, बीईई ने आरईए को अपनी हालिया परियोजनाओं और उपलब्धियों का विवरण देते हुए व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आदान–प्रदान का उद्देश्य आरईए को बीईई की पहलों को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के सहयोगी कार्यक्रमों के लिए संभावित विषयों की पहचान करने में मदद करना था।

इसके बाद, दोनों एजेंसियों ने एक भावी मार्ग विकसित करने पर सहमति व्यक्त की, जो आगामी कार्यक्रमों के लिए विषयों की रूपरेखा तैयार करेगा, जिसमें पारस्परिक रूप से तय किए गए प्रस्ताव और बीईई की रिपोर्टों से प्राप्त अंतर्दृष्टि शामिल होगी। रुचि के प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता, जलवायु लक्ष्यों के संदर्भ में कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज (सीसीएस) और हाइड्रोजन तकनीकें, और भारत के कार्बन बाजार के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्बन विनियमन शामिल थे।

2.2 अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

1. स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय फोरम (सीईएम)

वर्ष 2009 में स्थापित, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय फोरम (सीईएम) एक वैश्विक मंच है, जहाँ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ और विकासशील देश मिलकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं तथा नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रोत्साहित और सुगम बनाते हैं। स्वच्छ ऊर्जा मुद्दों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए, सीईएम का उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है।

- मार्च 2024 तक, सीईएम में 29 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग।
- 21 व्यापक सीईएम कार्य–धाराएँ (पहल और अभियान) वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा पारगमन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ये साल भर चलने वाली गतिविधियाँ हैं जिनका नेतृत्व एक या एक से अधिक सीईएम सदस्यों द्वारा देशों के भीतर एक या एक से अधिक विभागों के समन्वय से किया जाता है।
- **मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, भारत सीईएम की निम्नलिखित पहलों और अभियानों का भाग है:**
  - ❖ 21वीं सदी की विद्युत भागीदारी (21सीपीपी) पहल: सह–नेतृत्व
  - ❖ अंतरराष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएएन) पहल: सह–नेतृत्व
  - ❖ अति–दक्ष उपकरण और उपकरण परिनियोजन (एसईएडी) पहल: सह–नेतृत्व
  - ❖ बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म पहल: सह–नेतृत्व
  - ❖ बायो फ्यूचर अभियान: सह–नेतृत्व
  - ❖ हाइड्रोजन पहल (एच2आई)
  - ❖ सौर आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदलना (सह–नेतृत्व)

- इलेक्ट्रिक वाहन पहल (ईवीआई)
- वैश्विक वाणिज्यिक वाहनः शून्य की ओर बढ़ना
- कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पहल (सीसीयूएस) पहल
- औद्योगिक डीप डीकार्बोनाइजेशन (सह–नेतृत्व)
- ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट
- ऊर्जा पारगमन के लिए दीर्घकालिक परिदृश्य

दुनिया के अनेक सर्वोत्तम तकनीकी विशेषज्ञ संगठन (जैसे इरेना, आईईए, यूएनईपी, यूनिडो, एनआरईएल, एलबीएनएल, आदि) सीईएम के कार्य को सहयोग प्रदान करने के लिए अपनी तकनीकी सहायता और सलाह देते हैं।

भारत सरकार ने 19–22 जुलाई 2023 तक गोवा में 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन (एमआई–8) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसके माध्यम से वर्ष के सबसे बड़े वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आयोजनों में से एक में मिशन इनोवेशन (एमआई) और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम) के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाया गया।

इस चार–दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, मंत्री स्तरीय चर्चाओं के साथ–साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए किए गए, जिनमें सीईओ–मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन और उच्च स्तरीय वार्ता, स्वच्छ ऊर्जा समुदाय द्वारा आयोजित 74 से अधिक विषयगत कार्यक्रम (1 बी2बी वार्ता, 4 खुली उच्च स्तरीय वार्ताएँ और 4 गोपनीय गोलमेज सम्मेलन), एक प्रभावशाली प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, एक इलेक्ट्रिक वाहन रैली और नेटवर्किंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। सीईएम14/एमआई8 का एक मुख्य आकर्शण सार्वजनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी थी, जिसमें भारत और दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा में अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन किया गया। 21 जुलाई 2023 को मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम के भाग के रूप में, मंत्रिस्तरीय अध्यक्ष, मंत्री श्री राज कुमार सिंह (माननीय विद्युत मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) और मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री) ने 26 सीईएम और एमआई सदस्यों और सरकारों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों और प्रमुख भागीदारों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया, ताकि वे अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्राथमिकताओं को साझा कर सकें और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों को गति देने के लिए आवश्यक प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान कर सकें।

मंत्रिस्तरीय अध्यक्ष, श्री राज कुमार सिंह (माननीय विद्युत मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) और डॉ. जितेन्द्र सिंह (माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री) ने 26 सीईएम और एमआई सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों का स्वागत किया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा प्राथमिकताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, तथा 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से 40% बिजली उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित समय से नौ वर्ष पहले प्राप्त करने में सफलता पर प्रकाश डाला।

भारत का लक्ष्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए पथप्रदर्शक बनना तथा स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और तैनाती के माध्यम से अपने ऊर्जा परिदृश्य को परिवर्तित करना है। अध्यक्षों ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, बैटरी भंडारण, कम कार्बन और हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और संधारणीय शीतलन जैसे विषयों पर सीईओ–मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी को आमंत्रित किया।

पूर्ण चर्चा में स्वच्छ ऊर्जा पारगमन को गति देने में सीईएम और एमआई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। समन्वित कार्रवाई, साझेदारी और ज्ञान का आदान–प्रदान स्वच्छ ऊर्जा को किफायती, आकर्शक और वैश्विक रूप से सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख वैश्विक विशेषताओं ने विभिन्न उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जैसे, सीईएम और एमआई को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य सीईएम इम्पैक्ट ब्रोशर में महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा समुद्री हब पहल, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोजन व्यापार फोरम, कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया बायो–फ्यूचर प्लेटफॉर्म अभियान। इस मंच ने ब्लूमबर्ग एनईएफ एनर्जी ट्रांजिशन फैक्टबुक, ट्रांसफॉर्मिंग सोलर इनिशिएटिव फैक्टबुक, बिल्डिंग रेसिलिएंट ग्लोबल सोलर पीवी सप्लाई चेन आदि जैसी कई रिपोर्ट जारी करने में भी मदद की।

सीईएम और एमआई बैठकों के उल्लेखनीय तत्वों में से एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन था। सार्वजनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, सीईएम–14/एमआई–8 का मुख्य आकर्शण था, जिसने वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा में अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन किया। वाहन और चार्जिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शोकेस, मिशन इनोवेशन और क्लीन टेक स्टार्ट–अप सेगमेंट के तहत आयोजित इस प्रदर्शन ने स्वच्छ ऊर्जा में एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने देश भर में अपने अनुसंधान और विकास केंद्रों और संस्थानों से प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का प्रदर्शन किया।

प्रौद्योगिकीय प्रदर्शनी में हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों सहित दुनिया भर के विभिन्न उद्योगों से अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया गया और एक विशिष्ट अनुभव प्रदान किया गया। प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी को तीन खंडों में विभाजित किया गया थारू विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित मिशन इनोवेशन, टेरी द्वारा आयोजित क्लीन टेक स्टार्ट–अप तथा सियाम, टेरी, कालस्टार्ट और ड्राइव टू जीरो द्वारा आयोजित वाहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदर्शनी।

आगामी वर्ष में सीईएम और एमआई की भूमिका का लक्ष्य यह होगा कि सीईएम की कार्य–प्रणालियों की उपलब्धियों को उजागर किया जाए, उच्चतर मानक निर्धारित किए जाएं, तथा उपकरणों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंच योग्य बनाया जाए।

2. जी–20

जी–20 या ग्रुप ऑफ 20 आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक सहयोग के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय मंच है: यह प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का सामना करता है और उन्हें हल करने वाली सार्वजनिक नीतियां तैयार करने का प्रयास करता है। यह यूरोपीय संघ और 19 देशों से बना हैरू जर्मनी, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। साथ मिलकर, जी–20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80%, विश्व की 60% आबादी और वैश्विक निर्यात का 75%, प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत ने 1 दिसंबर 2022 से जी–20 की अध्यक्षता संभाली। भारत की जी–20 अध्यक्षता का विषय 'वसुधैव कुटुम्बकम' या 'एक पृथ्वी • एक परिवार • एक भविष्य' था। जी–20 अध्यक्षता एक वर्ष के लिए जी–20 एजेंडा का संचालन करती है और शिखर–सम्मेलन की मेजबानी करती है। जी–20 में दो समानांतर ट्रैक शामिल हैं: वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा वित्त ट्रैक के बाद शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं।

बीईई ने भारत की जी–20 अध्यक्षता के तहत एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा पारगमन कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी) के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में विद्युत मंत्रालय का समर्थन किया है। ईटीडब्ल्यूजी के तहत पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- प्रौद्योगिकी अंतराल का निराकरण करके ऊर्जा पारगमन;
- ऊर्जा पारगमन के लिए कम लागत वाला वित्त–पोषण;
- ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला;
- ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक कम कार्बन पारगमन और उत्तरदायी उपभोग;
- भविष्य के लिए ईंधन (3एफ); और
- स्वच्छ ऊर्जा और न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा पारगमन मार्गों तक सार्वभौमिक पहुँच

गोवा में आयोजित जी–20 ऊर्जा परिवर्तन बैठक ने सतत ऊर्जा की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाया, जिसने स्वच्छ भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भारत की जी–20 अध्यक्षता में आयोजित ऊर्जा परिवर्तन मंत्रिस्तरीय बैठक (ईटीएमएम) गोवा के सुंदर राज्य में संपन्न हुई, जो स्वच्छ, संधारणीय, किफायती और समावेशी ऊर्जा पारगमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के जी–20 के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व के तहत, जी–20 ऊर्जा मंत्रियों ने स्वच्छ और न्यायसंगत ऊर्जा प्रणालियों के लिए वैश्विक पारगमन को गति देने के साझा उद्देश्य के साथ एक बैठक का आयोजन किया। जहां अधिकांश जी–20 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग लिया, फ्रांस, रूस और मैक्सिको वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश, डेनमार्क, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर और स्पेन जैसे अतिथि देशों के मंत्रियों ने भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। एडीबी, सीईएम, ईआरआईए, आईईए, आईईएफ, आईआरईएनए, आईएसए, ओपेक, एसई4एएलएल, यूएनईपी, यूनिडो, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम और जीईसीएफ सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जी–20 के ऊर्जा पारगमन कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी) ट्रैक के तहत 'ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक कम कार्बन पारगमन और उत्तरदायी उपभोग' शीर्षक के प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित चर्चाओं का नेतृत्व किया है। प्रथम ईंधन के रूप में ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से '2030 तक मांग क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक योजना' विकसित की है। यह योजना प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों को प्रस्तुत करती है जिनकी शुरुआत जी–20 सदस्य और दुनिया भर के अन्य देश – तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों – भवन, उद्योग और परिवहन – में कर सकते हैं ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और ऊर्जा दक्षता के लाभों को महसूस किया जा सके। यह ऊर्जा दक्षता में निवेश को बढ़ाने और व्यवहार और जीवनशैली में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें भी प्रदान करता है। यह माननीय प्रधानमंत्री के पर्यावरण के लिए जीवनशैली (एलआईएफई) मिशन को प्रतिध्वनित करता है, जो सचेत उपभोग प्रथाओं की ओर एक सामूहिक बदलाव को बढ़ावा देता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक पर्यावरण, संसाधन संरक्षण और जलवायु चिंताओं के साथ सामंजस्य में एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देता है।

जी–20 ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा पारगमन मंत्रिस्तरीय बैठक – परिणाम दस्तावेज तथा बीईई द्वारा आयोजित अध्यक्ष सारांश के साथ–साथ '2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने पर स्वैच्छिक कार्य योजना' पर प्रकाशित उच्च स्तरीय प्रदेय पर ध्यान दिया है।

इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और मिशन नवाचार बैठक में विभिन्न प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में तेजी लाने के महत्व पर गहन चर्चा की गई। निवल शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भंडारण के महत्व को पहचानते हुए, मंत्रियों ने इलेक्ट्रोलाइजर्स के विनिर्माण की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कुछ क्षेत्रों में पारेशण चुनौतियां, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण, और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण भी चर्चा के प्रमुख क्षेत्र थे।

निष्कर्ष में, गोवा में जी–20 ऊर्जा पारगमन बैठक ने व्यापक सफलता हासिल की, जिसने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा पहुंच जैसी दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के सामूहिक दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। मंत्रियों ने मंत्री के असाधारण आयोजन के लिए भारत को बधाई दी।

जी–20 अध्यक्षता के ईटीडब्ल्यूजी के तहत बीईई की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थीं:

- **100 ऐतिहासिक संधारणीय भवनः–**

बीईई के नेतृत्व में "100 ऐतिहासिक संधारणीय भवन" शीर्षक से प्रकाशन एक सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम था, जिसमें सभी के लिए सतत ऊर्जा (एसईफॉरऑल), ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और स्थानीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, पैसिवहाउस इंस्टिट्यूट, जर्मन विकास सहयोग, भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल और फ्रांस के पारिस्थितिक

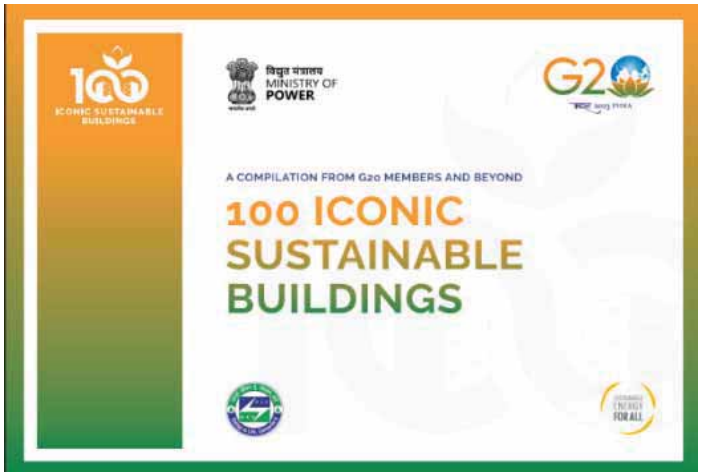

पारगमन मंत्रालय सहित अनेक अन्य भागीदारों का योगदान प्राप्त हुआ था।

इस प्रकाशन में सूचीबद्ध प्रतिष्ठान इस बात का उदाहरण हैं कि हम निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों और दक्ष हीटिंग, कूलिंग और वेंटिलेशन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके दुनिया भर में भवनों में संधारणीयता कैसे ला सकते हैं। संकलन जागरूकता और जुड़ाव के माध्यम से संधारणीय रहने वाले व्यवहार पर जोर देता है, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के एक प्रमुख सिद्धांत – सचेत ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने की दिशा में हमारे व्यवहार की शक्तिशाली भूमिका को उजागर करता है।

- **15–17 मई 2023 तक मुंबई में भारत की जी–20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ऊर्जा पारगमन कार्य समूह बैठक (ईटीडब्ल्यूजी) के दौरान कार्यक्रम**

तीन–दिवसीय बैठक में जी–20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक), आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), सभी के लिए सतत ऊर्जा (एसईफॉरऑल), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन (यूएनआईडीओ), और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तीसरी ईटीडब्ल्यूजी बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव और ईटीडब्ल्यूजी के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज भी बैठक और विचार–विमर्श का भाग थे।

तीसरी ईटीडब्ल्यूजी बैठक का मुख्य एजेंडा मसौदा मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति पर विस्तृत चर्चा करना था और इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर रचनात्मक चर्चा और विचार–विमर्श शामिल था। सदस्य देशों ने अपने–अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। भारत की जी–20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा पारगमन के क्षेत्रों में प्रस्तावों पर आम सहमति बनी है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सभी के लिए आधुनिक और टिकाऊ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देने पर आम सहमति बनी है।

तीन–दिवसीय बैठक के दौरान आठ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न हितधारकों – नीति निर्माताओं, बहुपक्षीय संगठनों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक संगठनों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

क) कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त जुटाने के उद्देश्य से बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के साथ कार्यशाला – चर्चाओं में उन देशों को वित्त तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो बैटरी भंडारण, हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन, जैव ऊर्जा और कार्बन कैप्चर उपयोग जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के पैमाने को बढ़ाने और कार्यान्वयन को सक्षम करेंगे।

ख) न्यायोचित पारगमन की रूपरेखा पर संगोष्ठी – संगोष्ठी में कोयला क्षेत्र में न्यायोचित परिवर्तन के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया गया, मुख्य रूप से कोयला–निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में। चर्चाओं में विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न देशों से सीखे गए सबक शामिल थे,

जैसे संस्थागत शासन, भूमि और अवसंरचना परिसंपत्तियों का पुनः उपयोग, दुनिया भर में की गई सफल पहलों के ज्ञान को साझा करने में सक्षम बनाना और सहयोग के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना।

ग) जैव ईंधन पर संगोष्ठी – संगोष्ठी में जैव ईंधन के विकास और उपयोग में तेजी लाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने सहित जैव ईंधन में सहयोग और प्रगति पर गठबंधन को मजबूत करने के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

घ) अपतटीय पवन ऊर्जा पर संगोष्ठी – 'ऊर्जा पारगमन में तेजी लाने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा का उपयोग – भावी मार्ग' शीर्षक वाले इस कार्यक्रम ने भारत और विश्व स्तर पर अपतटीय पवन ऊर्जा पर प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

ड.) 'उपशमन के लिए कठिन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए वैश्विक नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना' – इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग पारगमन के चुनौतीपूर्ण पहलुओं को समझना था। इसमें नीति संरेखण और निर्माण, प्रौद्योगिकी सहयोग, वित्त जुटाना, क्षमता और कौशल विकास, और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के संबंधित पहलुओं जैसे विभिन्न मुद्दों की जांच की गई।

च) स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए एसएमआर (लघु मॉड्यूल रिएक्टर) पर संगोष्ठी – इस संगोष्ठी में विभिन्न हितधारकों – उद्योग, नीति निर्माताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, विनियामक निकायों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को एसएमआर विकास और स्थापना के संबंध में प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच पर एक साथ लाया गया।

छ) जी–20 ईटीडब्ल्यूजी और बी–20 के ऊर्जा पारगमन मार्गों का समन्वय, भारत उद्योग परिप्रेक्ष्य – इसका उद्देश्य जी–20 के माध्यम से उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताओं और बी–20 जैसे मंचों से व्यावसायिक कार्रवाइयों का आदान–प्रदान करना था। यह कार्यक्रम भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था, जो बी–20 भारत के लिए नामित सचिवालय है।

ज) ऊर्जा दक्षता में तेजी लाना और ऊर्जा दक्ष जीवन को बढ़ावा देना – यह कार्यक्रम मिशन दक्षता भागीदारों, अग्रणी ऊर्जा दक्षता हितधारकों और देश के प्रतिनिधियों को एक साथ लेकर आया जिससे कि ऊर्जा दक्षता पर महत्वाकांक्षी कार्यों के लिए ध्यान–केंद्रण में वृद्धि की जा सके और उसे गति प्रदान की जा सके, जिसमें जी–20 प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, तथा लाइफ अभियान (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के माध्यम से ऊर्जा दक्ष व्यवहार और जीवन शैली को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित किया गया।

3. ब्रिक्सः

- ब्रिक्स फोरम में 5 सदस्य देश शामिल हैं, अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2023 में ब्रिक्स शिखर–सम्मेलन की दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान, 4 नए देशों अर्थात् ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स के तहत शामिल किया गया है।
- बीईई ने दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 3–4 अगस्त 2023 को आयोजित पांचवें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन में विद्युत मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

- बीईई ने 16–17 अगस्त, 2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित ऊर्जा सहयोग के लिए कार्य समूह की बैठक के दौरान ऊर्जा विज्ञप्ति पर चर्चा का समर्थन किया और 18 अगस्त 2023 को आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 8वीं वार्षिक बैठक के लिए इनपुट प्रदान करने का भी समर्थन किया।

4. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

भारत और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बीच सहयोग में काफी तेजी आई और यह अधिक व्यापक हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2009 और 2011 की मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत की भागीदारी हुई तथा नवंबर 2013 की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान दोनों अवसरों पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा संयुक्त वक्तव्य का समर्थन किया गया।

मार्च 2017 में, सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ गहन विचार–विमर्श के बाद, भारत एक एसोसिएशन देश के रूप में आईईए में शामिल हो गया। यह वैश्विक ऊर्जा शासन के लिए एक प्रमुख घटनाक्रम था और आईईए को वास्तव में वैश्विक ऊर्जा संगठन बनने और प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम था। तब से, भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने आईईए समितियों, बैठकों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

अब तक संचालित क्रियाकलाप:

भारत में, आईईए वर्ष 2014 से ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने में एक दीर्घकालिक भागीदार रहा है। आईईए ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। भारत में आईईए का ऊर्जा दक्षता कार्य व्यापक रहा है और इसमें भावी कार्यक्रम का अनुसंधान और विकास, कार्यशालाओं का आयोजन और पेशेवरों की क्षमता निर्माण शामिल है।

'उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा दक्षता' सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत, आईईए और बीईई ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं:

- भारत में आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता को मुख्यधारा में लाने के लिए रोडमैप।
- भारत में कपड़ा क्षेत्र के एमएसएमई खंड में ऊर्जा दक्षता क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक नीति पैकेज तैयार करना।
- आईईए और बीईई ने भारत में कपड़ा क्षेत्र पर दो वेबिनार, एक अंतरराष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय की सह–मेजबानी की।
- आईईए और बीईई ने भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए परिवहन शहरी बुनियादी अवसंरचना और प्रभावों पर कार्रवाई पर कार्यशाला आयोजित की।
- फरवरी 2024 में आयोजित आईईए मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, आईईए के 31 सदस्य देशों ने भारत के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने के लिए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की और तदनुसार अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया, जिसमें डीजी–बीईई संयोजक हैं।

- 3 -
ब्यूरो का लेखा

3.1 पूंजी संरचना

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

3.3 ब्यूरो के कामकाज को बेहतर बनाने या मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

3.4 लेखों का वार्षिक विवरण

3.5 पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

3.6 लेखाओं का वार्षिक विवरण

3.1 पूंजी संरचना

विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु. 50 करोड़ के कॉर्पस फंड का उपयोग ईसी अधिनियम, 2001 की धारा 20 के तहत केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण कोष की स्थापना के लिए किया गया है। रु. 50 करोड़ के इस कॉर्पस फंड को राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ सावधि जमा में निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान। रुपये की राशि, ब्याज के तौर पर 3.85 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, ब्याज का उपयोग बीईई के आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और वर्ष के दौरान सरकार से धन का कोई नया निवेश नहीं किया गया था। उपरोक्त के अलावा बीईई कॉर्पस फंड के विस्तार के लिए विद्युत मंत्रालय से रु. 45.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान इस कॉर्पस फंड रु. 45.00 करोड़ को राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में निवेश करने पर ब्याज के रूप में रु. 3.34 करोड़ की राशि अर्जित की गई है। इस अतिरिक्त राशि के साथ बीईई कॉर्पस फंड का कुल योग 31/03/2024 तक रु. 95.00 करोड़ है।

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, ब्यूरो ने सावधि जमा के साथ निवेश किए गए रु. 50 करोड़ के कॉर्पस फंड पर ब्याज के रूप में रु. 384.58 लाख और एनटीपीसी बॉन्ड के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ निवेश किए गए रु. 45.00 करोड़ के अतिरिक्त कॉर्पस फंड पर ब्याज के रूप में रु. 334.47 लाख अर्जित किए थे। इसके अलावा, ब्यूरो ने एनर्जी ऑडिटर एक्रेडिटेशन से ली गई फीस से रु. 3.20 लाख भी कमाए। स्थापना, प्रशासन व्यय, गैर आवर्ती और परियोजना व्यय पर बीईई का व्यय क्रमशः रु. 1179.54 लाख, रु. 197.79 लाख, रु. 79.82 लाख और रु. 0.96 लाख था। इसके अलावा, ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए 23वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए रु. 213.43 लाख का व्यय किया गया। रु. 266.30 लाख की आय से अधिक व्यय को पिछले वर्ष से व्यय से अधिक आय से स्थानांतरित कर दिया गया है।

3.3 ब्यूरो के कामकाज को बेहतर बनाने या मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

02.04.2023 से स्टेनोग्राफर का नियुक्ति की गई । वित वर्ष 2023–24 में 12 क्षेत्र विशेषज्ञ, 08 परियोजना इंजीनियर और 02 परामर्शदाता भी अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

3.4 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली के 31 मार्च 2024 तक के संलग्न तुलन–पत्र, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बीईई के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं की अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। इन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षा की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1) के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित और बीईई द्वारा अपनाए गए प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii) हमारी राय में, बीईई द्वारा धारा 25(1) के तहत अपेक्षित उचित लेखा–बहियाँ और अन्य प्रासंगिक अभिलेख तैयार किए गए हैं, जैसा कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से पता चलता है।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. तुलन–पत्र

1.1. कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएँ

ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची–1) : 85,523.34 लाख रु.

मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) शुल्क : 69,013.14 लाख रु.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2007 के साथ पठित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 25(1) के अनुसार, जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से 28 फरवरी 2007 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, खातों को लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति पर तैयार किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2023–24 के लिए मानक और लेबलिंग शुल्क की प्रोद्भूत राशि €10,257.58 लाख थी, जिसमें से केवल 4965.93 लाख रु. की राशि को नकद आधार पर मान्यता दी गई। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची 1 के अंतर्गत 'मानक और लेबलिंग' शुल्क में तथा 'वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि' (अनुसूची 11) के तहत 5291.65 लाख रुपए प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई है।

इसके अलावा, 473 पंजीकृत उत्पादों का उत्पादन डेटा बीईई को प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके कारण एसएंडएल शुल्क को लेखाओं में हिसाब में नहीं लिया जा सका।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क में 4,274.78 लाख रुपए शामिल हैं जो पिछले वर्षों से संबंधित हैं, और अतः, उनका प्रकटीकरण अलग से किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा, मानक और लेबलिंग योजना के तहत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित राजस्व की मान्यता के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 6 (अनुसूची 24) को भी प्रोद्भव आधार का पालन करने के लिए संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

1.2. कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं

वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7): 3,568.57 लाख रु.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण के प्रपत्र) नियम, 2007 के अनुसार, बीईई के वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किया जाना आवश्यक था, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और इसे लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति पर होना चाहिए।

'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए विविध व्यय से संबंधित 207.87 लाख रुपए के व्यय के लिए प्रावधान शामिल नहीं है, जो वर्ष के अंत में असंदत्त रह गया। इसके परिणामस्वरूप 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' को कम करके दिखाया गया है और 'पूंजी निधि/कॉर्पस निधि' को 207.87 लाख रुपए तक अधिक करके दिखाया गया है।

1.3. चालू आस्तियां, ऋण अग्रिम आदि (अनुसूची–11): 9,973.03 लाख रुपए

निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 3): 557.35 लाख रुपए

चालू आस्तियों में विभिन्न चोक परीक्षण उपकरण (जो लंबे समय से विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाओं/तृतीय पक्षकारों के पास पड़े थे और एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से स्क्रैप के रूप में निपटान के लिए थे) शामिल हैं, जिनका बही मूल्य 74.72 लाख रुपए है। तथापि, इन्हें उनके विक्रय योग्य मूल्य (अर्थात 9.09 लाख रुपए) पर हिसाब में लिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, 'चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि' (अनुसूची–II) के साथ–साथ 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' (अनुसूची 3) दोनों में 65.63 लाख रुपए प्रत्येक का अधिक विवरण दिया गया।

2. आय और व्यय लेखा

2.1. स्थापना व्यय (अनुसूची–20): 1,179.54 लाख रुपए

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेख के प्रपत्र) नियम, 2007 के अनुसार, बीईई के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाने थे और लेखांकन की उपार्जन पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया जाए।

तथापि, 'स्थापना व्यय' में स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की अर्जित राशि, जो 49.07 लाख रुपए है, शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' (अनुसूची 20) और 'चालू देयताएं और प्रावधान' (अनुसूची–7) में 249.07 लाख रुपए प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई है। 'स्थापना व्यय' (अनुसूची 20) और 'चालू देयताएं और प्रावधान' (अनुसूची–7) में 49.07 लाख रुपए प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई है।

स्थायी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते नकद आधार पर बही में लिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1 ख (अनुसूची 24) को भी बीईई के उपर्युक्त नियमों के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है।

3. सामान्य

3.1. ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची–I) : 85,523.34 लाख रुपए

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा–20 में केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि (सीईसीएफ) की स्थापना का प्रावधान है और बीईई द्वारा प्राप्त सभी अनुदानों और ऋणों, शुल्कों, अन्य राशियों को इस निधि में जमा करने का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, केंद्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और भुगतान) नियम, 1983 के नियम 6(1) और सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 7 में अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित किया गया है कि सरकार द्वारा या उसकी ओर से बकाया, जमा, धन प्रेशण या अन्यथा प्राप्त सभी धनराशियों को सरकारी खाते में शामिल करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंक में लाया जाएगा।

बीईई विभिन्न प्रभार, शुल्क आदि एकत्र करता है, जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त सार्वजनिक धन है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत परिभाषित सार्वजनिक लेखा का भाग होना चाहिए था।

तथापि, ऊर्जा संरक्षण कोष का संचालन सार्वजनिक लेखा के माध्यम से नहीं किया जा रहा है और बीईई द्वारा राशि बैंक खातों में रखी जा रही है।

ख. सहायतानुदान

12816.52 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि में से (जिसमें 5883.36 लाख रुपए का प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त राशि 6195.99 लाख रुपए और ब्याज/अन्य आय 737.17 लाख रुपए शामिल है), बीईई 1130.74 लाख रुपए की राशि का ही उपयोग कर सका और अर्जित ब्याज

738.59 लाख रुपए विद्युत मंत्रालय को वापस कर दिया, जिससे 31 मार्च 2024 तक 947.19 लाख रुपए का अप्रयुक्त शेष रह गया।

ग. प्रबंधन का पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन के पत्र के माध्यम से महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के ध्यान में लाया जाएगा।

v. पिछले पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान खाता लेखा लेखा–बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पढ़े गए उक्त वित्तीय

क) जहां तक यह तुलन–पत्र से संबंधित है, 31 मार्च 2024 तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मामलों की स्थिति; और

ख) जहां तक यह आय और व्यय खाते से संबंधित है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय पर व्यय का आधिक्य।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/–
(विनीता मिश्रा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 नवंबर 2024

अनुबंध–I

1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई के पास आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। विद्युत मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की जा रही है, तथापि, वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा, 2011–12 से निपटान के लिए अनेक पुरानी टिप्पणियाँ लंबित हैं।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	पिछले वर्षों में बीईई द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद, यह ब्याज वसूलने, एसडीए के ब्याज और अन्य आय का उचित प्रेशण सुनिश्चित करने में विफल रहा। हालांकि केंद्रीय नोडल खाते खोले गए हैं, लेकिन बीईई ने अभी भी एसडीए द्वारा अनुदान की पार्किंग को नियंत्रित नहीं किया है जो केंद्रीय नोडल खातों के उद्देश्य को कमजोर करता है। इसलिए, बीईई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। डीएसएआर में भी इस पर उचित टिप्पणी की गई है।
3.	अचल आस्तियों के सत्यापन की प्रणाली	मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन है (सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार)।
4.	इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
5.	उन पर लागू वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता	बीईई सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमित है। बीईई ने आज तक शुल्क/प्राप्तियों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में कोई छूट प्राप्त किए बिना, न तो ऐसी सांविधिक देयता एकत्र की है और न ही भुगतान (ई–सर्टिफिकेट शुल्क को छोड़कर) किया है, जो वर्ष 2018–19 से 2023–24 के लिए बीईई द्वारा एकत्रित शुल्क/प्राप्तियों पर 6826.03 लाख रुपए हो गया है।
6.	लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में देखा गया महत्वपूर्ण जोखिम	कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं देखा गया।
7.	वर्ष के दौरान चोरी, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी और गबन आदि के कारण नकदी या सरकारी संपत्ति की हानि का विवरण	प्रबंधन ने प्रमाणित किया कि वर्ष के दौरान कोई मामला सामने नहीं आया।

लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

3.5 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर।

क. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. तुलन–पत्र

1.1 कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएँ

ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची –1) : 85,523,34 लाख रु.

मानक और लेबलिंग शुल्क (एसएंडएल) : 69,013,14 लाख रु.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखा एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2007 के साथ पठित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1), जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा 28 फरवरी, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, के अनुसार लेखाओं को लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति पर तैयार किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2023–24 के लिए मानक एवं लेबलिंग शुल्क की अर्जित राशि 10257.58 लाख रुपए थी, जिसमें से केवल 4965.93 लाख रुपए की शुल्क की राशि को नकद आधार पर मान्यता प्राप्त थी। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची 1 के तहत मानक एवं लेबलिंग शुल्क और अनुसूची 11 के तहत चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि में 5291.65 लाख रुपए प्रत्येक न्यूनोक्ति हुई है।

इसके अतिरिक्त 473 पंजीकृत उत्पादों का उत्पादन डाटा बीईई को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण एसएण्डएल शुल्क को खातों में शामिल नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, 'वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क' में 4274.78 लाख रुपए शामिल हैं जो पिछले वर्षों से संबंधित हैं, और इसलिए, उन्हें अलग से प्रकट किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, रसीद के आधार पर मानक और लेबलिंग योजना के तहत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित राजस्व की मान्यता के बारे में महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 6 (अनुसूची 24) को भी प्रोद्भव आधार का पालन करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है।

उत्तरः

संक्षेप और तात्विक रूप में, लेखाओं के एकसमान प्रारूप और अधिसूचना संख्या 92 दिनांक 5 मार्च, 2007 के अनुसार, दो अलग–अलग खाते तैयार किए जाने हैं, अर्थात प्राप्ति और भुगतान खाता और आय और व्यय खाता।

इसके अलावा, उपरोक्त दो खाता विवरणों के आधार पर सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को तुलन–पत्र में हिसाब में लिया जाता है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही, लेबलिंग शुल्क प्राप्ति के आधार पर तुलन–पत्र की अनुसूची 1 में दर्शाया गया है।

लेखांकन परंपरा के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर अनुसूची 24 के पैरा 1 (क) में कहा गया है

कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया जाए।

इसके अलावा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 24) के पैरा 6 में पिछले लेखा अवधियों में लगातार उल्लेख किया गया है कि मानक और लेबलिंग शुल्क को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

साथ ही, मानक और लेबलिंग शुल्क पर लागू विभिन्न विनियम यह प्रावधान करते हैं कि स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन डेटा और शुल्क वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

इसलिए ब्यूरो के लिए विभिन्न कारणों से प्राप्ति की सटीकता और निश्चितता की भविष्यवाणी करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है, जो ब्यूरो के नियंत्रण से परे हैं।

अधिकांश परमिटधारकों को निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर पूरा करने और एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विभिन्न परमिटधारकों द्वारा निर्दिष्ट समय–सीमा से विस्तार के लिए विनियमों को संशोधित करने की आवश्यकता उठाई जा रही है, जिस पर ब्यूरो सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। साथ ही, नकद आधार पर लेखा–जोखा करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

इसलिए, यह दोहराया जाता है कि लेबलिंग शुल्क प्रोद्भवन के आधार पर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि किसी भी उपकरण/उपकरण का उत्पादन भिन्न हो सकता है।

दूसरे, अनुमति शुल्क का प्रस्तुतीकरण तभी वैध माना जाता है जब उत्पादन के आंकड़ों और लागू अनुमति शुल्क के स्वतंत्र सीए प्रमाणित विवरण द्वारा समर्थित हो।

इस मामले पर विद्युत मंत्रालय से मार्गदर्शन और निर्देश प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। मंत्रालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर, बीईई कार्रवाई करेगा तथा तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित करेगा।

ब्यूरो ऐसे निर्माताओं से लगातार संपर्क कर रहा है जिन्होंने उत्पादन डेटा प्रस्तुत नहीं किया है तथा लेबलिंग शुल्क का भुगतान भी नहीं किया है।

ब्यूरो ने एसएंडएल पोर्टल पर उनके खातों को पहले ही ब्लॉक कर दिया है तथा लेबलिंग शुल्क का भुगतान प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्माताओं की प्रदर्शन प्रतिभूतियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

एसएंडएल की वसूली और अन्य अनुपालनों की निगरानी के लिए समस्त सम्यक सतर्कता बरती गई है, जिसे भविष्य के वित्तीय विवरणों की तैयारी के दौरान मजबूत किया जाएगा।

1.2 पूंजी निधि और देयताएं

वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची – 7) : 3,568.57 लाख रुपए

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखा एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2007 के अनुसार, बीईई के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाने थे, जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो और लेखांकन की उपार्जन पद्धति का प्रयोग किया जाना था।

चालू देनदारियों और प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए विभिन्न विविध व्यय से संबंधित 207.87 लाख रुपए का प्रावधान शामिल नहीं है, जिसका वर्ष के अंत में भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों की न्यूनोक्ति की गई है और पूंजीगत निधि/कॉर्पस निधि की 207.87 लाख रुपए प्रत्येक की सीमा तक अतियुक्ति की गई है।

उत्तरः

संक्षेप और तात्विक रूप में, लेखाओं के एकसमान प्रारूप और अधिसूचना संख्या 92 दिनांक 5 मार्च, 2007 के अनुसार, दो अलग–अलग खाते तैयार किए जाने हैं, अर्थात प्राप्ति और भुगतान खाता और आय और व्यय खाता। इसके अलावा, उपरोक्त दो खाता विवरणों के आधार पर सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को तुलन–पत्र में हिसाब में लिया जाता है।

'अन्य प्रशासनिक व्यय' की अनुसूची 21 में आईएंडई तथा आरएंडपी लेखाओं के अनुसार वार्षिक आंकड़े दिए गए हैं।

बीईई वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेख नियम, 2007 के प्ररूपों के अनुपालन में वेतन और भत्ते, कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान और महंगाई भत्ते के लिए व्यय का लेखा–जोखा कर रहा है।

लेखांकन परंपरा के अंतर्गत पैरा 1 (क) में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर अनुसूची 24 में वर्णित किया गया है कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत और लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया जाए।

इसके अलावा, स्थायी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सहित वेतन और भत्तों के संबंध में, बीईई ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर अनुसूची 24 पैरा 1 (ख) में कहा है कि वेतन और भत्ते के कारण होने वाले व्यय नकद आधार पर दर्ज किए जाएंगे। डीओपीटी द्वारा जारी 17 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए–2712/02/2017–स्था.(एएल) के बिंदु संख्या 2(ज) के अनुसार, ''सीईए और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वित्तीय वर्ष में केवल एक बार की जाएगी।''

तदनुसार, बीईई ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत लगातार कहा है कि स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नकद आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

इसके अलावा यह उल्लेख करना उचित है कि मई 24 में जारी 1,99,00,000/– रुपए का भुगतान सीएसआईआर–एनपीएल से संबंधित परियोजना है, जो एसएंडएल निधि से दो वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एलईडी परियोजना के चरण–I के लिए अतिरिक्त निधि के लिए है।

शेष मामले राजस्व व्यय से संबंधित हैं, जिनका कुल निहितार्थ लगभग 8 लाख रुपए है, जो प्रशासनिक प्रकृति के हैं, जो व्यक्तिगत रूप से छोटे निहितार्थ वाले हैं और जिनका प्रतिपूर्ति के संबंधित दावों के अनुमोदन के आधार पर भुगतान किया जाता हैं।

अन्य खर्चों के संबंध में बीईई ने सभी व्ययों को तुलन–पत्र की तारीख पर दर्ज करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ मामलों में तुलन–पत्र और अंतिम टीडीएस जमा तारीखों को अंतिम रूप देने तक बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।

भविष्य के वित्तीय विवरणों में भुगतान और अन्य अनुपालनों की मंजूरी की निगरानी के लिए समस्त सम्यक सतर्कता बरती जाएगी।

1.3 वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) : 79,973.03 लाख रु.
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची–3) : 557.35 लाख रु.

चालू परिसंपत्तियों में विभिन्न परीक्षण जांच उपकरण (जो लंबे समय से विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाओं/तीसरे पक्ष के पास पड़े थे और एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से स्क्रैप के रूप में निपटान के लिए थे) शामिल हैं, जिनका बुक मूल्य 74.72 लाख रुपए है। तथापि, उन्हें उनके बिक्री योग्य मूल्य (9.09 लाख रुपए) पर हिसाब में लिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) और साथ ही 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' (अनुसूची 3) दोनों में 65.63 लाख रुपए प्रत्येक की अतियुक्ति की गई।

उत्तरः

लेखाओं पर टिप्पणी (अनुसूची 25) के पैरा 9 में जांच परीक्षण उपकरण पर अन्य बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया है किः

(1) मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत जांच परीक्षण उपकरणों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तीसरे पक्ष (परीक्षण प्रयोगशालाओं) के पास पड़े हैं।

(2) ये सूची मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हैं और व्यापार उद्देश्य के लिए नहीं हैं।

(3) बीईई ने सभी प्रयोगशालाओं से अनुरोध किया है कि वे उनके पास इस स्टॉक की उपलब्धता के बारे में पुष्टि प्रदान करें।

(4) इस बीच, लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार बीईई ने चेक परीक्षण उपकरणों के उपलब्ध स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन किया। पुनर्मूल्यांकन की विधि 5 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के अधीन आयकर अधिनियम के अनुसार 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास के रूप में ली गई है।

बीईई ने मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड पर जांचे गए नमूनों की बोली शुरू की थी। बोली के दौरान, प्राप्त उच्चतम बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से कम था। इसलिए, लॉट्स की नीलामी नहीं की गई।

इसके बाद, बीईई ने आरक्षित मूल्य को पहले की बोली में प्राप्त उच्चतम बोली मूल्य के रूप में रखते हुए फिर से बोली आमंत्रित की है।

एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी के परिणाम के आधार पर, चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निपटान की कार्रवाई शुरू हो गई है।

पुनर्मूल्यांकित मूल्य और इसकी बिक्री आय के अंतर, पुनर्मूल्यांकन पर नुकसान आदि के लिए लेखांकन पर आवश्यक कार्रवाई चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान वास्तविक लेनदेन के आधार पर की जाएगी।

2. आय–व्यय लेखा

2.1 स्थापना व्यय (अनुसूची–20): 1,179.54 लाख रु.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखा एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2007 के अनुसार, बीईई के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाने थे, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए और लेखांकन की उपार्जन पद्धति का प्रयोग किया जाना था।

तथापि, स्थापना व्यय में स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की उपार्जित राशि 49.07 लाख रुपए शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' (अनुसूची 20) और चालू देनदारियों और प्रावधानों (अनुसूची –7) में 49.07 लाख रुपए प्रत्येक को कम दर्शाया गया है।

स्थायी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते नकद आधार पर बुक करने के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1(ख)(अनुसूची 24) को भी बीईई के उपर्युक्त नियमों के अनुरूप संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

उत्तरः

लेखाओं के एकसमान प्ररूप और 5 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 92 के अनुसार, दो अलग–अलग लेखे तैयार किए जाने हैं, अर्थात प्राप्ति और भुगतान लेखा (आरएंडपी) और आय और व्यय (आईएंडई) लेखा तैयार किया जाता है। इसके अलावा, लेखाओं के उपरोक्त दो विवरणों के आधार पर सभी आस्तियों और देनदारियों को तुलन–पत्र में हिसाब में लिया जाता है।

'स्थापना व्यय' के संबंध में अनुसूची 20 में आईएंडई और आरएंडपी लेखाओं के अनुसार वार्षिक आंकड़े का उल्लेख है।

बीईई ने लगातार उन प्रथाओं का पालन किया है जो सरकार और सीएंडएजी में भी हर साल मार्च से फरवरी तक वेतन और भत्ते के लेखांकन के लिए निर्धारित हैं, जो इसकी स्थापना के बाद से बारह माह की अवधि है।

मार्च का वेतन अप्रैल में जारी किया जाता है। तदनुसार, वेतन और भत्ते, कर्मचारी भविष्य निधि और महंगाई भत्ते में योगदान के लिए व्यय का भी हिसाब रखा जाता है।

इस स्तर पर नीति में परिवर्तन करने से एक विशम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें तेरह महीने के व्यय को एक लेखा अवधि में और ग्यारह महीने के व्यय को अगली लेखा अवधि में हिसाब में लिया जाएगा।

लेखा परंपरा के तहत महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर अनुसूची 24 के पैरा 1 (क) में कहा गया है कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और लेखांकन की प्रोद्भव पद्धति पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया जाए।

इसके अलावा, पूर्ववर्ती सीएजी दल के सुझाव का पालन करते हुए, बीईई ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची 24) पैरा 1 (ख) के तहत पिछली लेखांकन अवधि के वर्षों में लगातार उल्लेख किया है कि वेतन और भत्ते नकद आधार पर बुक किए जाते हैं।

3. सामान्य

3.1 ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची – 1) : 85,523.34 लाख रु.

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 20 में केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि (सीईसीएफ) की स्थापना का उपबंध है तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त सभी अनुदानों, ऋणों, शुल्कों, अन्य राशियों को इस निधि में जमा करने का उपबंध है।

केंद्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां एवं भुगतान) नियम, 1983 के नियम 6(1) तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 7 में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा या उसकी ओर से बकाया, जमा, प्रेशण या अन्य रूप में प्राप्त सभी धनराशियों को सरकारी खाते में शामिल करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंक में लाया जाएगा।

बीईई विभिन्न शुल्क, फीस आदि एकत्रित करता है, जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त सार्वजनिक धन है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत परिभाषित सार्वजनिक खाते का भाग होना चाहिए।

तथापि, ऊर्जा संरक्षण निधि का संचालन सार्वजनिक खाते के माध्यम से नहीं किया जा रहा है तथा इसकी राशि बीईई द्वारा बैंक खातों में रखी जा रही है।

उत्तरः

यह निवेदन किया जाता है कि ब्यूरो की स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (अधिनियम) की धारा 3(2) के तहत एक निगमित निकाय के रूप में की गई थी। अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि की परिकल्पना की गई थी।

इस संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण निधि (बजट नियम तैयार करने के लिए प्रपत्र और समय), 2015 को अधिसूचित किया।

उपरोक्त नियमों की धारा 2(छ) के तहत 'परिभाषाएं' शीर्षक के तहत 'निधि' का अर्थ है अधिनियम की धारा 20 के तहत स्थापित केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि, जिसमें पचास करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि है, जिसे विद्युत मंत्रालय में एकीकृत वित्त प्रभाग के अनुमोदन से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी किया गया है, और इसकी मंजूरी संख्या 14/03/02 – ईएम दिनांक 27 जनवरी, 2003 है।

केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

1) विद्युत मंत्रालय ने अपने स्वीकृति आदेश – 14/3/02 –ईएम दिनांक 27.01.2003 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को कॉर्पस निधि के रूप में 50.00 करोड़ रुपए जारी किए और अर्जित ब्याज से बीईई के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए इसे केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में रखने का निर्देश दिया।

2) उक्त स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 20 के तहत निर्धारित केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना के लिए है।

3) उक्त निधि को तुलन–पत्र में 'कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं' के रूप में अनुसूची 1 'कॉर्पस/पूंजी निधि' के तहत 'ऊर्जा संरक्षण निधि' शीर्षक और 'कॉर्पस निधि' उप–विवरण के तहत प्रस्तुत किया गया है।

4) कॉर्पस निधि से किए गए निवेश से अर्जित ब्याज का उपयोग ब्यूरो के महानिदेशक, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक, धारा 13 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में ब्यूरो के खर्च, अधिनियम की धारा 4(5) के तहत शासी परिषद के सदस्यों को भुगतान की जाने वाली फीस और भत्ते और अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और उद्देश्यों पर खर्च के लिए किया जाता है।

5) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा एवं अभिलेख विवरण का प्ररूप) नियम, 2007 में निहित वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए टिप्पणियाँ, अनुदेश और लेखांकन सिद्धांत, अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधान करते हैं कि लेन–देनों और आयोजनों के लेखांकन उपचार और तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय खाते में प्रस्तुति, उनके सार द्वारा नियंत्रित होंगे, न कि केवल कानूनी रूप द्वारा।

6) कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताओं की अनुसूचियों के लिए टिप्पणियाँ और निर्देश अनुसूची I – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2007 में निहित कॉर्पस/पूंजी निधि अन्य बातों के साथ–साथ यह भी वर्णि है कि कॉर्पस/पूंजी निधि पूंजी, शेयर पूंजी या स्वामियों की निधि के समान है। इसमें कॉर्पस में विशेष रूप से योगदान के माध्यम से प्राप्त राशि शामिल है, जो आय और व्यय लेखा में दिखाए गए शुद्ध परिचालन परिणामों द्वारा बढ़ाई/घटाई जाती है (अधिशेष के अलावा, यदि कोई रिजर्व या निर्धारित निधि में स्थानांतरित किया गया हो)।

7) ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन और सभी आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। विद्युत मंत्रालय के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान इस पर चर्चा की गई है, जिसमें सहमति व्यक्त की गई है कि राशि को ब्यूरो के साथ अलग–अलग मान्यताप्राप्त बैंक खातों में रखा जाना जारी रखा जाना चाहिए।

8) यह उल्लेख करना उचित है कि निधि केंद्र सरकार की मंजूरी से और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुपालन में बनाई गई है। वार्षिक लेखे जिसमें ऊर्जा संरक्षण निधि से संबंधित लेखे भी शामिल हैं, को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता माननीय विद्युत मंत्री करते हैं और वित्तीय सलाहकार परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

9) ब्यूरो निधि के संचालन के सभी परिचालनात्मक तौर–तरीकों का पालन कर रहा है तथा वित्तीय अभिलेखों में उचित पारदर्शिता और सटीकता बनाए रख रहा है।

10) केन्द्रीय सरकार लेखा नियम 1983 के नियम 6 और जीएफआर 2017 नियम 7 के प्रावधानों

पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ब्यूरो के साथ पहले कभी चर्चा नहीं की गई और न ही उल्लिखित प्रावधान मामले के तथ्यों से संबंधित हैं।

ख) सहायतानुदान

12816.52 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि (जिसमें 5883.36 लाख रुपए का प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त राशि 6195.99 लाख रुपए और ब्याज/अन्य आय 737.17 लाख रुपए शामिल हैं) में से बीईई 11,130.74 लाख रुपए की राशि का उपयोग कर सका और विद्युत मंत्रालय को 738.59 लाख रुपए का ब्याज वापस कर दिया, जिससे 31 मार्च 2024 को 947.19 लाख रुपए का अप्रयुक्त शेष रह गया।

उत्तरः

अप्रयुक्त अनुदानों के लिए 947.19 लाख रुपए का समापन शेष, अप्रयुक्त शेष पर अर्जित ब्याज सहित, विद्युत मंत्रालय को वापस किया जाना था और यह 31–3–2024 तक अनुसूची 7 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत दिखाई देता है।

इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान जून 24 में विद्युत मंत्रालय को वापस कर दिया गया है।

अनुबंध-I

1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई के पास आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की जा रही है। तथापि, वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा, 2011–12 से निपटान के लिए कई पुरानी टिप्पणियाँ लंबित हैं।	**उत्तरः** यद्यपि ब्यूरो का कोई समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से ही लेखापरीक्षा को मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जाता रहा है। मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा अंतिम आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की गई थी और 22–2–2024 को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। विद्युत मंत्रालय के उपरोक्त स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यक्रम की अनुसूची को अंतिम रूप देने के बाद ही लेखापरीक्षा संचालित की जाएगी, जिस पर ब्यूरो का कोई नियंत्रण नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर ब्यूरो द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	पिछले वर्षों में बीईई द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद, यह ब्याज वसूलने, एसडीए के ब्याज और अन्य आय का उचित प्रेशण सुनिश्चित करने में विफल रहा। हालांकि, केंद्रीय नोडल खाते खोले गए हैं, लेकिन बीईई ने अभी भी एसडीए द्वारा अनुदान की पार्किंग को नियंत्रित नहीं किया है जो केंद्रीय नोडल खातों के उद्देश्य को कमजोर करता है। इसलिए, बीईई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। डीएसएआर में भी इस पर उचित टिप्पणी की गई है।	**उत्तरः** मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली परिचालन के लिए पर्याप्त है। हालांकि, लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुसार इसे मजबूत करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्यान्वयन के लिए ध्यान दिया गया है।
3.	आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन है (सितंबर 2024 तक)।	**उत्तरः** पिछले वित्तीय वर्षों में अचल संपत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन चालू वर्ष में प्रशासनिक कारणों से इसे देरी से शुरू किया जा सकता है। हालाँकि वित्त वर्ष 2023–24 से संबंधित अचल संपत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन है और इसे सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
4.	वस्तुओं के भौतिक सत्यापन की प्रणाली		**उत्तरः** पिछले वित्तीय वर्षों में अचल संपत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन चालू वर्ष में प्रशासनिक कारणों से इसे देरी से शुरू किया जा सकता है। हालाँकि वित्त वर्ष 2023–24 से संबंधित अचल संपत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन है और इसे सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

5.	उन पर लागू वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता।	बीईई वैधानिक बकाया का भुगतान नियमित रूप से करता है। बीईई सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमित है। बीईई ने आज तक फीस/रसीदों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में कोई छूट प्राप्त किए बिना, न तो ऐसी सांविधिक देयता संग्रहित की है और न ही उसका भुगतान किया है (ई–सर्टिफिकेट शुल्क को छोड़कर), जो वर्ष 2018–19 से 2023–24 के लिए बीईई द्वारा एकत्रित शुल्क/रसीदों पर 6826.03 लाख रुपए थी।	**उत्तरः** कर परामर्शदाता की व्यावसायिक राय के अनुसार ब्यूरो की गतिविधियां वैधानिक कार्य हैं और इसलिए वे व्यवसाय चलाने या आगे बढ़ाने की प्रकृति की नहीं हैं, इसलिए ब्यूरो द्वारा एकत्रित पंजीकरण शुल्क और लेबलिंग शुल्क जीएसटी के अध्यधीन नहीं होंगे। चूंकि जीएसटी सेवा कर से संक्रमण में आया है, इसलिए सेवा कर व्यवस्था के तहत करदेयता की स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। सीईएसटीएटी के निर्णय के अनुसार (अंतिम आदेश संख्या एसटी/ए/50937/2018–सीयू/डीबी, दिनांक 27/2/2018) जहां बीईई द्वारा एकत्र किए गए शुल्क पर सेवा कर लागू नहीं था। आदेश द्वारा यह माना गया है कि बीईई ने संसद के अधिनियम के अनुसरण में वैधानिक विनियमों और दायित्वों के अनुसार कार्य किया है, जिसके कारण उसने ऐसे प्रदर्शन के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित शुल्क एकत्र किया है, इसलिए वह सेवा कर के अधीन नहीं हो सकता है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, बीईई ने विद्युत मंत्रालय को पत्र लिखकर बीईई द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एकत्र किए जा रहे विभिन्न शुल्कों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के बारे में उचित स्पष्टीकरण मांगा है। इसके जवाब में और सेवा कर व्यवस्था के तहत कर देयता की स्थिति पर विचार करते हुए और सीईएसटीएटी के निर्णय के अनुसार (अंतिम आदेश संख्या एसटी/ए/50937/2018–सीयू [डीबी,] दिनांक 27/02/2018) जहां बीईई द्वारा एकत्र किए गए शुल्क पर सेवा कर लागू नहीं था, विद्युत मंत्रालय ने मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेजना जरूरी नहीं समझा।

			उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, बीईई द्वारा इसका अनुपालन न करना गलत नहीं है। मंत्रालय को लेबलिंग शुल्क पर जीएसटी लागू न होने के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है तथा इस मामले पर भावी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुसार ब्यूरो इस मामले का कर विशेषज्ञों के माध्यम से अध्ययन करेगा और प्राप्त परिणामों के आधार पर इसे फिर से एमओपी के माध्यम से वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि बीईई द्वारा एकत्र किए गए शुल्क पर जीएसटी की प्रयोज्यता पर उनके विचार प्राप्त किए जा सकें। तदनुसार, इसके परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाएंगे। उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को आगे न बढ़ाया जाए।
6.	लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में देखा गया महत्वपूर्ण जोखिम	कोई महत्वपूर्ण कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं देखा गया।	कोई महत्वपूर्ण कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं देखा गया।
7.	वर्ष के दौरान चोरी, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी और गबन आदि के कारण नकदी या सरकारी संपत्ति की हानि का विवरण	प्रबंधन ने प्रमाणित किया कि वर्ष के दौरान कोई मामला सामने नहीं आया।	आगे कोई टिप्पणी नहीं।

3.6 लेखाओं का वार्षिक विवरण

लेखाओं का वार्षिक विवरण अर्थात तुलन–पत्र, आय और व्यय विवरण और विधिवत रूप से लेखापरीक्षित लेखाओं की प्राप्तियों और भुगतान के विवरण इसके साथ संलग्न किए जा रहे हैं।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन– पत्र

(राशि रू. में)

कॉपर्स / पूंजी निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
उर्जा संरक्षण निधि	1	8,55,23,33,539	7,35,97,82,934
रिजर्व और अभिशेष	2	-	-
निर्धारित / स्थायी निधियों	3	5,57,34,530	63,53,29,868
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	35,68,57,019	22,78,55,700
कुल		**8,96,49,25,088**	**8,22,29,68,502**
परिसंपति			
अचल– परिसंपत्तियां	8	1,76,21,758	1,52,20,524
निवेश– निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से	9	95,00,00,000	95,00,00,000
निवेश– अन्य	10	-	-
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	11	7,99,73,03,330	7,25,77,47,978
विविध व्यय		-	-
(जिस सीमा तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)			
कुल		**8,96,49,25,088**	**8,22,29,68,502**
महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां	24		
आक्समिक देनदारियां और खातों पर टिप्पणियां	25		

दिनांक : 13.06.2024

स्थान : नई दिल्ली

हेमेंद्र कुमार	**मिलिंद देवरे**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रू. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय			
सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान / सब्सिडी	13	-	-
शुल्क / सदस्यता	14	3,20,100	5,17,51,443
निवेश से आय (निधियों से अंतरित निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय)	15	7,19,05,481	6,85,16,052
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से व्यय	16	-	-
अर्जित ब्याज (शुद्ध)	17	6,12,19,009	4,52,14,190
अन्य आय	18	10,77,628	11,41,620
तैयार माल और प्रगतिरत कार्यों के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	19	-	-
कुल (क)		**13,45,22,218**	**16,66,23,305**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	11,79,54,424	13,79,39,255
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,97,79,312	2,00,02,423
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	2,14,39,232	2,58,45,131
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास	8	15,80,458	14,20,514
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि		3,99,210	-
कुल (ख)		**16,11,52,636**	**18,52,07,323**
शेष राशि व्यय से अधिक आय है (क– ख)		(2,66,30,418)	(1,85,84,018)
विशेष रिजर्व में स्थानातंरण		-	-
जनरल रिजर्व में/ से स्थानातंरण		-	-
शेष राशि (घाटा) को कॉर्पस / पूंजी निधि में ले जाया जा रहा है		**(2,66,30,418)**	**(1,85,84,018)**
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24		
आकस्मिकता, देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांक : 13.06.2024
स्थान : नई दिल्ली

हेमेंद्र कुमार	**मिलिंद देवरे**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

वित्त वर्ष समाप्त होने वाले 31, मार्च 2024 के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रू. में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. प्रारंभिक शेष				I. व्यय			
क) उपलब्ध जमा राशि	-		-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20)	11,57,02,508		13,69,13,862
ख) बैंक शेष (अनुसूची– 11)				ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21)	1,76,37,125	13,33,39,633	1,88,92,442
i. बचत खाते	97,38,16,131		67,76,87,785				
ii. जमा खाते	5,36,07,91,329		4,69,98,83,771	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के खिलाफ किए गए भुगतान (अनुसूची 21)		1,29,90,98,513	1,00,94,15,715
iii. बचत खाते– योजना– योजना	3,77,52,536		61,70,55,720				
iv. बचत सीएसएस खाते	58,66,15,189	6,95,89,75,185		III. किए गए निवेश और जमा		-	-
II. प्राप्त अनुदान (अनुसूची– 3)							
भारत सरकार से (जारी योजना 2017– 20)				IV. स्थिर संपत्ति और पूंजीगत प्रगति पर व्यय			
बीईई				स्थिर संपत्ति की खरीद			
i. ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)	9,70,00,000		11,92,93,000	स्थिर संपत्ति की खरीद, जिसमें एस एंड एल चेक टेस्टिंग उपकरण भी शामिल है (अनुसूची 8)		1,38,53,518	85,82,210
ii. राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को मजबूत करना	5,76,00,000		42,00,00,000				
iii. ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास का सूत्रीकरण	1,25,00,000		-	V. अधिशेष धन/ ऋण का वापसी			
iv. नामित उपभोक्ता और लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	2,26,00,000		3,58,00,000	i). धन सहायता का अधिशेष/ ब्याज जो एमओपी/ गोआई को वापस किया गया	1,91,08,044		1,36,33,631
v. कृषि मांग प्रबंधन (एजी डीएसएम)	-		5,00,00,000	iii) पीआरजीएफईई	-		4,27,51,198
vi. नगरीय मांग प्रबंधन (एमयू डीएसएम)	-		5,00,00,000	iv) वीसीएफईईई	-	1,91,08,044	47,54,618
vii. कृषि–मांग पक्ष प्रबंधन–एकीकृत कोल्डचेन श्रृखंला में ऊर्जा दक्षता	-		3,00,00,000				
viii. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन	1,00,00,000		-				
ix. डिस्कॉम्स की क्षमता निर्माण	4,15,00,000		-	एसडीए से ब्याज			
x. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईई	1,86,50,000		1,39,00,000	i. राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को मजबूत बनाना	4,05,70,373		
xi. वाहनों के लिए ईई	26,00,000		26,00,000	ii. उन्नत ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)	1,41,80,255	5,47,50,628	-
xii. नेशनल एनर्जी कंसर्वेशन अवॉर्ड्स और पेंटिंग प्रतियोगिता ईसी	3,87,99,865		5,00,00,000				
xiii. ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरुकता	1,43,50,000		-	VI. अन्य भुगतान			
ईसी				ई– सर्ट्स पोर्टल अनुरक्षण शुल्क (अनुसूची– 3)		-	10,325
राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन	30,40,00,000	61,95,99,865	-	अन्य प्रगतिशील (संपत्तियां) अनुसूची– 11)			
अन्य (अनुसूची– 3)				बिल डेस्क		-	320
यूनिडो– जीईएफ– बीइई परियोजना प्राप्ति	82,75,875	82,75,875	4,50,45,913				
				मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) (अनुसूची और 7) रिफंड		13,25,000	-
III. निवेश पर आय/ अन्य प्राप्तियां							
क) i. विशेष रूप से निर्धारित निधियां (कॉर्पस– बीई) अनुसूची– 15)	3,27,38,596		4,24,00,000	सुरक्षा जमा और प्रदर्शन सुरक्षा (अनुसूची– 7)		47,66,452	1,40,71,729
ii. विशेष रूप से निर्धारित निधियां (कॉर्पस–एनएमईई) (अनुसूची–15)	4,28,43,319		2,35,91,073				
iii. पीआरजीएफईई	-		1,12,578	ईएमडी वापसी (अन्य वर्तमान दिवसीय पासिव– अनुसूची–7)		1,44,45,000	14,14,000
iv. वीसीएफईई	-		93,858				
v. इसर्ट्स शुल्क (अनुसूची– 3)	22,52,134	7,78,34,049	20,88,005	अन्य भुगतान			
ख) विशेष रूप से निर्धारित निधियां				अनपेड चेक (अनुसूची– 7)		12,92,650	7,00,265
बीईई							
i. ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)	29,41,548		8,43,904				
ii. राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को मजबूत करना	43,58,153		30,12,793				
iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ)	6,43,271		16,81,074				
iv. लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	21,66,949		14,00,169				
v. कृषि मांग प्रबंधन (एजी डीएसएम)	6,15,419		5,99,069				
vi. नगरीय मांग प्रबंधन (एमयू डीएसएम)	6,97,940		9,68,478				
vii. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन	54,019		-				
सी/एफ		7,66,46,84,974	6,88,80,57,190	सी / एफ		1,54,19,79,438	1,25,11,40,315

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

वित्त वर्ष समाप्त होने वाले 31 मार्च, 2024 के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रू. में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बी / एफ		7,66,46,84,974	6,88,80,57,190	बी / एफ		1,54,19,79,438	1,25,11,40,315
viii. ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास का सूत्रीकरण	3,38,254		-				
ix. डिस्कॉम का क्षमता निर्माण	8,48,549		19,22,254				
x. एजी डीएसएम– एनर्जी इफिशिएंसी इन इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन	6,72,756		2,78,544				
xi. ईई– इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए	5,95,327		1,24,987	vii. समापन शेष (अनुसूची – 11)			
xii. वाहनों के लिए ईई	14,576		1,188	क) वाहनों के लिए हाथ में नकद	-	-	-
xiii. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता	9,13,679		9,13,239	ख) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और पेंटिंग प्रतियोगिता बैंक शेष			
xiv. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	9,95,110		27,93,090	i) बचत खात	43,66,13,806		97,38,16,131
				ii) जमा खात	6,98,50,72,453		5,36,07,91,329
उर्जा संरक्षण				iii) बचत खाते – योजना योजना	3,08,76,522		3,77,52,536
i. उन्नत ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)	27,63,215	1,86,18,765	45,69,255	iv) बचत सीएसएस खाता	10,64,90,973	7,55,90,53,754	58,66,15,189
राज्य नामित एजेंसियों से प्राप्त ब्याज							
i. राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को मजबूत बनाना	4,05,70,373						
ii. संवर्धित हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन	1,41,80,255	5,47,50,628					
iv. प्राप्त ब्याज							
क) बैंक जमा पर (अनुसूची – 11 – 17)	4,52,07,331		4,55,28,796				
ख) बैंक जमा पर (मानक और लेबलिंग) (अनुसूची– 1 – 11)	31,98,00,098		17,35,97,864				
ग) बचत खाता (अनुसूची – 17)	8,11,062		3,62,252				
घ) ईसीबीसी पंजीकरण शुल्क (अनुसूची–3)	1,13,723		2,56,074				
ड) ई– सर्ट व्यापार शुल्क (अनुसूची–3)	2,13,615	36,61,45,829	6,02,340				
v. अन्य आय							
विविध आय (प्रस्तुतिकरण शुल्क और आरटीआई शुल्क) (अनुसूची– 18)	10,06,895		11,41,620				
परीक्षा कोष–2022–23 (22 – 23) (अनुसूची – 14)	-		5,15,20,920				
ऊर्जा मुनाफिक प्रमाणपत्र शुल्क (अनुसूची – 14)	1,36,100	11,42,995	2,30,523				
vi. अन्य प्राप्तियां							
बिल्डिंग लेबलिंग शुल्क– ईसीबीसी (अनुसूची – 3)	25,75,000		26,50,000				
एसडीए / संपत्ति की बिक्री से प्राप्तियां	3,46,545						
स्थायी संपत्तियों की बिक्री	7,969		-				
परिसंपत्तियों की बिक्री और वस्तु के रूप में अनुदान	231						
मानक और लेबलिंग (पंजीकृत / लेबल शुल्क (अनुसूची – 1 और 11)	94,31,91,289	94,61,21,034	99,29,08,841				
एक्सपायरी के कारण वापस लिए गए चेक		1,09,43,673	20,90,879				
सुरक्षा जमा और प्रदर्शन सुरक्षा (अनुसूची–7)		38,19,294	78,86,095				
सुरक्षा जमा (देयताएं)							
मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) (अनुसूची – 7)		2,00,75,000	1,87,00,000				
ईएमडी जमा (अन्य चालू देयताएं –अनुसूची – 7)		1,47,28,500	1,38,54,130				
अन्य प्राप्तियाँ (आस्तियां) (अनुसूची – 11)		2,500	1,25,419				
कुल		9,10,10,33,192	8,21,01,15,500	कुल		9,10,10,33,192	8,21,01,15,500

दिनांक : 13.06.2024
स्थान : नई दिल्ली

हेमेंद्र कुमार
वित्त एवं लेखा अधिकारी

मिलिंद देवरे
सचिव

अभय बाकरे
महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची – 1

(राशि रू. में)

अनुसूची 1– कॉपर्स / पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. ऊर्जा संरक्षण निधि				
1. कॉर्पस फंड				
प्रारंभिक शेष आगे लाया गया				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि (बीईई)	50,00,00,000		50,00,00,000	
कॉर्पस फंड में योगदान (कॉर्पस फंड का विस्तार – एनएमईईई)	45,00,00,000	95,00,00,000	45,00,00,000	95,00,00,000
2. मानक एवं लेबलिंग शुल्क (एस एंड एल)				
घटाए: एमएसी / जीसी अनुमोदन के अनुसार सीईएम अंशदान और परियोजना व्यय	5,68,21,33,448		4,54,55,34,242	
घटाए: वर्ष के दौरान योजना में हस्तांतरित धनराशि (अनुसूची– 3)	12,22,34,472		12,54,97,578	
घटाए: एमएसी / जीसी अनुमोदन के अनुसार सीईएम अंशदान और परियोजना व्यय	5,32,86,931		1,26,71,659	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	94,31,91,289		99,29,08,841	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	45,15,11,137	6,90,13,14,471	28,18,59,602	5,68,21,33,448
3. व्यय पर अधिक आय				
प्रारंभिक शेष आगे लाया गया	72,76,49,486		74,62,33,504	
आय और व्यय लेखा से अंतरित शेष	(2,66,30,418)	70,10,19,068	(1,85,84,018)	72,76,49,486
कुल		**8,55,23,33,539**		**7,35,97,82,934**
ख. अन्य– पीआरजीएफईई और वीसीएफईई फंड				
1. पीआरजीएफईई				
प्रारंभिक शेष आगे लाया गया	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	-		1,12,578	
घटाए: एमओपी को वापस की गई राशि	-	-	1,12,578	-
2. वीसीएफईई				
आरंभिक शेष आगे लाया गया	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	-		93,858	
घटाए: एमओपी को वापस की गई राशि	-	-	93,858	-
कुल		-		-

अनुसूची – 2

अनुसूची 2 – आरक्षित निधि और अधिशेष:	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजी आरक्षित:				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री	-		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमां	-		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान आस्तियों की बिक्री पर हानि	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमां	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान कटौतिया	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमां	-		-	
घटाए:: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-	-	-
कुल		-		-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची – 3

(राशि रू. में)

अनुसूची 3 (भाग– 1)– निर्धारित निधि (सरकारी अनुदान)	भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देना																शेष राशि अगले पृष्ठ पर जमा करें (पृष्ठ संख्या 7–8)	
	राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ाला देने के लिए एसडीए का सुदृढ़ीकरण				डिमांड साइड मैनेजमैंट (डीएसएम) पहल								लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) में ऊर्जा दक्षता		भवन ऊर्जा दक्षता (ईसीबीसी)			
	एसडीए सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (एसडीए)		राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में योगदान		डिमांड साइड मैनेजमैंट (डीएसएम) पहल		एजी डीएसएम– एकीकृत कोल्डचेन में ऊर्जा दक्षता		नगर निगम डीएसएम कार्यक्रम (एमयू डीएसएम)		डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण							
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) प्रारंभिक शेष	19,52,82,748	7,00,51,221	4,16,81,074	4,00,95,764	2,62,92,739	41,845	3,02,78,544	-	4,11,36,648	3,47,019	4,00,27,155	5,90,00,825	6,49,44,408	6,23,17,531	8,80,74,473	85,31,327	52,77,17,789	24,03,85,532
घटाएः प्रारंभिक शेष राशि, अव्ययित शेष राशि का पुनः सत्यापन	19,22,69,954		4,00,00,000		2,56,93,670		3,00,00,000		4,01,68,170		3,81,04,901		6,35,44,239		8,72,30,569		51,70,11,503	
शुद्ध प्रारंभिक शेष	**30,12,794**	**7,00,51,221**	**16,81,074**	**4,00,95,764**	**5,99,069**	**41,845**	**2,78,544**	**-**	**9,68,478**	**3,47,019**	**19,22,254**	**5,90,00,825**	**14,00,169**	**6,23,17,531**	**8,43,904**	**85,31,327**	**1,07,06,286**	**24,03,85,532**
ख) वर्ष के दौरान जमा																		
i. अव्ययित शेष राशि का पुनः सत्यापन	16,00,00,000	-	2,00,00,000	-	2,36,93,670	-	2,50,00,000	-	2,10,00,000	-	2,30,00,000	-	5,95,44,239	-	7,70,00,000	-	40,92,37,909	-
ii. चंदा / अनुदान	5,76,00,000	42,00,00,000	-	-	-	5,00,00,000	-	3,00,00,000	-	5,00,00,000	4,15,00,000	-	2,26,00,000	3,58,00,000	9,70,00,000	11,92,93,000	21,87,00,000	70,50,93,000
iii. निधियों के निवेश से आय[1]	4,49,28,526	30,12,793	6,43,271	16,81,074	6,15,419	5,99,069	6,72,756	2,78,544	6,97,940	9,68,478	8,48,549	19,22,254	21,66,949	14,00,169	29,41,548	8,43,904	5,35,14,958	1,07,06,285
iv. अन्य[2]	1,95,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95,818	-
कुल (क+ख)	**26,57,37,138**	**49,30,64,014**	**2,23,24,345**	**4,17,76,838**	**2,49,08,158**	**5,06,40,914**	**2,59,51,300**	**3,02,78,544**	**2,26,66,418**	**5,13,15,497**	**6,72,70,803**	**6,09,23,079**	**8,57,11,357**	**9,95,17,700**	**17,77,85,452**	**12,86,68,231**	**69,23,54,971**	**95,61,84,817**
ग. निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग / व्यय																		
i. पूंजीगत व्यय																		
– अचल परिसंपत्तिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– परीक्षण उपकरणों की जांच करें (हाथ में स्टाक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							-	-										
– वेतन, पारिश्रमिक और भत्ते आदि।	52,48,156	20,77,966	-	-	14,67,649	-	-	-	-	-	23,71,744	4,07,878	28,69,171	10,41,862	25,41,734	4,55,950	1,44,98,454	39,83,656
– अन्य प्रशासनिक / परियोजना व्यय	20,47,21,523	29,49,51,680	2,00,00,000	-	1,74,37,194	2,43,48,175	2,49,99,707	-	1,67,69,569	1,01,64,194	6,18,97,636	2,01,86,443	7,42,05,229	3,18,63,485	14,65,42,068	3,93,09,303	56,65,72,926	42,08,23,280
iii. विद्युत मंत्रालय को अनुदान वापसी																		
– अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज[1]	4,79,41,319	7,51,620	23,24,345	95,764	12,14,488	-	9,51,300	-	16,66,418	14,655	27,70,803	3,01,603	35,67,118	16,67,945	37,85,452	8,28,505	6,42,21,243	36,60,092
– अप्रयुक्त अनुदान वापसी	76,30,322	-	-	-	47,88,827	-	293	-	42,30,431	-	2,30,620	-	50,69,839	-	2,49,16,198	-	4,68,66,530	-
– अन्य[2]	1,95,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95,818	-
कुल	**26,57,37,138**	**29,77,81,266**	**2,23,24,345**	**95,764**	**2,49,08,158**	**2,43,48,175**	**2,59,51,300**	**-**	**2,26,66,418**	**1,01,78,849**	**6,72,70,803**	**2,08,95,924**	**8,57,11,357**	**3,45,73,292**	**17,77,85,452**	**4,05,93,758**	**69,23,54,971**	**42,84,67,028**
कुल (ग)	**26,57,37,138**	**29,77,81,266**	**2,23,24,345**	**95,764**	**2,49,08,158**	**2,43,48,175**	**2,59,51,300**	**-**	**2,26,66,418**	**1,01,78,849**	**6,72,70,803**	**2,08,95,924**	**8,57,11,357**	**3,45,73,292**	**17,77,85,452**	**4,05,93,758**	**69,23,54,971**	**42,84,67,028**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख–ग) (क)	-	**19,52,82,748**	-	**4,16,81,074**	-	**2,62,92,739**	-	**3,02,78,544**	-	**4,11,36,648**	-	**4,00,27,155**	-	**6,49,44,408**	-	**8,80,74,473**	-	**52,77,17,789**
क) शुल्क से आय																		
प्रारंभिक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,06,074	57,00,000	86,06,074	57,00,000
वर्ष के दौरान अतिरिक्त जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,75,000	26,50,000	25,75,000	26,50,000
ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13,723	2,56,074	1,13,723	2,56,074
घटाएः व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,12,94,797**	**86,06,074**	**1,12,94,797**	**86,06,074**
ख) अनुदान के तहत संपत्ति																		
i. परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष	11,533	19,223	-	-	-	-	-	-	8,269	13,781	8,258	13,763	25,133	41,888	11,994	19,990	65,187	1,08,645
ii. संपत्ति में वद्धि																		
अचल संपत्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	**11,533**	**19,223**	-	-	-	-	-	-	**8,269**	**13,781**	**8,258**	**13,763**	**25,133**	**41,888**	**11,994**	**19,990**	**65,187**	**1,08,645**
ग) उपयोग / व्यय																		
– अचल संपत्तियों की बिक्री / नुकसान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक खर्च मूल्यह्रास	4,613	7,690	-	-	-	-	-	-	2,171	5,512	1,449	5,505	8,199	16,755	4,798	7,996	21,230	43,458
कुल (ग)	**4,613**	**7,690**	-	-	-	-	-	-	**2,171**	**5,512**	**1,449**	**5,505**	**8,199**	**16,755**	**4,798**	**7,996**	**21,230**	**43,458**
वर्ष के अंत में शेष (घ)= (ख–ग)	**6,920**	**11,533**	-	-	-	-	-	-	**6,098**	**8,269**	**6,809**	**8,258**	**16,934**	**25,133**	**7,196**	**11,994**	**43,957**	**65,187**
साल के अंत में कुल जमा राशि (ख) (क+घ)	**6,920**	**11,533**	-	-	-	-	-	-	**6,098**	**8,269**	**6,809**	**8,258**	**16,934**	**25,133**	**1,13,01,993**	**86,18,068**	**1,13,38,754**	**86,71,261**
कुल योग (क+ख)	**6,920**	**19,52,94,281**	-	**4,16,81,074**	-	**2,62,92,739**	-	**3,02,78,544**	**6,098**	**4,11,44,917**	**6,809**	**4,00,35,413**	**16,934**	**6,49,69,541**	**1,13,01,993**	**9,66,92,541**	**1,13,38,754**	**53,63,89,050**

नोट : 1. एसडीए परियोजना के तहत एसडीए से ब्याज सहित अव्ययित शेष पर ब्याज 4,05,70,373 / – रुपए और एनएमईईई परियोजना के तहत 1,41,80,255 / – रुपए।
2. अन्यः संपत्तियों की बिक्री एवं एसडीए से धन वापसी।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3

(राशि रू. में)

अनुसूची 3 (भाग– 2)– निर्धारित निधि (सरकारी अनुदान)	भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देना														राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)		अन्य	
	पिछले पृष्ठ से संतुलन शेष (पृष्ठ संख्या 7–8)		ऊर्जा दक्षता का निर्माण		परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता				वाहनों के लिए ईई		ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता							
					इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईई		वाहनों के लिए ईई				राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता		जागरूकता अभियान					
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) प्रारंभिक शेष	52,77,17,789	24,03,85,532	-	-	63,93,185	-	60,743	-	-	-	59,13,904	2,89,63,406	2,00,90,955	12,05,38,199	2,81,59,908	20,96,93,922	58,83,36,484	59,95,81,059
घटाएः प्रारंभिक शेष राशि, अव्ययित शेष राशि का पुनः सत्यापन	51,70,11,503	-	-	-	62,68,198	-	59,555	-	-	-	50,00,665		1,72,97,865		2,35,90,653		56,92,28,439	-
शुद्ध प्रारंभिक शेष	**1,07,06,286**	**24,03,85,532**	-	-	**1,24,987**	-	**1,188**	-	-	-	**9,13,239**	**2,89,63,406**	**27,93,090**	**12,05,38,199**	**45,69,255**	**20,96,93,922**	**1,91,08,045**	**59,95,81,059**
ख) वर्ष के दौरान जमा																		
i. अव्ययित शेष राशि का पुनः सत्यापन	40,92,37,909	-	-	-	2,15,00,000		-		1,00,00,000	-	5,00,00,000		3,76,01,752	-	4,08,88,778	-	56,92,28,439	-
ii. दान/ अनुदान	21,87,00,000	70,50,93,000	1,00,00,000	-	1,86,50,000	1,39,00,000	26,00,000	26,00,000	1,25,00,000	-	3,87,99,865	5,00,00,000	1,43,50,000	-	30,40,00,000	-	61,95,99,865	77,15,93,000
iii. धन के कारण किए गए निवेश से आय	5,35,14,958	1,07,06,285	54,019	-	5,95,327	1,24,987	14,576	1,188	3,38,254	-	9,13,679	9,13,239	9,95,110	27,93,090	1,69,43,470	45,69,255	7,33,69,393	1,91,08,044
iv. अन्य[2]	1,95,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,496	-	83,462	-	3,46,776	-
कुल (क +ख)	**69,23,54,971**	**95,61,84,817**	**1,00,54,019**	-	**4,08,70,314**	**1,40,24,987**	**26,15,764**	**26,01,188**	**2,28,38,254**	-	**9,06,26,783**	**7,98,76,645**	**5,58,07,448**	**12,33,31,289**	**36,64,84,965**	**21,42,63,177**	**1,28,16,52,518**	**1,39,02,82,103**
ग) निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/ व्यय																		
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,21,965	19,46,847	31,21,965	19,46,847
– परीक्षण उपकरणों की जांच करें (वर्तमान स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31,21,965**	**19,46,847**	**31,21,965**	**19,46,847**
ii. राजस्व व्यय																		
– वेतन, पारिश्रमिक और भत्ते आदि	1,44,98,454	39,83,656	-	-	12,64,907	-	-	-	-	-	17,46,492	11,65,239	32,40,341	25,34,050	4,23,30,302	58,32,082	6,30,80,496	1,35,15,027
– अन्य प्रशासनिकः परियोजना व्यय	56,65,72,926	42,08,23,280	99,22,974	-	3,53,78,527	76,31,802	25,40,445	25,40,445	2,22,24,504	-	8,48,96,973	7,21,07,005	4,84,46,146	9,92,48,021	27,68,89,526	17,04,99,561	1,04,68,72,021	77,28,50,114
iii. विद्युत मंत्रालय को अनुदान वापसी																		
– खर्च न किए गए अनुदान पर ब्याज[1]	6,42,21,243	36,60,092	54,019	-	7,20,314	-	15,764	-	3,38,254	-	18,26,918	6,90,497	37,88,200	14,58,263	2,15,12,725	78,24,779	9,24,77,437	1,36,33,631
– अप्रयुक्त अनुदान वापसी	4,68,66,530	-	77,026	-	35,06,566	-	59,555	-	2,75,496	-	21,56,400	-	2,65,265	-	2,26,30,216	-	7,58,37,054	-
– अन्य[2]	1,95,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,496	-	231	-	2,63,545	-
कुल	**69,23,54,971**	**42,84,67,028**	**1,00,54,019**	-	**4,08,70,314**	**76,31,802**	**26,15,764**	**25,40,445**	**2,28,38,254**	-	**9,06,26,783**	**7,39,62,741**	**5,58,07,448**	**10,32,40,334**	**36,33,63,000**	**18,41,56,422**	**1,27,85,30,553**	**79,99,98,772**
कुल (ग)	**69,23,54,971**	**42,84,67,028**	**1,00,54,019**	-	**4,08,70,314**	**76,31,802**	**26,15,764**	**25,40,445**	**2,28,38,254**	-	**9,06,26,783**	**7,39,62,741**	**5,58,07,448**	**10,32,40,334**	**36,64,84,965**	**18,61,03,269**	**1,28,16,52,518**	**80,19,45,619**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग) (क)	-	**52,77,17,789**	-	-	-	**63,93,185**	-	**60,743**	-	-	-	**59,13,904**	-	**2,00,90,955**	-	**2,81,59,908**	-	**58,83,36,484**
क) शुल्क से आय																		
प्रारंभिक जमा	86,06,074	57,00,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71,44,675	1,44,51,488	2,57,50,749	2,01,51,488
वर्ष के दौरान जमा	25,75,000	26,50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,54,778	21,01,172	47,29,778	47,51,172
ब्याज	1,13,723	2,56,074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13,615	6,02,340	3,27,338	8,58,414
घटाएँः व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,325	-	10,325
अन्य (क)	**1,12,94,797**	**86,06,074**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,95,13,068**	**1,71,44,675**	**3,08,07,865**	**2,57,50,749**
ख) अनुदान के अंतर्गत परिसंपत्तियां																		
i. परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष	65,187	1,08,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,48,616	48,04,806	44,13,803	49,13,451
ii. परिसंपत्तियों में वृद्धि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,21,965	19,46,847	31,21,965	19,46,847
कुल (ख)	**65,187**	**1,08,645**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**74,70,581**	**67,51,653**	**75,35,768**	**68,60,298**
ग) उपयोग/व्यय																		
– अचल संपत्तियों की बिक्री/ बिक्री पर हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,511	-	11,511	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	21,230	43,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,93,278	24,03,037	26,14,508	24,46,495
कुल (ग)	**21,230**	**43,458**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26,04,789**	**24,03,037**	**26,26,019**	**24,46,495**
वर्ष के अंत में शेष (घ)= (ख–ग)	**43,957**	**65,187**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**48,65,792**	**43,48,616**	**49,09,749**	**44,13,803**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (ख) (क+घ)	**1,13,38,754**	**86,71,261**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,43,78,860**	**2,14,93,291**	**3,57,17,614**	**3,01,64,552**
कुल जमा (क+ख)	**1,13,38,754**	**53,63,89,050**	-	-	-	**63,93,185**	-	**60,743**	-	-	-	**59,13,904**	-	**2,00,90,955**	**2,43,78,860**	**4,96,53,199**	**3,57,17,614**	**61,85,01,036**

नोट : 1. एसडीए परियोजना के तहत एसडीए से ब्याज सहित अव्ययित शेष पर ब्याज 4,05,70,373/– रुपए और एनएमईईई परियोजना के तहत 1,41,80,255/– रुपए।
2. अन्य : परिसंपत्तियों की बिक्री एवं एसडीए से धन वापसी।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 3

(राशि रू. में)

अनुसूची 3– निर्धारित निधि (अन्य)	यूनिडो–जीईएफ– बीईई परियोजना		मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	42,40,929	2,47,62,678	-	-	42,40,929	2,47,62,678
ख) निधि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
i. दान/ अनुदान	82,75,875	4,50,45,913	12,22,34,472	12,54,97,578	13,05,10,347	17,05,43,491
ii. अन्य जमा	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	**1,25,16,804**	**6,98,08,591**	**12,22,34,472**	**12,54,97,578**	**13,47,51,276**	**19,53,06,169**
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
– अचल परिसंपत्तियां	-	-	89,225	-	89,225	-
– परीक्षण उपकरणों की जांच	-	-	75,55,936	54,08,141	75,55,936	54,08,141
कुल	-	-	76,45,161	54,08,141	76,45,161	54,08,141
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	36,83,172	1,50,84,211	73,13,996	1,50,84,211	1,09,97,168
– अन्य प्रशासनिक/ परियोजना व्यय	1,07,25,163	6,18,84,490	9,95,05,100	11,27,75,441	11,02,30,263	17,46,59,931
कुल	1,07,25,163	6,55,67,662	11,45,89,311	12,00,89,437	12,53,14,474	18,56,57,099
कुल (ग)	**1,07,25,163**	**6,55,67,662**	**12,22,34,472**	**12,54,97,578**	**13,29,59,635**	**19,10,65,240**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क) (क+ख+ग)	**17,91,641**	**42,40,929**	**-**	**-**	**17,91,641**	**42,40,929**
अनुदान के तहत परिसंपत्तियां						
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	20,922	34,870	1,25,66,982	94,38,558	1,25,87,904	94,73,428
ख) निधि में वृद्धि						
i. अन्य जमा/परिसंपत्तियां/निधि का अंतरण	18,05,400	-	89,225	-	18,94,625	-
ii. परीक्षण उपकरणों की जांच	-	-	75,55,936	54,08,141	75,55,936	54,08,141
कुल (क+ख)	**18,26,322**	**34,870**	**2,02,12,143**	**1,48,46,699**	**2,20,38,465**	**1,48,81,569**
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/ व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
– अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
– परिसंपत्तियों की बिक्री/ बिक्री पर हानि	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक/ परियोजना व्यय						
मूलह्रास	7,29,479	13,948	2,38,082	2,65,317	9,67,561	2,79,265
चेक परीक्षण उपकरणों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	-	28,45,629	20,14,400	28,45,629	20,14,400
कुल	**7,29,479**	**13,948**	**30,83,711**	**22,79,717**	**38,13,190**	**22,93,665**
कुल (ग)	**7,29,479**	**13,948**	**30,83,711**	**22,79,717**	**38,13,190**	**22,93,665**
वर्ष के अंत में निवल शेष (ख)	**10,96,843**	**20,922**	**1,71,28,432**	**1,25,66,982**	**1,82,25,275**	**1,25,87,904**
कुल योग (क+ख)	**28,88,484**	**42,61,851**	**1,71,28,432**	**1,25,66,982**	**2,00,16,916**	**1,68,28,833**
				अनुसूची–3	-	-
				सरकारी अनुदान (पृष्ठ संख्या 7 एवं 8)	**3,57,17,614**	**61,85,01,036**
				अन्य (पृ.सं. 9)	**2,00,16,916**	**1,68,28,833**
				कुल	**5,57,34,530**	**63,53,29,868**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 4 और 5

(राशि रू. में)

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अर्जित ब्याज और देय	-	-
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण	-	-
– अर्जित ब्याज और देय	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
– अन्य ब्याज और देय	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉड	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 5– अप्रतिभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 6 और 7

(राशि रू. में)

अनुसूची 6– आस्थगित ऋण देनदारियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) पूंजी के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति उपकरण और अन्य परिसंपत्तियां	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची 7– वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
विविध लेनदार				
विविध लेनदार (अन्य)		42,71,564		10,28,927
सुरक्षा जमा एवं निष्पादन गारंटी		2,14,86,525		2,30,08,683
सुरक्षा जमा (मानक एवं लेबलिंग)		16,72,63,500		14,85,13,500
कर और शुल्क				
टीडीएस देय	1,05,02,875		87,51,740	
टीडीएस और जीएसटी देय	22,45,342	1,27,48,217	20,11,420	1,07,63,160
अन्य चालू देयताएं				
एमओपी को देय	9,47,19,363		-	-
अन्य किसी को देय	5,63,67,850	15,10,87,213	4,45,41,430	4,45,41,430
कुल (क)		**35,68,57,019**		**22,78,55,700**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेच्यूटी		-		-
3. अधिवर्षिता / पेंशन		-		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटी / दावे		-		-
कुल (ख)		**-**		**-**
कुल (क+ख)		**35,68,57,019**		**22,78,55,700**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 8

(राशि रू. में)

क्रम सं.	अनुसूची 8– स्थिर परिसंपतियों का विवरण	मूल्य ह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास ब्लॉक					नेट ब्लॉक	
			01.04.23 तक	वर्ष के दौ. रान वृद्धि	बिक्री	समायोजन	31.03.24 तक	01.04.23 तक	वर्ष के लिए	बिक्री	समा. योजन	31.03.24 तक	31.03.24 तक	31.03.23 तक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो														
(क)	मूर्त परिसंपत्तियां													
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10%	1,73,59,863	4,96,109	7,27,834	-	1,71,28,138	1,13,87,179	6,27,660	5,76,156	-	1,14,38,683	56,89,455	59,72,684
4	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	100%	-	2,050	-	2,050	-	-	2,050	-	2,050	-	-	-
5	कार्यालय उपकरण	15%	1,07,90,030	16,63,925	17,06,440	-	1,07,47,515	78,23,431	5,46,017	14,50,939	-	69,18,509	38,29,006	29,66,599
6	कार्यालय उपकरण	100%	-	5,900	-	5,900	-	-	5,900	-	5,900	-	-	-
7	वाहन	15%	24,59,824	-	-	-	24,59,824	21,24,826	42,038	-	-	21,66,864	2,92,960	3,34,998
8	कंप्यूटर / सहायक उपकरण	40%	61,55,958	7,92,980	-	-	69,48,938	58,19,242	3,42,803	-	-	61,62,045	7,86,893	3,36,716
9	कंप्यूटर /सहायक उपकरण	100%	-	4,897	-	4,897	-	-	4,897	-	4,897	-	-	-
(ख)	अमूर्त संपत्ति													
1	कंप्यूटर साफ्टवेयर	40%	1,16,976	-	-	-	1,16,976	94,244	9,093	-	-	1,03,337	13,639	22,732
	कुल		3,68,82,651	29,65,861	24,34,274	12,847	3,74,01,391	2,72,48,922	15,80,458	20,27,095	12,847	2,67,89,438	1,06,11,953	96,33,729
अनुदान के तहत परिसंपत्तियां														
(क)	मूर्त संपत्ति													
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10%	7,51,057	-	16,000	-	7,35,057	3,52,702	39,406	11,707	-	3,80,401	3,54,656	3,98,355
4	कार्यालय उपकरण	15%	78,40,794	-	54,850	-	77,85,944	52,17,645	3,92,389	47,632	-	55,62,402	22,23,542	26,23,149
5	कंप्यूटर / सहायक उपकरण	40%	1,13,67,468	26,96,525	-	-	1,40,63,993	92,41,570	18,25,585	-	-	1,10,67,155	29,96,838	21,25,898
6	कंप्यूटर / सहायक उपकरण	100%	-	6,890	-	6,890	-	-	6,890	-	6,890	-	-	-
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियां													
1	कंप्यूटर साफ्टवेयर	40%	31,48,725	18,13,675	-	-	49,62,400	27,09,332	8,18,299	-	-	35,27,631	14,34,769	4,39,393
2	कंप्यूटर साफ्टवेयर	100%	-	4,99,500	-	4,99,500	-	-	4,99,500	-	4,99,500	-	-	-
	कुल		2,31,08,044	50,16,590	70,850	5,06,390	2,75,47,394	1,75,21,249	35,82,069	59,339	5,06,390	2,05,37,589	70,09,805	55,86,795
	कुल योग		5,99,90,695	79,82,451	25,05,124	5,19,237	6,49,48,785	4,47,70,171	51,62,527	20,86,434	5,19,237	4,73,27,027	1,76,21,758	1,52,20,524
	पिछला वर्ष		5,73,46,084	32,92,196	-	6,47,585	5,99,90,695	4,12,71,482	41,46,274	-	6,47,585	4,47,70,171	1,52,20,524	1,60,74,602

नोटः 1. रु. 5,000/– या उससे कम लागत वाली प्रत्येक परिसंपत्ति पर 100% मूल्यह्रास लगाया गया है।
2. उपयोग में न लाई जा सकने वाली परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है (अनुसूची–25 की क्रम संख्या 16 देखें)।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को तुलन – पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 9 और 10

(राशि रू. में)

अनुसूची 9– निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों से निवेश		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. कॉर्पस निधि			
i. एनटीपीसी के बॉन्ड्स (20 वर्ष)	-		50,00,00,000
ii. एफडीआर (कॉर्पस फंड का विस्तार – बीईई)	50,00,00,000		-
iii. एफडीआर– (कॉपर्स निधि की वृद्धि– एनएमईईई)	45,00,00,000	95,00,00,000	45,00,00,000
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य			
कुल		**95,00,00,000**	**95,00,00,000**

अनुसूची 10– निवेश– अन्य		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉड		-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य		-	-
कुल		**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 11

(राशि रू. में)

अनुसूची 11– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां				
I. उपलब्ध जमा राशि	-	-	-	-
II.बैंक खाते (अनुसूचित बैंकों के साथ)				
– जमा खातों पर				
अनुसूचित बैंकों के साथ एफडीआर – बीईई	80,29,39,005		81,52,57,087	
अनुसूचित बैंकों के साथ एफडीआर – एसएंडएल	6,18,21,33,448		4,54,55,34,242	
	6,98,50,72,453		5,36,07,91,329	
– बचत खातों पर				
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा बचत बैंक खाता) – बीईई	6,91,86,930		3,26,68,519	
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा बचत बैंक खाता) – एस एंड एल	36,45,03,189		91,36,32,410	
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा बचत बैंक खाता) – प्लान स्कीम	3,08,76,522		3,77,52,536	
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा बचत बैंक खाता) – परीक्षा	14,44,492		2,60,84,326	
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा बचत बैंक खाता) – सीएसएस–1	5,34,02,655		53,53,41,625	
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा बचत बैंक खाता) – सीएसएस–2	2,19,47,461		4,23,57,562	
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा चालू बैंक खाता) – सीएसएस–1 – होल्डिंग	2,51,49,458		43,14,953	
बीईई (बैंक ऑफ बडौदा चालू बैंक खाता) – सीएसएस–2 – होल्डिंग	59,91,399		46,01,049	
बीईई (इंडियन ओवरसीज बचत बैंक खाता) – चेन्नई	6,31,312		6,14,280	
बीईई (इंडियन ओवरसीज बचत बैंक खाता) – दिल्ली	8,47,883		8,16,596	
	57,39,81,301	7,55,90,53,754	1,59,81,83,856	6,95,89,75,185
III. परीक्षण उपकरण की जाँच करें (एसएंडएल प्रोजेक्ट) {अनुसूची–25 का क्रमांक 09 देखें}		1,61,25,219		1,14,14,912
क. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां :				
I. अन्य अग्रिम और प्राप्य				
बीईई	-		6,000	
ऊर्जा लेखापरीक्षक प्रत्यायन शुल्क – प्राप्य	1,84,000		-	
मानक एवं लेबलिंग (एसएंडएल)	83,680		84,138	
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, चेन्नई	-		86,06,683	
अन्य अग्रिम	6,76,872	9,44,552	11,32,776	98,29,597
II. स्टाफ अग्रिम		5,81,850		1,03,900
III. अन्य जमा (सुरक्षा जमा)		3,97,000		3,97,000
IV. अर्जित आय (निवेश/सावधि जमा रसीदों पर)				
i बीईई	5,83,94,022		3,74,73,823	
ii. एनएमईईई	69,09,551		1,63,05,568	
iii. एसएंडएल	35,45,93,697	41,98,97,270	22,28,82,658	27,66,62,049
V. अन्य				
इर्स्ट्स ट्रेडिंग शुल्क पर टीडीएस		2,39,502		3,36,858
VI. प्रीपेड खर्चे		64,183		28,477
कुल		**7,99,73,03,330**		**7,25,77,47,978**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 12 और 13

(राशि रू. में)

अनुसूची 12– बिक्री / सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल से बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रौसेसिंग शुल्क	-	-
ख) व्यवसायिक / परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण / संपत्ति)	-	-
ड़) अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13– अनुदान / सब्सिडी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकारें	-	-
3. सरकारी एंजेसियां	-	-
4. संस्थान / कल्याण निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 14 और 15

(राशि रू. में)

अनुसूची 14– शुल्क/ अंशदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा)	-	5,15,20,920
3. ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन शुल्क	3,20,100	2,30,523
कुल	**3,20,100**	**5,17,51,443**

अनुसूची 15– निवेश से आय	षनिर्धारित निधि से निवेश		निवेश–अन्य	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निवेश से आय निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर आय)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड (एनटीपीसी– कॉपर्स फंड)	36,01,096	4,24,00,000	-	-
ग) कॉर्पस फंड (बैंक में सावधि जमा)				
–बीईई	3,48,57,083	-	-	-
–एनएमईईई	3,34,47,302	2,61,16,052		
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचलअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
कुल	**7,19,05,481**	**6,85,16,052**	**-**	**-**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 16 और 17

(राशि रू. में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) रॉयल्टी से आय	-	-
ख) प्रकाशनों से आय	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17– अर्जित ब्याज	Current Year	Previous Year
1. सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
ब्याज आय	6,04,07,947	4,48,51,938
ख) गैर– अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
ब्याज आय	8,11,062	3,62,252
ख) गैर– अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) डाकघर के बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर:		
क) कर्मचारी / स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
5. ग्रेच्यूटी फंड पर ब्याज	-	-
कुल	6,12,19,009	4,52,14,190

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 18, 19 और 20

(राशि रू. में)

अनुसूची 18– अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभः		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से अर्जित की गई परिसंपत्तियां या निःशुल्क प्राप्त हुई	-	-
2. विविध रसीदें	10,00,895	11,41,620
3. अन्य (बट्टे खाते में डाला गया विविध शेष)	76,733	-
कुल	**10,77,628**	**11,41,620**

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और कार्य प्रगति पर	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम माल		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर है	-	-
ख) कमः प्रारंभिक माल	-	-
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर है	-	-
शुद्ध वृद्धि/कमी (क–ख)	**-**	**-**

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई और ई)	(आर और पी)	(आई और ई)	(आर और पी)
क) वेतन और मजदूरी	9,19,92,389	8,96,83,458	11,84,11,572	11,81,07,341
ख) भत्ते और बोनस	38,08,239	43,69,742	45,08,710	40,11,461
ग) ईपीएफ शुल्क	1,22,65,980	1,19,96,206	98,22,264	97,41,898
घ) अन्य (छुट्टी का वेतन)	4,57,020	4,60,738	4,60,738	-
ड़) अन्य (पेंशन अंशदान)	9,09,623	9,88,011	9,88,011	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ (ग्रेच्युटी) पर व्यय	25,97,765	25,97,765	2,76,961	8,08,021
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय (छुट्टी नकदीकरण)	28,41,833	28,41,833	13,29,108	21,90,959
ज) कर्मचारी कल्याण व्यय	26,58,328	27,64,755	21,41,891	20,54,182
झ) पूर्व अवधि व्यय	4,23,247	-	-	-
कुल	**11,79,54,424**	**11,57,02,508**	**13,79,39,255**	**13,69,13,862**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय और व्यय का हिस्सा बनने वाले अनुसूचियां

अनुसूची – 21

(राशि रू. में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई और ई)	(आर और पी)	(आई और ई)	(आर और पी)
क) मरम्मत और रखरखाव	14,45,288	15,04,973	31,70,284	29,68,983
ख) वाहन संचालन और रखरखाव	23,85,498	23,77,588	14,39,448	14,29,802
ग) डाक शुल्क, टेलीफोन और संचार शुल्क	11,43,652	11,65,032	12,24,954	11,44,948
घ) मुद्रण एवं स्टेशनरी	23,78,180	23,66,389	17,60,620	17,33,525
ड़) यात्रा और वाहन व्यय	17,49,378	10,35,712	32,47,990	33,05,335
च) कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय	38,38,416	33,07,691	22,03,883	27,28,571
छ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	14,41,440	6,86,400	14,41,440	-
ज) कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	17,55,268	16,66,800	10,20,003	10,57,629
झ) विज्ञापन और प्रचार	1,56,456	1,56,456	10,08,240	10,08,240
ञ) कार्यालय रखरखाव	18,82,817	17,67,624	30,43,428	30,73,276
ठ) बैंक शुल्क	8,161	7,702	71	71
ड) पूर्व अवधि के व्यय	15,94,758	15,94,758	4,42,062	4,42,062
कुल – क	**1,97,79,312**	**1,76,37,125**	**2,00,02,423**	**1,88,92,442**

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई और ई)	(आर और पी)	(आई और ई)	(आर और पी)
परियोजना व्यय – (बीईई)				
राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा	2,13,43,268	1,27,94,014	2,57,07,945	3,68,76,087
ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रत्यायन	95,964	95,964	1,37,186	1,37,186
	2,14,39,232	1,28,89,978	2,58,45,131	3,70,13,273
सहायता अनुदान परियोजनाएँ (विद्युत मंत्रालय)				
ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)	-	14,89,10,341	-	3,92,14,980
राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए)	-	20,99,68,352	-	29,64,14,784
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-	2,00,00,000	-	-
एजी डीएसएम– एकीकृत कोल्ड–चेन में ऊर्जा दक्षता	-	2,49,99,707	-	2,43,29,711
कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजी.डीएसएम)	-	1,89,25,807	-	-
नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयू.डीएसएम)	-	1,67,69,569	-	1,01,64,194
लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	7,45,93,287	-	3,25,59,192
वितरण कंपनियों का क्षमता निर्माण	-	6,18,32,572	-	2,05,94,321
वाहनों के लिए ईई	-	26,79,759	-	23,25,153
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईई	-	3,68,47,806	-	71,69,080
ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास का सूत्रीकरण	-	2,22,24,504	-	-
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन	-	89,13,858	-	-
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता	-	8,64,67,661	-	7,26,91,208
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	5,38,94,059	-	9,90,92,183
उन्नत ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्र मिशन (एनएमईईई)	-	31,99,76,240	-	17,32,30,139
	-	1,10,70,03,522	-	77,77,84,945
परियोजना व्यय – (अन्य)				
यूनिडो परियोजना	-	1,09,10,756	-	6,54,27,606
मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल)	-	16,82,94,257	-	12,91,89,891
	-	17,92,05,013	-	19,46,17,497
कुल – ख	**2,14,39,232**	**1,29,90,98,513**	**2,58,45,131**	**1,00,94,15,715**
कुल – क+ख	**4,12,18,544**	**1,31,67,35,638**	**4,58,47,554**	**1,02,83,08,157**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर– लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची – 22 और 23

(राशि रू. में)

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 23 – ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निश्चित ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों का प्ररूप (अलाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त व्यर्थ के लिए लेखाओं का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1) **लेखांकन परंपरा**

क. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और लेखांकन की उपार्जन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा वर्णित न किया गया हो।

ख. स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के मामले में व्यय नकद आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

2) **माल**

माल का मूल्य–निर्धारण लागत पर किया जाता है।

3) **निवेश**

निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4) **अचल आस्तियां**

क. अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं।

ख. गैर–मौद्रिक अनुदान (कॉर्पस निधि के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को पूंजी रिजर्व में संगत क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

ग. वस्तु के रूप में अनुदान का प्रतिनिधित्व करने वाली अचल संपत्तियों को वर्ष के दौरान ऐसी संपत्तियों पर प्रदान किए गए मूल्यह्रास की राशि से घटाया जाता है और अनुदान–इन–काइंड के कारण बनाए गए पूंजी रिजर्व में संगत कमी की जाती है।

5) **मूल्यह्रास**

क. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दर के अनुसार अनुपयोगी वस्तुओं को छोड़कर लिखित मूल्य पर की जाती है।

ख. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में वृद्धि/कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास को निम्नानुसार आनुपातिक आधार पर माना जाता है: –

180 दिनों तक अर्जित/उपयोग में लाई गई संपत्ति = छह महीने के लिए मूल्यह्रास

180 दिनों से अधिक समय तक अर्जित/उपयोग में लाई गई संपत्ति = पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास

ग. 5,000/– रुपए या उससे कम की लागत वाली आस्तियां पूर्णतः प्रदान की जाती है।

घ. मूल्यह्रास को अचल संपत्तियों और वस्तु के रूप में अनुदान का प्रतिनिधित्व करने वाली अचल संपत्तियों में विभाजित किया जाता है।

6) अनुदानों और राजस्व के लिए लेखांकन

मानक एवं लेबलिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान और राजस्व (लेबलिंग शुल्क सहित) को ब्याज आय को छोड़कर प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

7) सरकारी और अन्य अनुदान/अर्थसहायएं

क. परियोजनाओं की स्थापना की पूंजी लागत के लिए योगदान की प्रकृति के सरकारी अनुदान को पूंजी आरक्षित माना जाता है।

ख. अचल आस्तियों के रूप में प्राप्त अनुदान को ऐसी संपत्तियों पर प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बाद पूंजी आरक्षित के तहत दिखाया जाता है।

ग. सरकारी और अन्य अनुदान/अर्थसहाय को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान के तहत आय के रूप में दिखाया जाता है।

घ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों के विरुद्ध विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए व्यय को अनुदान जारी करने के वर्ष के लिए हिसाब में लिया जाता है।

8) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क. विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभध्हानि को प्रासंगिक परियोजनाओं के अंतर्गत लागत में समायोजित किया जाता है।

9) पट्टा

पट्टे का किराया पट्टे की शर्तों के संदर्भ में व्यय किया जाता है।

10) सेवानिवृत्ति लाभ

क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है।

ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी ली है।

ग. 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम) नियम, 2017' नामक नियम के अनुसार, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा व्यय (अंतरंग और बहिरंग) की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

वित्तीय विवरणों का प्ररूप (अलाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2024 को समाप्त व्यर्थ के लिए लेखाओं का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1) **आकस्मिक देयताऐं**

शून्य

2) **वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य संव्यवहार के दौरान प्राप्त मूल्य, कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के समान है।

3) **कराधान**

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49, आय पर कर से छूट यह उपबंध करती है – ''आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में अथवा आय, लाभ या लाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त लागू किसी भी अन्य अधिनियम में निहित किसी भी बात के होने के बावजूद –

(क) ब्यूरो;

(ख) विद्यमान प्रबंधन केंद्र, इसके गठन की तारीख से लेकर ब्यूरो की स्थापना की तारीख तक

आय, लाभ अथवा मुनाफे के संबंध में किसी आयकर या किसी कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा।''

उपर्युक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्यूरो की कोई कर योग्य आय नहीं है, इसलिए आयकर के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

4) **विदेशी मुद्रा संव्यवहार**

ब्यूरो ने आईईए/सीईएम को वार्षिक अंशदान तथा विदेश यात्रा में व्यय के कारण विदेशी मुद्रा व्यय किया है।

5) **सेवानिवृत्ति लाभ**

ब्यूरो ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्रेच्युटी के प्रीमियम के रूप में 25,97,765/– रुपए तथा बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण लाभ के रूप में 28,41,833/– रुपए का भुगतान किया है। बीईई अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी/अवकाश

नकदीकरण एलआईसी (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से करता है, एलआईसी बीईई और एनएमईईई के कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन करता है। एलआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुसार, 31/3/2024 तक ग्रेच्युटी फंड और समूह अवकाश नकदीकरण योजना का बीमांकिक मूल्य इस प्रकार है:–

i. ग्रेच्युटी निधि – 1,71,41,224/– रु.
(विगत वर्ष : 1,36,40,583/– रु.)

ii. समूह अवकाश नकदीकरण योजना – 1,74,04,322/– रु.
(विगत वर्ष : 1,36,40,693/– रु.)

6) ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अप्रयुक्त धन के संबंध में बैंक के साथ स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। इसलिए, अप्रयुक्त निधि पर मासिक औसत शेष के आधार पर गणना की गई ब्याज आय को प्राप्त ब्याज आय से संबंधित योजनाओं में जमा कर दिया गया है और इसे विद्युत मंत्रालय को वापस किया जा रहा है।

7) वर्ष के दौरान ब्यूरो को ईसी अधिनियम की धारा 14 के खंड (क), (ख) और (घ) के तहत मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से बैंक से लेबलिंग शुल्क और उस पर ब्याज के रूप में 1,39,47,02,425/–रु. (अनुसूची–1) (विगत वर्ष – 1,27,47,68,443/–रु) की राशि प्राप्त हुई है। ब्यूरो ने एकरूपता बनाए रखने के लिए रसीद के आधार पर मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के तहत लेबलिंग शुल्क पर विचार किया है।

8) वर्ष 2017–18 के दौरान, पीएटी चक्र–I के अंतर्गत, ई–सर्टिफिकेट (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र) ट्रेडिंग की योजना केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना संख्या एल–1/97/2016 दिनांक 27/5/2016 के माध्यम से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, बीईई योजना के प्रशासक के रूप में कार्य करता है और पीओएसओसीओ रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। पीओएसओसीओ पात्र संस्थाओं से सभी शुल्क और प्रभार एकत्र करेगा और इसके लिए सभी खातों की पुस्तकों का रखरखाव करेगा। पीओएसओसीओ रजिस्ट्री और प्रशासक के बीच 50:50 के अनुपात में शुल्क और प्रभार साझा करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान ई–सर्टिफिकेट ट्रेडिंग शुल्क के कारण पीओएसओसीओ से 21,54,778/– रुपए प्राप्त हुए हैं।

9) मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के तहत 1,61,25,219/– रुपए (विगत वर्ष 1,14,14,912/– रुपए) मूल्य के जांच परीक्षण उपकरणों को चालू आस्तियों के रूप में दिखाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तीसरे पक्ष (परीक्षण प्रयोगशालाओं) के पास पड़े हैं। ये वस्तु–सूचियां मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत हैं और व्यापार उद्देश्य के लिए नहीं हैं। बीईई ने सभी प्रयोगशालाओं से अनुरोध किया है कि वे उनके पास इस स्टॉक की उपलब्धता के बारे में पुष्टि प्रदान करें। इस बीच, लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार बीईई ने जांच परीक्षण उपकरणों के उपलब्ध स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन किया। पुनर्मूल्यांकन की विधि 5 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के अधीन आयकर अधिनियम के अनुसार प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से

मूल्यह्रास के रूप में ली गई है। 31/3/2024 तक जांच परीक्षण उपकरणों का उत्पादवार विवरण इस प्रकार है:–

क्रमांक	उपकरण का नाम	1/4/2023 को मूल्य	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल लागत	पुनर्मूल्यांकन पर हानि	31/3/2024 को पुनर्मूल्यांकन
1	एयर कंडीशनर	44,63,259	42,14,063	86,77,322	13,01,598	73,75,724
2	सीलिंग फैन	71,157	3,000	74,157	11,124	63,033
3	इंडक्शन कुकटॉप	19,908	-	19,908	2,986	16,922
4	इंडक्शन मोटर्स	60,023	-	60,023	9,003	51,020
5	पंप सेट	2,57,884	-	2,57,884	38,683	2,19,201
6	माइक्रोवेव ओवन	10,191	6,000	16,191	2,429	13,762
7	रेफ्रिजरेटर	30,73,432	22,61,068	53,34,500	8,00,175	45,34,325
8	टेलीविजन	21,65,982	3,26,856	24,92,838	3,73,926	21,18,912
9	ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप	2,33,275	1,20,771	3,54,046	53,107	3,00,939
10	वाशिंग मशीन	1,21,194	-	1,21,194	18,180	1,03,014
11	वॉटर हीटर	9,38,607	6,24,178	15,62,785	2,34,418	13,28,367
कुल		**1,14,14,912**	**75,55,936**	**1,89,70,848**	**28,45,629**	**1,61,25,219**

पुनर्मूल्यांकन पर 28,45,629/– रुपए की हानि को अनुसूची–3 के अंतर्गत 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में दर्शाया गया है। एसएंडएल योजना के अंतर्गत जांच परीक्षण उपकरणों को अनुसूची–11 में 1,61,25,219/– रुपए की पुनर्मूल्यांकन लागत पर दर्शाया गया है।

10) बोली प्रसंस्करण शुल्क और आरटीआई शुल्क आदि की 10,00,895/– रु. की राशि (पिछले वर्ष: 11,41,620/– रु. आरटीआई शुल्क सहित) को अनुसूची–18 – अन्य आय के तहत "विविध सेवाओं के लिए शुल्क" के रूप में दिखाया गया है।

11) धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ), (ण) और (त), धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (घ), (ड.) और (च) तथा ऊर्जा दक्षता अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वर्ष 2004 से ऊर्जा प्रबंधकों और लेखापरीक्षकों की पहचान करने के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21) के अंतर्गत 2,13,43,268/– रुपए की परियोजना व्यय राशि में 2,00,58,207/– रुपए शामिल हैं, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में आयोजित की गई 23वीं परीक्षा से संबंधित है।

12) अनुदान की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज सहित 9,47,19,363/– रु. की राशि विद्युत मंत्रालय को वापस किए जाने योग्य है, जिसे अनुसूची–7– चालू देयताएं और प्रावधान के अंतर्गत दर्शाया गया है।

13) वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपए के एनटीपीसी बांड (कॉर्पस फंड) परिपक्व हो चुके हैं। एनटीपीसी बांड की परिपक्वता के बाद, बीईई ने 50 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि को बैंक के साथ सावधि जमा में निवेश किया है, जिसे अनुसूची–9 – 'निवेश' के तहत दिखाया गया है।

14) वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षकों से 1,84,000/– रुपए की ऊर्जा प्रत्यायन शुल्क प्राप्त हुआ। प्राप्त होने वाली फीस को अनुसूची–11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि के अंतर्गत दर्शाया गया है।

15) ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्टीरियल (सीईएम) को 90,78,933/– रुपए का स्वैच्छिक योगदान दिया है तथा स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्टीरियल (सीईएम) को कार्यशाला व्यय के लिए तथा 4,42,07,998/– रुपए दिए हैं। एमएसी तथा विद्युत मंत्रालय/वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के अनुसार, व्यय एसएंडएल शुल्क से किया गया है तथा इसे अनुसूची–1 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

16) वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुपयोगी आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया गया।

विवरण	सकल मूल्य	डब्ल्यूडीवी
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो		
मूर्त संपतियां	70,53,546/-	1,64,619/-
अमूर्त संपतियां	50,63,274/-	35,962/-
कुल	**1,21,16,820/-**	**2,00,581/-**
अनुदान के अंतर्गत संपतियां		
मूर्त संपतियां	-	-
अमूर्त संपतियां	10,84,737/-	7,816/-
कुल	**10,84,737/-**	**7,816/-**

17) जहां भी आवश्यक पाया गया, पिछले वर्ष के समतुल्य आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

18) 31 मार्च, 2024 तक के तुलन–पत्र के साथ अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं तथा और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का अभिन्न भाग हैं।

- 4 -
प्रशासन

4.1 शिकायत निवारण

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन

4.6 सतर्कता

4.7 दिव्यांगजनों का कल्याण

4.1 शिकायत निवारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शिकायतें केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, जो एनआईसी द्वारा लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार की गई एनआईसीएनईटी पर एक ऑनलाइन वेब–सक्षम प्रणाली है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, सीपीजीआरएएम पोर्टल से बीईई में कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका निपटारा स्वीकार्य समय सीमा के भीतर किया गया।

4.2 सूचना का अधिकार

वर्ष 2023–24 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले कुल 139 आवेदन बीईई में प्राप्त हुए और इन सभी का उत्तर/ स्थानांतरण स्वीकार्य समय सीमा के भीतर किया गया।

इसी अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारियों को 23 अपीलें भी प्राप्त हुईं, उनका भी स्वीकार्य समय–सीमा के भीतर निपटारा किया गया।

4.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रपत्र में दर्शाया गया है:–

समूह	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. प्रतिशत	अ.पि.व	अ.पि.व प्रतिशत
क	17	02	11.76%	-	-	01	5.88%
ख	07	01	14.28%	-	-	01	14.28%
ग	01	-	-	-	-	-	-
कुल	**25**	**03**	**12%**	**-**	**-**	**02**	**8%**

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रपत्र में दर्शाया गया है:–

समूह	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
क	17	01	5.88%
ख	07	-	-
ग	01	-	-
कुल	**25**	**01**	**4%**

4.5 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। राजभाषा नीति के अनुपालन में 100 प्रतिशत अनुपालन दर प्राप्त की गई। वार्षिक कार्यक्रम के सभी शीर्षों में उल्लिखित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त, धारा 3(3) और नियम 5 के अनुसार पूर्ण 100 प्रतिशत अनुपालन दर प्राप्त की गई। पत्राचार मानकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है; सभी वरिष्ठ अधिकारी केवल हिंदी में नोट लिख रहे हैं। सभी विभागों में हिंदी कार्य के प्रति रुझान बढ़ रहा है।

वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम के नियमों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्यालय कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं एवं हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हर साल सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। 14 से 28 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण, प्रारूपण एवं शब्दावली प्रतियोगिता तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अलग से हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को आठ पुरस्कार अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार तथा पांच सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

इसके अलावा, महानिदेशक (बीईई) की अध्यक्षता में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन बैठकों में अध्यक्ष ने हिंदी में ही पत्राचार करने तथा नोट लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।

वर्ष के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

1. हिंदी गृह पत्रिका 'बचत के सितारे' का प्रकाशन।
2. राजभाषा सहायिका' का प्रकाशन।
3. 12 मई, 2023 को 'कार्यालय प्रबंधन' पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।
4. स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान 17 मई, 2023 को 'नारा' प्रतियोगिता तथा 26 मई, 2023 को 'प्रश्नोत्तरी' प्रतियोगिता आयोजित की गई।
5. 23 मई, 2023 को 'जी–20 का महत्व और भारत की भूमिका' विषय पर राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।
6. आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 16–25 अगस्त, 2023 के दौरान चार प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। (1) स्वतंत्रता दिवस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। (2) 'मेरी माटी मेरा देश' पर एक निबंध प्रतियोगिता, (3) 'मेरी माटी मेरा देश' पर एक कविता/गीत पाठन प्रतियोगिता और, (4) 'मेरी माटी मेरा देश' पर एक नारा प्रतियोगिता।

7. 29 सितंबर, 2023 को 'राजभाषा प्रबंधन और पश्चिमी रिपोर्ट' विषय पर एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

8. 22 नवंबर, 2023 को परियोजना इंजीनियरों/क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए 'ऊर्जा के विविध स्रोतों का पर्यावरण संरक्षण में योगदान' विषय पर हिंदी में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

9. 29 नवंबर, 2023 को 'देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का योगदान' विषय पर विद्युत/ऊर्जा क्षेत्र की राज्य नामित एजेंसियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

4.6 सतर्कता

वर्ष 2023–24 के दौरान कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई अनुशासनात्मक मामला शुरू नहीं किया गया।

4.7 दिव्यांगजनों का कल्याण

चूंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था और 19 अप्रैल, 2017 से लागू हुआ, ब्यूरो ने इसे सही मायनों में क्रियान्वित किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी दिव्यांगजन बिना किसी भेदभाव के और समान अवसर के साथ सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बीईई ने दिव्यांगजन अधिकारों (आरपीडब्ल्यूडी) के सभी पहलुओं और गैर–भेदभाव, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश, मतभेदों और मानव विविधता के प्रति सम्मान और मानवता के भाग, समानता और स्वीकृति पर जोर, अवसर, पहुंच, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, दिव्यांग बच्चों की विकसित क्षमताओं के प्रति सम्मान और दिव्यांग बच्चों के अपनी पहचान बनाए रखने के अधिकार के प्रति सम्मान पर ध्यान केंद्रित किया।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है:–

समूह	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	दिव्यांग कर्मचारी				दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	17	-	-	01	01	5.88%
ख	07	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-
कुल	**25**	**-**	**-**	**01**	**01**	**4%**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
चौथी मंज़िल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110 066 (भारत)
टेलीफ़ोन : +91-11-26766700, फ़ैक्स नं.: +91-11-26178328/52
वेबसाइट : www.beeindia.gov.in

beeindiadigital / bureauofenergyefficiency